

परिप्रेक्ष्य

शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

वर्ष 21, अंक 1, अप्रैल 2014



राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

500 प्रतियां

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, 2014
(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3
के अंतर्गत घोषित)

इस पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में किया जाता है। इसकी प्रतियां चुनिंदा और इच्छुक व्यक्तियों तथा संस्थानों को निःशुल्क भेजी जाती हैं। यह न्यूपा की वेबसाइट: www.nuepa.org पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति और संस्थान निम्नलिखित पते पर आवेदन करें :

अकादमिक संपादक

परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के लिए कुलसचिव, न्यूपा द्वारा प्रकाशित तथा बचन सिंह, बी-275, अवन्तिका, रोहिणी सेक्टर 1, नई दिल्ली द्वारा लेजर याइपसेट होकर मै. पावर प्रिन्टर्स, नई दिल्ली में न्यूपा के प्रकाशन विभाग द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

आलेख

शैलबाला देवी

- शिक्षा-ऋण के रूप में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण की व्यवस्था : 1
अल्प विकसित क्षेत्र में बैंक द्वारा शिक्षा-ऋण वित्तपोषण के अनुभव

ज्योत्स्ना सोनाल

- भारतीय जनजातीय समूहों के शैक्षिक विकास में असमानताएं : 39
उत्तराखण्ड के जनजातीय समूहों का केस अध्ययन

कंचन शर्मा

- विद्यालयों में सामाजीकरण की प्रक्रिया और लैंगिक भावना के विकास के कारक 61

ए.पी. पाण्डेय एवं गरिमा जैन

- विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन एवं विकास समिति की भूमिका और उसका प्रभाव 73

शोध टिप्पणी / संवाद

ब्रजेश कुमार वर्मा

- सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के 101
सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन

विजय जायसवाल

- दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निहितार्थ एवं समस्याएं 111

सुमित कुमार

- भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंतर-राज्यीय प्रवसन : दिल्ली विश्वविद्यालय में 123
अध्ययनरत बिहार के छात्रों का केस अध्ययन

चिंतक और चिंतन

अविनाश कुमार सिंह

स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता

135

शिक्षा-ऋण के रूप में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण की व्यवस्था

अल्प विकसित क्षेत्र में बैंक द्वारा शिक्षा-ऋण वित्तपोषण के अनुभव

शैलबाला देवी*

सारांश

प्रस्तुत आलेख में अल्पविकसित राज्य (ओडिशा) के संदर्भ में ऋण के रूप में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण की व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है। ओडिशा में राज्य के जीएसडीपी का 0.60 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है जो पूर्णतः अपर्याप्त है। इस आलेख में अनुभवाश्रित सर्वेक्षण के द्वारा निम्नांकित बिंदु उजागर हुए हैं: (i) ऋण से उच्च शिक्षा की पहुंच में असमानता बढ़ी है; (ii) ऋण राशि की अदायगी न करने वालों की संख्या अधिक पाई गई है जबकि परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर है; (iii) ऋण प्राप्तकर्ता की शिक्षा का रिटर्न (प्रतिफल) उसी शिक्षा को बिना ऋण के प्राप्तकर्ता को मिलने वाले प्रतिफल से अधिक है। आलेख में यह सुझाव दिया गया है कि उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के अनेक विकल्पों में से एक ऋण वित्तपोषण को सावधानीपूर्वक लागू करने की जरूरत है, खासकर जबकि आर्थिक तंगहाली की स्थिति हो।

प्रस्तावना

शिक्षा को व्यापक रूप से एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य विशेषकर भूमंडलीकरण और एमडीसी (सहस्राब्दी विकास लक्ष्य) के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय नीति का मुख्य मुद्दा बन गया है।

*हाउस नं. एमआईजी-I, 62/2, सी.एस. पुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भुवनेश्वर, ओडिशा-751016

इस आलेख का पूर्व संस्करण सीएमजीआर की संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया था। आलेख में व्यक्त विचार के लिए लेखिका जवाबदेह है। लेखिका श्री अटल बी. दास और ई. महेश को सांख्यिकी सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने इस कार्य को गंभीरता से लिया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है। आज भूमंडलीकरण के दौर में विश्वस्पर्धा की चुनौती से मुकाबला करने में समुचित उच्च शिक्षा की भूमिका और विशेषकर तकनीकी शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रति अपेक्षित प्राथमिकता में कमी की गई है। यह माना जाना चाहिए कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक स्तर बनाए रखने में उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन संस्थानों पर न केवल भूमण्डलीकरण के अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए देश में अपेक्षित विशेषज्ञ मानव संसाधन प्रदान करने की जिम्मेदारी है बल्कि इन पर देश के नीतिगत निर्माण हेतु विशेषज्ञ और जन शक्ति के प्रशिक्षण का भी उत्तरदायित्व है। वस्तुतः विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है और टिकाऊ विकास के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य है। सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को प्रभावित करने में उच्च शिक्षा की भूमिका निम्नांकित तालिका-1 में प्रदर्शित है।

तालिका-1 उच्च शिक्षा और विकास

सहसंबंध	सकल नामांकन अनुपात (54)	उच्च शिक्षा संप्राप्ति (34)
	और	
एचडीआई	0.603	0.552
जीडीआई	0.635	0.552
जीईआई	0.606	0.654
एलईबी	0.526	0.541
आईएमआर	-0.461	-0.461
टीएफआर	-0.567	-0.475
गरीबी अंतरराष्ट्रीय	-0.566	-0.299

GER= Gross enrolment ratio, HED = higher education attainment (% of people with higher education), Figures in the bracket are the number of countries.

स्रोत: तिलक (2003)

सह संबंध भारमान दिखाते हैं कि सभी संकेतक सकल नामांकन अनुपात और उच्च शिक्षा सम्प्राप्ति के रूप में उच्च शिक्षा से स्पष्टतः सह-संबंधित हैं। इससे सामाजिक-आर्थिक विकास पर उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रभावों का पता चलता है।

शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवंटित धनराशि सदैव आवश्यकता से कम पाई गई है। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो पेशेवर योग्यताओं से युक्त विद्यार्थियों को कालेज शिक्षा पूरी करने से पहले ही उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बना देती है। ये पेशेवर पाठ्यक्रम इतने महंगे हैं कि विशेषकर अल्पविकसित देशों/क्षेत्रों के अनेक अभिभावक इनका खर्च वहन नहीं कर सकते। महंगी व्यावसायिक शिक्षा आज के रोजगार बाजार में रोजगार पाने की अनिवार्य शिक्षा बन गई है। ऐसी स्थिति में महंगी व्यावसायिक और तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थी/शिक्षा¹ ऋण योजना सर्वाधिक प्रभावकारी साधन दिखाई पड़ती है।

व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों को तत्काल ही उच्च वेतन की नौकरी मिल जाती है और वे ऋण भुगतान करने की स्थिति में होते हैं। वर्तमान में शिक्षा ऋण तेजी से बढ़ते खुदरा बैंकिंग उत्पादों का एक प्रमुख उत्पाद बन गया है। भारत में प्रायः सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक प्रतिभाशाली और जरूरतमंद विद्यार्थियों को आकर्षक ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण प्रदान कर रहे हैं।

सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के लिए किए जा रहे वित्तपोषण के रुझानों से पता चलता है कि निर्धारित समय सीमा में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अधिकतम हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद शेष संसाधन माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच आवंटित किया जाता है। अभी हाल में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की घोषणा के बाद इस शेष संसाधन का अधिकांश हिस्सा माध्यमिक शिक्षा को दिया जा रहा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा को मात्र बचा-खुचा हिस्सा ही मिल पा रहा है जो सबसे कम है।

यह भी देखा गया कि सरकार बड़ी मुश्किल से कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1 प्रतिशत से भी कम भाग उच्च शिक्षा पर खर्च करती है। वर्ष 1950-51 में उच्च शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.19 प्रतिभाग खर्च किया गया जो वर्ष 2004-05 में बढ़कर

¹. शिक्षा ऋण और विद्यार्थी ऋण के बीच कोई अंतर नहीं है। भारतीय संदर्भ में ये दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशों में आमतौर पर विद्यार्थी ऋण का प्रयोग किया जाता है। इस आलेख में दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है।

मात्र 0.4 प्रतिशत हो गया जो एक प्रतिशत से बहुत कम है। वित्तपोषण का यह प्रतिमान व्यापक रूप से संरचनात्मक सामंजस्य नीतियों से संबंधित है जो 1991 के आरंभ में शुरू किया गया जिसमें समष्टि- आर्थिक संतुलन और सामंजस्य को शामिल किया गया। इस कारण प्रायः सभी क्षेत्रों में राजस्व में कमी की गई। यहां तक कि सामाजिक क्षेत्र विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य बूरी तरह प्रभावित रहे। चूँकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बजटीय आवंटन में प्राथमिकता दी गई है और उच्च शिक्षा को बूरी तरह उपेक्षित किया गया। इसका बजटीय आवंटन सिकुड़ता चला गया। एक तरफ उच्च शिक्षा की मांग बढ़ती गई और दूसरी तरफ इसका बजटीय आवंटन या तो कम कर दिया गया या उसे आवश्यकता से बहुत कम संसाधन दिया गया। इसके कारण 1990 के दशक के बाद उच्च शिक्षा की मांग और इसके लिए आवंटित सरकारी बजट के बीच भारी असंतुलन पैदा हो गया। ऐसी स्थिति केवल भारत में ही नहीं है बल्कि अनेक विकासशील देशों में ऐसी रुझान देखी जा सकती है। यूनेस्को के अनुसार 1990 के दशक में 111 देशों में से 70 देशों (63%) ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की कटौती की जिनमें से 85% (41 देशों में से 34 देश) विकासशील हैं। संन्याल और मार्टिन (2006) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि पिछले दशक में जिन विकासशील देशों ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था वे उच्च शिक्षा पर फोकस कर सकते थे मगर उनमें से अधिकांश ने उच्च शिक्षा में अपनी साझेदारी को कम किया। यद्यपि सकल नामांकन संख्या में भारी वृद्धि हुई है परंतु साथ ही प्रति विद्यार्थी राजकीय व्यय में उल्लेखनीय कमी भी आई है। यद्यपि यह स्थिति विश्वभर में देखी जा सकती है परंतु विकासशील और संक्रमणशील देशों की स्थिति सोचनीय है। अतः (क) शिक्षा बजट में सतत कमी और (ख) उच्च शिक्षा की अपेक्षा नीचे के स्तर की शिक्षा की प्राथमिकता के पक्ष में बढ़ते समर्थन के संदर्भ में अनेक प्रभावकारी रिपोर्टों और विख्यात शिक्षाविदों² द्वारा उच्च शिक्षा में राजकीय सब्सिडी कम करने के तर्क पेश किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, विश्व बैंक जो समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहनकर्ता है, ने उच्च शिक्षा के वित्तपोषण पर अपने निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये हैं: (i) उच्च शिक्षा की सार्वजनिक लागत की वसूली करना और उच्च सामाजिक प्रतिफल के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु राजकीय व्यय का पुनः आवंटन करना। (ii) चुनिंदा पाठ्यक्रमों के लिए विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऋण बाजार के विकास

². जार्ज सकरापाउलस (1973) ने दिखाया है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रतिफल उच्च शिक्षा से अधिक है। इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से आगे की शिक्षा के स्तर पर राजकीय सब्सिडी में क्रमशः कटौती करने का तर्क दिया है।

द्वारा विद्यार्थी ऋण को बढ़ावा देना और (iii) लोक शिक्षा के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करना और गैर सरकारी तथा समुदाय समर्थित स्कूलों के विस्तार को बढ़ाना देना। यहां तक कि 10वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं राज्य योजना दस्तावेज व्यक्त करते हैं कि ‘बजटीय संसाधन सीमित हैं और जो संसाधन उपलब्ध हैं उसे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु आवंटित करने की आवश्यकता है।’ (भारत सरकार 2001, 2002–2007), अतः उच्च शिक्षा में वैकल्पिक वित्तपोषण के द्वारा सार्वजनिक व्यय को कम करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। तदनुसार अनेक विकासशील देशों में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोतों के कई सुझाव सामने आए हैं जिनमें एक प्रमुख सुझाव विद्यार्थी ऋण प्रणाली के द्वारा उच्च शिक्षा के वित्तपोषण का विकल्प है। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे उच्च शिक्षा पर राजकीय व्यय का भार कम होगा और उच्च शिक्षा पर लोक वित्तपोषण की मंदी के प्रभाव को कम करके उच्च शिक्षा में समता के अवसर में सुधार किया जा सकता है। इससे उच्च शिक्षा की पहुंच में भी सुधार हो सकता है। (तिलक 1992) शिक्षा/विद्यार्थी ऋण पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। परंतु इस क्षेत्र में शोध आधारित विश्लेषणात्मक अध्ययनों की कमी है। अतः इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा ऋण के जरिए उच्च शिक्षा के वित्त पोषण की समीक्षा करने का एक प्रयास किया गया है।

इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:

1. शिक्षा ऋण लेने वाले विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है?
2. ऋण की अदायगी के प्रतिमान क्या है?
3. क्या शिक्षा ऋण विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के लिए एक बोझ है?
4. क्या शिक्षा ऋण से ऋणी को अधिक लाभ मिल रहा है?
5. क्या इसका उद्देश्य विशिष्ट मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करना है?
6. क्या सरकार शिक्षा ऋण के द्वारा उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के कारण उच्च शिक्षा पर राजकीय व्यय/सब्सिडी को और कम करेगी।

प्रस्तुत अध्ययन में अल्पविकसित राज्य ओडिशा में शिक्षा ऋण के द्वारा वित्त पोषण पर एक अनुभवाश्रित अध्ययन के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दों की समीक्षा की गई है।

प्रस्तुत आलेख को इस प्रकार संघटित किया गया है: इसका पहला भाग प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। इसमें उच्च शिक्षा के महत्व और उसके वित्तपोषण की वैकल्पिक

व्यवस्था पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में शिक्षा ऋण से जुड़े कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। तीसरे भाग में अध्ययन की रूपरेखा, प्रतिदर्श और आंकड़ा विश्लेषण की विधि प्रस्तुत है। चौथे भाग में भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार और वित्तपोषण पर चर्चा की गई है। पाचवें भाग में शिक्षा ऋण द्वारा उच्च शिक्षा के वित्तपोषण की समीक्षा की गई है। छठे भाग में ओडिशा में उच्च शिक्षा का विस्तार और इस राज्य में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण संबंधी विवरण प्रस्तुत है। सातवें भाग में ओडिशा में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण पर किए गए अनुभवाश्रित अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। आलेख के अंतिम भाग में मुख्य निष्कर्ष और प्रेक्षण प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त साहित्य समीक्षा

हाल में उच्च शिक्षा के लोक बजट के घाटे को पूरा करने के लिए वित्तपोषण के नवाचारी उपायों का कार्यान्वयन करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है। विश्वभर में सरकारों द्वारा वित्तपोषण में दो प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष वित्तपोषण और परोक्ष वित्तपोषण। प्रत्यक्ष वित्तपोषण के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को संचालन लागत, पूँजी निवेश, शोध और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण किया जाता है। अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के अंतर्गत सरकार विद्यार्थियों या उनके परिवारों को कर लाभ, शैक्षणिक और रहन-सहन खर्च के लिए ऋण रियायतें, अनुदान और छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषण करती है। उच्च शिक्षा के वित्तपोषण का एक दूसरा स्रोत है: निजी क्षेत्र का वित्तपोषण- इसे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाभ के लिए निजी वित्तपोषण और लाभ रहित निजी वित्तपोषण। परिवारों, कल्याणकारी न्यासों और समुदाय लाभ रहित वित्तपोषण की श्रेणी में आते हैं। जबकि लाभ हेतु वित्तपोषणकारी एजेंसी में उद्योग जगत, विदेशी निजी विश्वविद्यालय आदि आते हैं।

शिक्षा के वित्तपोषण के लिए शिक्षा ऋण के द्वारा वित्तपोषण का विकल्प सर्वाधिक लोकप्रिय वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरकर सामने आया है। यह विकल्प विश्व के लगभग 80 देशों में प्रयोग किया जा रहा है। उच्च शिक्षा की बढ़ती लागतों (शिक्षण शुल्क और रखरखाव लागत) के मद्देनज़र विकासशील और विकसित दुनिया के अनेक देशों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम आय वर्ग के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण व्यवस्था को लागू किया है। इस ऋण व्यवस्था के लोकप्रिय होने के प्रमुख कारण हैं: (i) उच्च शिक्षा की लागत में एकाएक भारी वृद्धि (ii) उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग (iii) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी संख्या में निजी क्षेत्र का प्रवेश।

हाल में भारत और चीन जैसे विशाल देशों में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र शिक्षा ऋण के उभरते स्रोत के रूप में सामने आ रहा है। किसी भी देश में शिक्षा ऋण के मामले में प्रचलित अन्य स्रोतों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। चीन में यह देखा गया कि इस योजना में पूर्णतः समता का कार्यान्वयन नहीं होता है। कई बार जरूरतमंद विद्यार्थियों को भी शिक्षा ऋण सुलभ नहीं हो पाता है। शैक्षिक संस्थानों के आधार पर समान आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों के बीच शिक्षा ऋण प्राप्त करने में विविधता दिखाई पड़ती है। चूंकि बैंक ऋण वसूली का जोखिम उठाते हैं। इसलिये वे जोखिम वाले विद्यार्थियों मूलतः गरीब विद्यार्थियों और निम्न गुणवत्ता वाले शैक्षिक संस्थानों में दखिला लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने से कतराते हैं। यह उल्लेखनीय है कि चीन शिक्षा ऋण योजना की बजटीय और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। इसके अलावा कुछ स्थानीय समर्थ सरकारें स्थानीय संस्थानों को ब्याज सब्सिडी देती हैं जबकि निर्धन सरकारें अपने को ऐसा करने में असमर्थ पाती हैं। (सेन और ली, 2003)

चंग (2003) बताते हैं कि हांग कांग में शिक्षा ऋण का आवंटन मुख्यतः समता, सक्षमता और प्रचुरता के आधार पर की जाती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता मिलती है। मापदंड के एक निर्धारित सूत्र के अनुसार आवेदक की पारिवारिक वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋण अर्हता में परिवर्तन होता है। इस व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य यह है कि अर्हता प्राप्त कोई विद्यार्थी धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस प्रकार से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। दूसरी तरफ, शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा विद्यार्थी की सामान्य जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। इसके लिए नियमित रूप से विद्यार्थी व्यय का सर्वेक्षण किया जाता है और विद्यार्थी मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। सामाजिक जरूरतों की पूर्ति हेतु अपेक्षित अध्ययन के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हांगकांग में अध्यापक प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और सृजनात्मक संचार माध्यम के क्षेत्र में विद्यार्थियों को विविध चरणों में विभिन्न प्रकार के अनुदान और ऋण प्रदान किए जाते हैं। बहरहाल, सरकार द्वारा शिक्षा ऋण के विकास के बावजूद उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता कम नहीं हुई है।

कोरिया गणराज्य में उच्च शिक्षा के लिए सरकार प्रायोजित 6 प्रकार की शिक्षा ऋण योजनाएं हैं और कुल 16 प्रतिशत नामांकित विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। कुल

मिलाकर कोरिया गणराज्य में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण पर बहुत रियायतें दी गई हैं और इसे उच्च शिक्षा की लागत वसूली का माध्यम नहीं बनाया गया है। (किम और ली, 2003) फिलीपिंस में इस प्रकार के विविध शिक्षा ऋणों की व्यापक रूप से व्यवस्था संचालित नहीं है, उच्च शिक्षा पर उनका कोई प्रभाव नहीं है और उनका कार्य निष्पादन ना मात्र है। राजकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय आधारित ऋण योजना का मौजूदा प्रयोग छोटे स्तर पर संचालित है और उसकी सफलता भी सवालों के घेर में है। देश में व्यापक स्तर पर इसे संचालित करने की कोई स्पष्ट भावी योजनाएं नहीं हैं। (कितोव आदि, 2003)। यद्यपि फिलीपींस में निर्धन विद्यार्थियों और सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों की प्राथमिकताओं के अनुसार शिक्षा ऋण का प्रावधान है। दक्षता और समता के आधार पर विद्यार्थी ऋण की डिजाइन और मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों पर केंद्रित सैद्धांतिक अध्ययनों का विद्यार्थी ऋण पर उपलब्ध साहित्य में अभाव हैं। विभिन्न देशों में विद्यार्थी ऋण पर किए गए अनुभवाश्रित अध्ययन विद्यार्थी ऋण के उद्देश्यों, डिजाइन और योजनाओं या वैकल्पिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, जानस्टोन (2002) चुनिंदा केंद्रीय अमरीका, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों जैसे- संयुक्त राष्ट्र अमेरीका, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, इंगलैंड, दक्षिण अफ्रीका और केन्या में विद्यार्थी ऋण कार्यक्रमों की उत्कृष्ट समीक्षा प्रस्तुत करते हैं।

विद्यार्थी ऋण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समान उद्देश्य गरीबों के लिए समता और पहुंच के अवसर प्रदान करना है। विद्यार्थी ऋण के लागत-साझेदारी घटक का बजटीय निहितार्थ है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोक वित्तपोषण के स्थानांतरण के रूप में है। इससे अभिप्राय है कि उच्च शिक्षा में लोक व्यय कम किया जाता है और शिक्षा व्यय का आवंटन उच्च शिक्षा से घटाकर स्कूल स्तर की शिक्षा की ओर ले जाया जा रहा है। (यूनेस्को 2003) यद्यपि बजटीय उद्देश्यों के महत्व को देखते हुए यहां यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त अध्ययन बजटीय उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में अनुभवाश्रित साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करते हैं।

जाइडर मैन (2003) ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि थाई ऋण योजना 1996 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य सामान्य उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में राजकीय तथा निजी दोनों संस्थानों में नामांकित अपवंचित तथा गरीब बच्चों को शिक्षा ऋण देना था। यद्यपि बच्चों की जरूरत को लक्ष्य करके यह योजना बनाई गई थी परंतु यह विशेष लक्ष्य वर्ग योजना प्रभावकारी नहीं रही। अधिकारिक रूप से

गरीबी को परिभाषित करने हेतु जो आय सीमा तय की गई थी उससे तीन गुना अधिक ऋण की आर्हता के लिए तय की गई थी। पारिवारिक आय सीमा शैक्षिक संस्थानों के लिए आवंटित ऋण कुछ संस्थानों (विश्वविद्यालयों के मामलों में ऋण आवंटन का मानदंड विश्वविद्यालय के गरीब विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था) में विद्यार्थियों की आबादी की सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध नहीं था। अन्य देशों, जिनका केस अध्ययन किया गया था, की तुलना में थाई ऋण योजना को सरकार से भारी सब्सिडी मिली है। साल्पी और हौपमैन (2006) ने तर्क दिया था कि उच्च शिक्षा में पहुंच, समता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने में आवश्यकता आधारित अनुदान और मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इनके माध्यम से उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को साझा किया जा सकता है चाहे अनुदान और छात्रवृत्तियां सरकार द्वारा वहन करना पड़े या अन्य अमीर विद्यार्थियों से इसकी कुछ भरपाई करना पड़े। दुनियाभर की उच्च शिक्षा व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालयों में बढ़ती लागत को साझा करने की प्रवृत्ति और निजी संस्थानों की वृद्धि दर ने विद्यार्थियों को शिक्षा और संबंधित अन्य लागतों से अधिक व्यय को पूरा करने में कई प्रकार से सहायक हैं।

भारतीय संदर्भ में तिलक (1999) मानते हैं कि सरकारों के दृष्टिकोण से शिक्षा ऋण उच्च शिक्षा के बजटीय आवंटन का प्रतिपूरक है और साफतौर पर कहा जाए तो सरकार इसके माध्यम से उच्च शिक्षा से अपनी वित्तीय जवाबदेही से मुक्त होना चाहती है और उच्च शिक्षा को स्ववित्तपोषण के अधीन लाना चाहती है। यद्यपि तिलक यह रेखांकित करते हैं कि इस संबंध में यह तर्क सुविकसित पूँजी बाजार का अस्तित्व तथा गरीब विद्यार्थियों तक उनकी पहुंच और विशिष्ट समयावधि के दौरान ऋण की वसूली, विद्यार्थी उच्च शिक्षा का एकमात्र लाभार्थी और शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अंततः इस परिकल्पनाओं को अवास्तविक मानते हुए तिलक का यह निष्कर्ष है कि “शिक्षा ऋण वास्तव में उच्च शिक्षा के विकास में एक बाधा हो सकती है।”

भारत और अन्य दूसरे देशों के अनुभवों के मद्देनज़र शिक्षा ऋण को अल्पकालिक मध्यम और दीर्घ कालिक अवधि में किसी भी प्रकार से वित्त पोषण की समस्याओं का समाधान नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही, उच्च शिक्षा में योग्य, मेधावी और कुशल गरीब विद्यार्थियों की मदद के रूप में शिक्षा ऋण बजटीय सब्सिडी का आदर्श

विकल्प नहीं हो सकता है (नारायण, 2005)। तिलक (2007) मानते हैं कि ऋण योजना समता उन्मुख नहीं है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यह मददगार नहीं है और नहीं इसका कोई साक्ष्य सामने आया है। यद्यपि बैंक सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण देने की पेशकश करते हैं। मगर यह शिक्षा ऋण भारतीय संदर्भ में नकारात्मक दहेज प्रथा (रोबिन समिति 1963, पृ. 211) का कार्य करेगा जो विशेषकर भारत में एक सामाजिक कुप्रथा है। शिक्षा ऋण के लाभ-हानि की समीक्षा करने के बाद उनका सुझाव था कि शिक्षा ऋण का उपयोग सीमित प्रयोजन हेतु सीमित तरीकों से किया जा सकता है। इसे भारत में पूरे उच्च शिक्षा प्रणाली पर थोपा नहीं जा सकता है। असमान सामाजिक-आर्थिक आबादी वाले भारत के संदर्भ में उच्च शिक्षा के सार्वजनिक निवेश की वसूली के लिए एक समृद्ध और न्यायोचित कर व्यवस्था प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।

पाणिग्रही (2010) ने ओडिशा के चार संस्थानों से 310 प्रतिदर्श आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस प्रतिदर्श आंकड़ों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए दिए गए शिक्षा ऋणों के विविध रूप शामिल हैं। इस विश्लेषण में वैकल्पिक परावर्तन माडल का प्रयोग किया गया है। इसमें लेखक ने यह पाया कि शिक्षा की लागत, लिंग (पुरुष), आश्रितों की संख्या, शिक्षा के विभिन्न प्रकार और ऋण प्राप्तकर्ता का संभावित वेतन का ऋण के साथ सकारात्मक संबंध है। जबकि अभिभावक की आय, अभिभावक की शिक्षा, और विद्यालयों की स्थिति का उच्च शिक्षा के लिए ऋण की मंजूरी से ऋणात्मक संबंध पाया गया। लेखक ने विशेषकर विकासशील क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति की नीतियों, प्रविधियों और इसके सम्मुख आने वाली कठिनाईयों की समीक्षा की है। इस क्षेत्र में बहुत कम अध्ययन किए गए हैं जिनकी समीक्षा की गई है। ये अध्ययन विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष दिखाते हैं। विशेषकर भारत में शिक्षा के लिए बैंक द्वारा ऋण वित्तपोषण के संबंध में अभी तक कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया गया है। अतः मौजूदा अध्ययन इस क्षेत्र में एक सीमित तरीके से इस कमी को पूरा करने का एक प्रयासभर है। निःसंदेह इस अध्ययन से अनेक मुद्दे सामने आएंगे जिनपर पुनः शोध की आवश्यता होगी।

अध्ययन की रूपरेखा

इस अध्यन में माध्यमिक और प्राथमिक, दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। उच्च शिक्षा के संकेतकों से संबंधित विविध माध्यमिक आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया गया। इनमें ये संकेतक शामिल थे— भारत और ओडिशा के विश्वविद्यालयों

और कालेजों की संख्या, उच्च शिक्षा में नामांकन, बजटीय प्रावधान और कालक्रम में व्यय के रुझान।

बैंक ऋण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जानने के लिए, उसके निर्धारकों, ब्याज की दरों और भुगतान के तरीकों आदि से संबंधित प्राथमिक आंकड़े उन विद्यार्थियों से एकत्र किए गए जिन्होंने विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक से शिक्षा ऋण लिया है। ये विद्यार्थी कटक जिले के थे जो आर्थिक, शैक्षिक और वाणिज्यिक रूप से विकसित जिला है। आंकड़ा प्रतिदर्श में 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण लिया था। इनकी सूची बैंकों से ली गई थी और उनका चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। इनमें बी-टेक, एम-टेक और एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. और एम.सी.ए. आदि के विद्यार्थी थे।

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता, अभिभावकों की शिक्षा, व्यवसाय, आवासीय स्थिति और ऋण भुगतान व्यवस्था आदि की सूचना बैंक के रिकार्डों से प्राप्त की गई। (ऋण की मंजूरी के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र)। प्राथमिक आंकड़ा इस प्रयोजन हेतु तैयार प्रश्नावली के द्वारा एकत्र किया गया। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक चरों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण सामान्य और तिर्यक तालिका विधि से किया गया। ऋण के सामाजिक-आर्थिक नियतांकों के प्रभाव की समीक्षा के लिए सामान्य रेखीय अवमूल्यन माडल का प्रयोग किया गया जो निम्नलिखित हैं:

$$\text{LOAN} = F(\text{FATH_OCC}, \text{FAM_INCOME}, \text{INT_RATE})$$

$$\text{LOAN} = \alpha + \beta_1 \text{FATH_OCC} + \beta_2 \text{FAM_INCOME} + \beta_3 \text{INT_RATE} + U$$

जहां आश्रित चर विद्यार्थी द्वारा ली गई ऋण राशि है

FATH_OCC , अगर व्यवसाय सेवा है तो 1 अन्यथा 0

FAM_INCOME = परिवार की आय

INT_RATE ब्याज दर

α, β और U क्रमशः अवरोधक, नियतांक और अशुद्धि हैं।

आय और शिक्षा के प्रभाव की समीक्षा के लिए मिसेसियन आय फलन का उपयोग किया गया जो निम्नवत है:

आय का लाग = f (शिक्षा वर्ष, शिक्षा वर्ष का वर्ग)

इस माडल के प्रयोग से शिक्षा ऋण लेने वाले और शिक्षा ऋण न लेने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा-लाभ दर का आकलन किया गया।

भारत में उच्च शिक्षा का संक्षिप्त परिचय

उच्च शिक्षा का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक विश्वविद्यालय और कालेज स्थापित किए गए। वर्ष 1950-51 से लेकर 2008-09 (तालिका 2) के दौरान विश्वविद्यालयों की वार्षिक वृद्धि दर 4.9% थी। इस दौरान कालेजों की संख्या 578 से बढ़कर 17,625 हो गई। इस प्रकार कालेजों की संख्या में 7% वार्षिक वृद्धि हुई। इस दौरान नामांकन में भी भारी वृद्धि हुई। 1950-51 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 1% था जो 2008-09 में बढ़कर 13.7% हो गया। वर्ष 1950-51 में कुल 24000 अध्यापक थे। अध्यापकों की संख्या 2008-09 में 6,52000 हो गई है। संस्थानों की संख्या की दृष्टि से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे विशाल है। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या अमरीका और यूरोप के कुल उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या से बहुत अधिक है।

तालिका-2

अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा में संस्थान वृद्धि, नामांकन और

अध्यापन संकाय : 1950-51 से 2008-09

वर्ष	विश्वविद्यालय	कालेज	नामांकन (हजार में)	अध्यापक (हजार में)	स.ना.अ. शिक्षा (%)
1950-51	28	578	174	24	1.00
1960-61	45	1819	557	62	2.00
1970-71	93	3227	1956	190	3.90
1980-81	123	4738	2752	244	5.40
1990-91	184	5748	4925	271	4.30
2000-01	266	11146	8399	395	8.97
2004-05	348	17625	10481	472	9.97
2005-06	350	16982	14323	488	11.6
2006-07	371	19815	15257	504	12.4
2007-08	406	23099	17211	652	13.1
2008-09	440	27882	18500	652	13.7

टिप्पणी: विश्वविद्यालय में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त सभी केंद्रीय, राज्य, निजी, मानद और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं।

स्रोत: सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, मा.सं.वि. मंत्रालय (विभिन्न वर्ष)

भारत में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण

उच्च शिक्षा में ऋण वित्त पोषण पर चर्चा करने से पहले भारत में खासकर केंद्र और राज्य स्तरों पर 1990 के दशक के बाद राजस्व तंगी के दौरान उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है।

भारतीय उच्च शिक्षा का वित्तीय स्रोत राजकीय और निजी स्रोत है। निजी स्रोत में घरेलू, कंपनी, समुदाय और कल्याणकारी न्यासों द्वारा वित्तपोषण शामिल है। दीर्घ कालिक वित्तीय पोषण की प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा के वित्त पोषण का तीन-चौथाई

तालिका-3

उच्च और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर बजटीय व्यय (राजस्व)

वर्ष	केंद्रीय उच्च शिक्षा	वर्ष	(रु. मिलियन में) तकनीकी शिक्षा
1990-91	23120	1990-91	7530
1991-92	24440	1991-92	8090
1992-93	27000	1992-93	9070
1993-94	31040	1993-94	10180
1994-95	35250	1994-95	11890
1995-96	38710	1995-96	12900
1996-97	42880	1996-97	14500
1997-98	48590	1997-98	16230
1998-99	61170	1998-99	20730
1999-2000	82480	1999-2000	24590
2000-01	91950	2000-01	25280
2001-02	80880	2001-02	25600
2002-03	88600	2002-03	28210
2003-04	93810	2003-04	31390
2004-05	95620	2004-05	33870
2005-06	110133	2005-06	36569
2006-07	125411	2006-07	40417
2007-08	143114	2007-08	46574
2008-09(RE)	194689	2008-09(RE)	77206
2009-10(BE)	248319	2009-10(BE)	94693
Growth Rate (%)			
(1990-91 to 2009-10)	12.6	(1990-91 to 2009-10)	13.5

स्रोत: एनालिसिस आफ बजट एक्सपैडिचर इन एजुकेशन, मा.सं.वि. मंत्रालय, विभिन्न मुद्रे

भाग सरकार वहन करती है। यद्यपि 1990 के दशक में उदारीकरण के साथ नई आर्थिक नीति के बाद सामान्यतः शिक्षा में और विशेषकर उच्च शिक्षा में सरकारी निधि कम होती गई है। इसी क्रम में प्रबंधन, इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में तरक्की से निजी संस्थानों के आने के बाद उच्च शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता और नियमन के मुद्दे भी सामने आये हैं।

उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय

उच्च शिक्षा के लिए राजकीय बजट में गिरावट और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य वित्तीय समस्याओं से घिरे होने के कारण 1990 के दशक से उच्च शिक्षा के वित्त पोषण का रुझान सकारात्मक नहीं रहा है। 1990-91 में उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय ₹ 23,120 मिलियन था जो 2009-10 में बढ़कर मात्र 248319 मिलियन हुआ। तालिका-3 यानि वर्तमान मूल्य दर पर इसमें मात्र 12.6% की वृद्धि हुई। इस दौरान तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए यह वृद्धि दर 13.5% थी।

वर्ष 1990-91 से उच्च शिक्षा में केंद्र सरकार का अंशदान कुल व्यय का लगभग 20% था। यद्यपि वर्तमान दशक में कुछ अपवादों के साथ यह 25% के आस-पास था। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा को अनुदान देती है। यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निधि की प्रतिपूर्ति असमान रूप में करती है। इसका सर्वाधिक हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालेजों, मानद विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। वर्ष 1990-91 से केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थानों का समान अनुपात में वित्तपोषण कर रही हैं। केंद्र सरकार कुल व्यय का 40% से कुछ अधिक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को देती है। यानि प्रत्येक को कुल केंद्रीय अनुदान का 10% भाग दिया जाता है।

उच्च शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पादन का समानुपात

हम मात्र उच्च शिक्षा के लिए आवंटित सार्वजनिक व्यय से ही वित्तीय आवंटन की समीक्षा नहीं कर सकते परंतु सकल घरेलू उत्पादन में इसके समानुपात से भी उच्च शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की जा सकती है। अंतरा-क्षेत्र संसाधन आवंटन के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रति सांविधानिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य है। पूर्व तैयारी और टर्मिनल शिक्षा के रूप में माध्यमिक शिक्षा की भी अनदेखी नहीं की जा

सकती है। भूमंडलीकरण और बढ़ती स्पर्धा के दौर में उच्च शिक्षा से भी मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बन रही है कि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को सकल घरेलू उत्पादक का क्रमशः 3%, 1.5% और 1.5% भाग आवंटित किया जाना चाहिए (केब 2005)। इस पृष्ठभूमि के साथ शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अनुसार प्राथमिकताओं की समीक्षा करना आवश्यक है। मौजूदा भूमंडलीकरण की नई चुनौतियों के सामने उच्च और तकनीकी शिक्षा के बढ़ते महत्व के सम्मुख इसकी प्राथमिकता सतत् कम होती चली गई। उच्च शिक्षा को आवंटित

तालिका-4

सकल राष्ट्रीय उत्पाद और बजट के प्रतिशत के रूप में उच्च और तकनीकी शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय

वर्ष	जी.एन.पी. का प्रतिशत		
	उच्च	तकनीकी	उच्च और तकनीकी
1990-91	0.46	0.15	0.61
1991-92	0.42	0.14	0.56
1992-93	0.41	0.14	0.55
1993-94	0.4	0.13	0.54
1994-95	0.39	0.13	0.52
1995-96	0.37	0.12	0.49
1996-97	0.35	0.12	0.47
1997-98	0.35	0.12	0.47
1998-99	0.39	0.13	0.52
1999-00	0.47	0.14	0.61
2000-01	0.49	0.13	0.62
2001-02	0.39	0.12	0.52
2002-03	0.40	0.13	0.52
2003-04	0.37	0.13	0.50
2004-05	0.34	0.12	0.43
2005-06	0.67	0.28	0.95
2006-07	0.70	0.44	1.14
2007-08 ^P	0.83	0.26	1.09
2008-09 ^q	0.90	0.33	1.23

^P अनंतिम ^q तत्काल आकलन

स्रोत: भारत सरकार, बजटीय व्यय का विश्लेषण-विभिन्न वर्षों में

राष्ट्रीय सकल उत्पाद का समानुपात 1990-91 में 0.46 था जो निरंतर कम होता गया और 2004-05 में मात्र 0.34% रह गया था। इसके बाद थोड़ा बढ़ा। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटित समानुपात इस दौरान 0.15% से घटकर 0.12% रह गया। (तालिका-4) उच्च और तकनीकी शिक्षा, दोनों के लिए कुल आवंटित अनुपात 2005-06 में 1% से भी कम था। (स.रा.उ. का 0.6%) जो 2006-07 से थोड़ा-थोड़ा बढ़कर 2009-10 में 1% से थोड़ा अधिक यानि 1.23% हुआ।

उपर्युक्त तालिका से पूर्णतः स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण और कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकार ने उच्च शिक्षा की पूरी तरह अनदेखी की है। तिलक (2003) ने ठीक ही कहा है कि इस स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में भारी कमी के प्रमुख कारण हैं: (क) भारत सरकार की संसाधन क्षमता में कमी, (ख) 1990 के दशक के आरंभ में नई उदार नीतियों को लागू करना और (ग) यह जोरदार मगर गलत मान्यता है कि उच्च शिक्षा का विकास से कोई सरोकार नहीं है।

इस प्रकार के आर्थिक सुधारों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खर्चों को पूरा करने के विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते रहे हैं। जैसे- विद्यार्थी शुल्क में वृद्धि, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों की भागीदारी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण कार्यक्रम आदि। भारत में राजस्व उगाही के लिए अपनाये गये तरीकों में विद्यार्थी ऋण एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्ष 1963 से विद्यार्थी ऋण का प्रचलन है। प्रस्तुत आलेख के अगले भाग में वर्तमान में भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विद्यार्थी ऋण योजना का माडल और विद्यार्थी बैंक ऋण की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण के रूप में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण

विद्यार्थी ऋण योजना का स्वरूप और महत्व³

वर्तमान में विद्यार्थियों के बीच सामान्य और लुभावने तर्कों के कारण शिक्षा ऋण बहुत लोकप्रिय हुआ है। जबकि इसकी अंतर्निहित कमजोरियां भी हैं जो ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि मौजूदा दौर में विकासशील और विकसित दोनों दुनिया में उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत (शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च) से गरीब छात्रों को राहत देने के लिए ही विद्यार्थी ऋण कार्यक्रम लागू किया गया है।

^{3.} चूंकि ऋण की शर्तें और दशाओं का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर इसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

विद्यार्थी ऋण कार्यक्रम दुनिया के 80 देशों में चलाया जा रहा है। यद्यपि छात्रवृत्ति योजना के बिना उच्च शिक्षा लागत वसूली कार्यक्रम समतापूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। छात्रवृत्ति योजना ही सही मायने में शैक्षिक रूप से योग्य और गरीब विद्यार्थियों को वित्तीय समर्थन की गारंटी देती है। (साल्मी, 1992, तिलक 1997) इसके साथ-साथ पूँजी बाजार की अनिश्चितता, शैक्षिक निवेश के लिए सहसंबंधी प्रतिभूति की कमी यानि भुगतान क्षमता का अनिश्चय गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु ऋण लेने से हतोत्साहित करते हैं। भारत में उच्च शिक्षा हेतु गरीब छात्रों की मदद के लिए एक ब्याज मुक्त राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित थी। इस योजना की वसूली दर बहुत ही कम थी या लगभग शून्य थी और यह योजना अब चालू नहीं है।

दुनियाभर के बदलते परिदृश्य के अनुसरण में बैंकों द्वारा वर्तमान शिक्षा ऋण योजना बहुत लोकप्रिय हुआ है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक परिसंघ के परामर्श से 2001 में एक व्यापक ऋण योजना बनाई जिसे 2004-05 में संशोधित किया गया। वर्तमान में सभी राष्ट्रीय बैंक और दूसरे निजी बैंकों ने विभिन्न प्रकार के आकर्षक बैंक ऋण योजनाएं लागू की हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सहित दुनिया के कई देशों में मैट्रिक के बाद से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं। यद्यपि विद्यार्थी ऋण योजना में समानता लाने और उसका विस्तार करने के लिए लगभग सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एक माडल विद्यार्थी ऋण योजना लागू की गयी है।

विद्यार्थी ऋण योजना में शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, पुस्तकालय प्रभार, छात्रावास प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, यात्रा प्रभार, पुस्तक और वर्दी प्रभार पर होने वाले खर्च शामिल हैं। शिक्षा ऋण की राशि में बैंक-दर-बैंक में भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः देश में अध्ययन हेतु ऋण सीमा 10 लाख रुपए और विदेशों में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण की सीमा 20 लाख रुपए है। कुछ बैंक स्थिर और लचर ब्याज दर का चुनाव करने के विकल्प की पेशकश करते हैं। कुछ बैंक दैनिक या मासिक घटती राशि के आधार पर ब्याज लेते हैं जो उधारकर्ता के हित में होता है।

पात्रता मापदंड

विद्यार्थी ऋण के लिए योग्य होने हेतु, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और चयन प्रक्रिया से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत में अध्ययन के लिये, बैंक चार लाख रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के देता है। 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख रुपये तक का ऋण थर्ड पार्टी समझौते के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा

के रूप में लिया जाता है। थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती अगर छात्र के माता-पिता संलग्न बैंक के कर्मचारी होते हैं। 7.5 लाख रुपये से ऊपर के ऋण हेतु वास्तविक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह ऋण 5% लाभ के साथ जारी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जारी की गई ऋण राशि से 5% काट लिया जाता है। चार लाख रुपये से ऊपर के ऋण के लिए लाभ 5 से 15% हो जाता है। ब्याज दर आधार दर के तदनुसार तय किया जाता है। 4 लाख तथा 7.5 लाख रुपये से ऊपर के ऋणों पर ब्याज दर बुनियादी दर के ऊपर 3% तक होता है। यह दर लड़कियों के लिये 0.5% कम होता है। अगर अध्ययन के दौरान ब्याज लौटाया जाता है तो बैंकों द्वारा 1% की रियायत की जाती है। यह सुविधा तब दी जाती है अगर भुगतान से पहले अधिस्थगन अवधि के अंतर्गत ऋण चुकता किया जाता है। विदेश में पढ़ने के लिये 2 लाख या उससे ऊपर की ऋण राशि सावधि जमा राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र या फिर उससे ऊपर की ऋण राशि सावधि जमा, राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र या फिर इतनी ही कीमत की संपत्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। यहां पर लाभ की राशि 15 प्रतिशत होती है। इसके अतिरिक्त, 4 लाख से नीचे की राशि हेतु 10.5% का प्रभार लिया जाता है, जबकि 4 लाख से ऊपर की राशि के लिए एक प्रतिशत अधिक लिया जाता है। भारतीय रिज़व बैंक विशिष्ट (राशि, दर तथा भुगतान की अवधि) शिक्षा ऋण के लिये तय करता है और सरकार बैंकों को इन ऋणों पर दो प्रतिशत की सहायता प्रदान करती है।

छात्र ऋण के लिये दस्तावेज़ों की सूची

पूर्ण रूप से भरा हुआ शैक्षिक ऋण आवेदन प्रपत्र, दाखिले का प्रमाण, छात्रवृत्ति, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए पात्रता इत्यादि व्यय की सारणी के साथ संस्थान की विवरणिका, पासपोर्ट-साईज फोटो, उधारकर्ता का पिछले छह महीने के बैंक खाते का ब्यौरा जमा किया जाना चाहिए। अगर उधारकर्ता आयकर-दाता है, तो उसे पिछले दो वर्ष के आयकर-रिटर्न का ब्यौरा भी देना होगा, परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूची और अगर कोई सह उधारकर्ता है तो उसके आय का प्रमाण (वेतन पर्ची, फार्म 16 इत्यादि) देना होगा। अगर आवश्यक है तो विदेशी विनियम परमिट की प्रतियां भी देनी होंगी।

पुनर्भुगतान

सैद्धांतिक रूप से ऋण अध्ययन की जगह के आस-पास से ही लेना चाहिए, अगर यह विदेशी अध्ययन से संबंधित नहीं है। यह निधि प्राप्ति में सुगमता प्रदान करता है। जिन पाठ्यक्रमों में रोजगार संभावनाएं कम हैं (बैंक मूल्यांकन के अनुसार), ऋण अभिभावकों

को आय के आधार पर दिया जाता है। भारतीय बैंक संघ ने आर.बी.आई. मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हाल में ही छात्र ऋण की शर्तों और दशाओं में संशोधन किया है।

कर निहितार्थ

मौजूदा आयकर अधिनियम की धारा 80 (ई) के तहत, व्यक्ति को शिक्षा ऋण पर ब्याज की कुल राशि के लिए कर से छूट दी गई है। यह राशि सीधे करदाता की आय में से काटी जाती है। छात्र ऋण को एक विशाल अप्रयुक्त क्षमता के रूप में हाल के वर्षों में देखा जा रहा है। लगभग देश के हर प्रमुख बैंक में किसी न किसी रूप में छात्र ऋण की योजना उपलब्ध है। बैंक अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए ऋण वापसी की अवधि के मामले में इस ऋण का लचीलापन बढ़ा रही है। इस प्रकार, छात्र ऋण के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन छात्रों के लिए समझदारी का निर्णय है।

विद्यार्थी ऋण का विस्तार

शिक्षा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण हेतु प्राथमिकता को 18 क्षेत्रों में से शिक्षा एक प्रमुख क्षेत्र है⁵, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देने पर प्रकाशित आंकडे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक ही सीमित हैं और शिक्षा ऋण के खातों और राशि की संख्या से संबंधित हैं (बकाया राशि)⁶। भारत में बैंकिंग की प्रगति और रुझान (2008-09) के अनुसार, मार्च 2009 तक, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक और 27 विदेशी बैंक शिक्षा ऋण उपलब्ध करा रहे थे। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शिक्षा क्षेत्र को ऋण देने पर प्रकाशित आंकडे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीमित हैं और खातों और शिक्षा ऋण की राशि की संख्या से संबंधित है (यानि बकाया राशि)। तालिका-5, 1990-91 से 2009-10 तक छात्र ऋण की वृद्धि को दर्शाती है।

5. प्राथमिकता के अन्य क्षेत्र हैं: (i) कृषि (ii) लघु उद्योग (iii) बड़े और छोटे उद्यम (iv) औद्योगिक एस्टेट की स्थापना (v) लघु सड़क और जल यातायात (vi) आपरेटर्स और खुदरा व्यापार (vii) लघु व्यापार (viii) पेशागत और स्वरोजगार व्यक्ति (ix) माइक्रो कैंडिट (x) उपभोग (xi) अन्य प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने वाले राज्य प्रायोजित निगम/संगठन (xii) अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आगत की खरीद और आपूर्ति और आगत मार्केटिंग के लिए राज्य प्रायोजित संगठन (xiii) गृह, ऋण (xiv) आर.आर.बी. को निधि (xv) स्वयं सेवी समूह को अग्रिम (xvi) साफ्टवेयर इंडस्ट्री को अग्रिम (xvii) खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को अग्रिम

6. मार्च 2009 को आर.बी.आई. में उपलब्ध अनंतिम आंकड़े के अनुसार निजी बैंकों से शिक्षा क्षेत्र को ₹. 797 करोड़ ऋण प्राप्त हुए जो सभी प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण का मात्र 0.42% है

पिछले कुछ वर्षों में, तालिका-5 से देखा जा सकता है कि देश में खातों की संख्या की वार्षिक वृद्धि दर के मामले में व्यापक उतार-चढ़ाव दिखा है। 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1997-98, और 1999-2000 में वार्षिक वृद्धि नकारात्मक, 1993-94 में शून्य और अन्य शेष वर्षों में सकारात्मक रही। दूसरी ओर सकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर से पता चलता है की ऋण की राशि में वृद्धि हुई है। हालांकि, वार्षिक वृद्धि दर में विविधता से ऋण की राशि की वार्षिक वृद्धि में निरंतरता की कमी का संकेत मिलता है।

तालिका-5 भारत में छात्र ऋण की वृद्धि

वित्तीय वर्ष (मार्च से अप्रैल)	छात्र ऋण खातों की संख्या (हजार में)		बकाया राशि छात्र ऋण		कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण रु. करोड़ में	कुल प्राथमिक क्षेत्र के ऋण में से विद्यार्थी ऋण का प्रतिशत
	संख्या	वार्षिक वृद्धि (%)	रु. करोड़ में	वार्षिक वृद्धि (%)		
1990-91	70	-2.78	77	14.93	-	-
1991-92	69	-1.43	106	37.66	44692	0.24
1992-93	66	-4.35	117	10.38	48384	0.24
1993-94	66	0.00	132	12.82	52945	0.25
1994-95	70	6.06	158	19.70	60802	0.26
1995-96	74	5.71	183	15.82	69606	0.26
1996-97	114	54.05	280	53.01	78719	0.36
1997-98	82	-28.07	329	17.50	90738	0.36
1998-99	137	67.07	450	36.78	104094	0.43
1999-00	80	-41.61	543	20.67	127478	0.43
2000-01	112	40.00	1028	89.32	149116	0.69
2001-02	157	40.18	1527	48.54	171485	0.89
2002-03	239	52.23	2870	87.95	200169	1.43
2003-04	347	45.19	4179	45.61	244456	1.71
2004-05	470	35.45	6398	53.10	307046	2.08
2005-06	641	36.38	10804	68.87	409748	2.64
2006-07	1002	56.32	14012	29.69	521376	2.69
2007-08	1298	29.54	19844	41.62	610450	3.25
2008-09 ^a	1580	21.73	26913	35.62	720083	3.74
2009-10 ^a	1615	2.21	27799	32.92	967416	2.87

^a अनंतिम

स्रोत: रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के विभिन्न अंक (ग्रामीण योजना और ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल प्राथमिकता उधार क्षेत्र में से, छात्र ऋण 2001-02 तक की अवधि के दौरान कम से कम एक प्रतिशत रह गई है। हालांकि, 2001-02 के बाद, समग्र प्राथमिकता उधार क्षेत्र के अनुपात के रूप में छात्र ऋण में सुधार हुआ है।

ओडिशा में बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण

उड़ीसा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र ऋण पर चर्चा करने से पहले, इस राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति पर संक्षिप्त रूप में विचार करना आवश्यक है।

ओडिशा में उच्च शिक्षा का विकास

ओडिशा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या के उच्चतम अनुपात के साथ देश के पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना, 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के साथ इसे और अधिक पिछड़ा क्षेत्र बनाती है। आदिवासी क्षेत्र में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अंतर्गत महिला साक्षरता दर अभी भी 10 प्रतिशत से नीचे है। व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के संदर्भ में, राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति की जांच करना दिलचस्प होगा।

नए राज्य के रूप में 1936 में उड़ीसा का गठन किया गया था, तब राज्य में केवल पांच महाविद्यालय थे। इनमें से चार कला और विज्ञान कालेज थे और एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय था। 1943 में, उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए इसे शुरू किया गया। आजादी के समय केवल 11 कला और विज्ञान कालेज और एक मेडिकल कालेज था। कुल नामांकन 3885 था जिनमें से 219 लड़कियां थीं। कालेजों की संख्या पहली योजना (1950-51) की शुरुआत में 6252 के नामांकन के साथ, एक महिला कालेज सहित 14 की थी। आजादी के बाद उड़ीसा में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार के बावजूद राज्य अन्य राज्यों की तुलना में और राष्ट्रीय औसत की तुलना में पिछड़ा हुआ था। 2007-08 में उड़ीसा में 10 विश्वविद्यालय, दो मानद विश्वविद्यालय और दो अनुसंधान संस्थान थे। 1950-51 से 2007-08 के दौरान कालेज सात प्रतिशत की यौगिक वृद्धि दर से बढ़े। सभी प्रकार के संस्थानों की कुल संख्या में इसी अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नामांकन उच्च शिक्षा के लिए वृद्धि की मांग को दर्शाता है, संस्थानों के संदर्भ में 7.6 प्रतिशत से थोड़ा अधिक चक्रवृद्धि विकास दर के रूप में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में

तालिका-6
ओडिशा में उच्च शिक्षा का विकास (डिग्री स्तर और ऊपर)

वर्ष	विश्वविद्यालय	मानद विश्वविद्यालय	अनुसंधान संस्थान	कला-विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय (इंजी. आर्ट)	अन्य संस्थान	कुल संस्थान	उच्च शिक्षा में कुल नामांकन	शिक्षकों की संख्या
1950-51	1	0	0	14	0	15	6252	298
1986-87	5	0	0	367	79	451	103118	9570
1999-00	5	0	0	567	78	650	300720	17175
2001-02	8	0	0	567	132	707	341761	18436
2002-03	8	1	0	567	201	776	340796	19111
2003-04	8	1	0	567	204	779	348706	19534
2004-05	9	2	0	700	236	945	367187	20454
2005-06	9	2	3	702	218	929	413269	21134
2007-08	10	2	2	700	219	933	441131	22086
सी.जी.आर. (%)	4.05			6.98	4.74	7.37	7.61	7.76

सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2007-08 में लगभग नौ प्रतिशत रहा जो 13 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम रहा। यह अनुपात (जनसंख्या के प्रत्येक समूह के लिए करीब चार प्रतिशत) राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए बहुत कम है। तालिका-6 में ओडिशा में उच्च शिक्षा के विकास को प्रस्तुत किया गया है।

ओडिशा में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण

राज्य में शिक्षा का वित्त पोषण आजादी के बाद से एक आवर्ती समस्या हो गई। राज्य में शिक्षा के लिए आवंटित संसाधन सामान्य रूप में गुणात्मक और मात्रात्मक शिक्षा के विकास में, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए काफी अपर्याप्त हैं। उच्च शिक्षा पर कुल व्यय, राज्य में हमेशा राज्य के कुल व्यय से तीन फीसदी कम रहा है। यह वर्ष 2000-01 में 2.19 फीसदी था जबकि वर्ष 2008-09 में 2.13 फीसदी रहा। वर्ष 2009-10 में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में मामूली सुधार है, लेकिन यह तीन प्रतिशत से कम है।

इतना ही नहीं राज्य के कुल व्यय में से उच्च शिक्षा पर होने वाला खर्च बहुत कम रहा है, यहाँ तक कि शिक्षा पर कुल खर्च में से उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुपात

तालिका-7

राज्य की आय और उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय

वर्ष	कुल व्यय के लिए (%) के रूप में उच्च शिक्षा पर व्यय	शिक्षा पर कुल व्यय के (%) के रूप में उच्च शिक्षा पर कुल व्यय	जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में उच्च शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत
2000-01	2.19	12.37	0.45
2001-02	2.99	18.75	0.74
2002-03	2.45	14.68	0.54
2003-04	2.25	14.29	0.43
2004-05	2.30	15.18	0.43
2005-06	2.35	15.29	0.44
2006-07	2.45	17.80	0.46
2007-08	2.45	16.18	0.48
2008-09	2.13	14.42	0.46
2009-10(p)	2.90	16.14	0.60

स्रोत: बजट दस्तावेज़, ओडिशा सरकार, विभिन्न वर्ष

p. = अर्नंतिम

बहुत उत्साहजनक नहीं है। यह 2000-01 में 12.37 प्रतिशत था और वर्ष 2009-10 में इसमें 16 फीसदी से अधिक की एक छोटी सी वृद्धि हुई है। राज्य की आय में से शैक्षिक खर्च की हिस्सेदारी की जांच कर सकते हैं और यह पता चलता है कि जीएसडीपी का एक प्रतिशत से भी कम उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है। यह 2000-01 में जीएसडीपी का 0.45 प्रतिशत था और 2009-10 में 0.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तालिका-7 उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च को दर्शाता है।

अगर हम शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन पर नजर डालें तो यह पता चलेगा कि प्राथमिक शिक्षा को हमेशा सर्वोच्च हिस्सेदारी प्राप्त हुई है और उच्च शिक्षा के लिए सबसे कम हिस्सेदारी रही है। वास्तव में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन कम रहा है, बल्कि, उच्च शिक्षा पर व्यय स्थिर रहा है। यह तालिका-8 में स्पष्ट है।

तालिका-8 शिक्षा पर अंतर-क्षेत्रीय व्यय

वर्ष	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	अन्य	कुल
2002-03	58.33	25.90	14.67	1.10	100
2003-04	58.69	25.49	14.30	1.52	100
2004-05	57.61	26.15	15.83	0.41	100
2005-06	55.61	28.29	15.31	0.79	100
2006-07	56.76	26.54	15.61	1.09	100
2008-09	56.09	27.44	14.68	1.79	100
2009-10(आर.ई.)	55.08	26.35	16.68	1.99	100
2010-11(बी.ई.)	55.01	26.57	16.13	2.29	100

उच्च शिक्षा के लिए बैंक ऋण : सर्वेक्षण आंकड़ों का विश्लेषण

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह जानकारी भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेने वाले 60 छात्रों के एक प्रतिदर्श से एकत्र की गयी है। ऋण धारकों की सामाजिक, आर्थिक जानकारी और अन्य जानकारी एकत्र की गयी और विश्लेषण किया गया।

सामाजिक समूहों और लिंग के आधार पर ऋण धारक

ऋण धारकों की आधे से अधिक आबादी सामान्य जातियों की है, 40 फीसदी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, केवल तीन प्रतिशत अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं।

पिछड़ी जातियों का बैंक से ऋण प्राप्त करने का अनुपात सबसे कम है। कुल ऋण धारकों में से 73 प्रतिशत पुरुष हैं, जबकि बाकी महिलाएं हैं। तालिका-9 सामाजिक समूहों और लैंगिक और जातीय आधार पर ऋणधारकों को प्रस्तुत करता है।

तालिका-9

जाति और लिंग के आधार पर ऋण धारक

लिंग	जाति वर्ग			
	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल
पुरुष	59.1	36.4	4.5	73.33
स्त्री	37.5	62.5	-	26.67
कुल	53.3	43.3	3.3	100.00

स्रोत: स्वयं सर्वेक्षण

लैंगिक और शिक्षा के अनुसार ऋण

एमबीबीएस की डिग्री के लिए सबसे अधिक औसत ऋण राशि है, जबकी इसके बाद सबसे अधिक ऋण एम.टेक. की डिग्री के लिए जारी किया गया। ऋण की न्यूनतम राशि डिप्लोमा कोर्स के लिए जारी की गयी है। लैंगिक आधार पर पुरुषों के समकक्ष, ऋण

तालिका-10

शिक्षा के प्रकार और लिंग के आधार पर ऋण

शिक्षा	औसत ऋण (रु.) में		
	पुरुष	स्त्री	कुल
एम. टेक	860000	-	860000
बी.टेक	233962	175236	409198
एमबीबीएस	925000	400000	1325000
एमसीए	-	121400	121400
बीडीएस	547500	-	547500
डिप्लोमा	80000	34000	114000
एमबीए	261027	-	261027

स्रोत: स्वयं सर्वेक्षण

हमेशा महिलाओं के लिए कम ही जारी किया गया है। बैंक ऋण समता उन्मुख है। यह आम धारणा हमारे अनुभवजन्य आंकड़ों के अनुसार सही प्रतीत नहीं होती है। जनसंख्या के इन समूहों के लिए बैंकों द्वारा कोई विशेष योजना नहीं है। यह महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रभावित करता है, साथ ही साथ यह सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी प्रभावित करता है।

पिता के व्यवसाय के अनुसार शिक्षा ऋण

दो तिहाई ऋण उनको दिया गया जिनके पिता सेवा क्षेत्र से हैं और 30 प्रतिशत व्यापार समुदाय के छात्रों को ऋण दिया गया और कृषक परिवार के छात्रों को क्रमशः केवल तीन प्रतिशत ही छात्र ऋण दिया गया। कृषक परिवार से संबंधित छात्रों द्वारा लिए गए ऋण की राशि न केवल सबसे कम है, बल्कि यह डिग्री स्तर से नीचे डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए लिया गया था। यह सामर्थ्य और शिक्षा के पूरा होने पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाने में पिता के पुनर्भुगतान क्षमता के कारण हो सकता है। अध्ययन के पूरा होने के बाद उनके बच्चों को नौकरी प्राप्त होगी अभिभावक इस उम्मीद के साथ उच्च पेशेवर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। चूंकि यह पाठ्यक्रम महंगे हैं, वे बैंक ऋण लेना पसंद करते हैं जो अभिभावकों द्वारा पुनर्भुगतान की गारंटी के कारण उन्हें आसानी से उपलब्ध है। तालिका-11 में अभिभावक के व्यवसाय अनुसार ऋण धारकों के वितरण को दर्शाया गया है:

तालिका-11

पिता के व्यवसाय के अनुसार ऋण

शिक्षा ऋण का प्रकार	अभिभावक का व्यवसाय			
	नौकरी	व्यवसाय	खेती	कुल
बी.टेक	66.67	33.33	0.00	50.00
बीडीएस	100.00	0.00	0.00	6.67
डिप्लोमा	50.00	0.00	50.00	6.67
एम. टेक	100.00	0.00	0.00	6.66
एमबीए	50.00	50.00	0.00	13.33
एमबीबीएस	66.67	33.33	0.00	10.00
एमसीए	50.00	50.00	0.00	6.67
कुल	66.67	30.00	3.33	100.00


परिवारों की आय के अनुसार ऋण

यह स्पष्ट है कि ऋण की राशि और परिवार की आय सीधे जुड़े हुए हैं। आय का स्तर बढ़ने के साथ, ऋण की राशि भी बढ़ जाती है। तालिका-12 और चार्ट -1 ऋण और परिवारों की आय के स्तर को प्रस्तुत करते हैं:

तालिका-12
आय समूह के अनुसार ऋण

परिवार की आय का स्तर (₹)	ऋण का अनुपात राशि (₹)
<=50000	150000.0
150000-350000	257742.1
350001-500000	294110.8
>500000	388000.0

चार्ट-1
आय समूह के अनुसार ऋण की औसत राशि (₹)



जमानत के साथ ऋण और ऋण के बकाएँदार

बैंकों के परीक्षण के दौरान हमने पाया कि चार लाख तक ऋण के लिये जमानत की आवश्यक नहीं है परंतु 4 लाख से अधिक ऋण के लिये कुछ जमानत आवश्यक है। यह देखा जा सकता है कि अपने प्रतिदर्श ग्राहकों में यह मानक क्रमानुसार ही है। 57% से

अधिक ऋणधारकों ने बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त किया जबकि 43% ने जमानत के साथ ऋण लिया, क्योंकि इनके ऋण की राशि 8 लाख से अधिक थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन बकाएदारों का अनुपात अधिक है जिनकी कोई जमानत नहीं है। बिना जमानत के बकाएदारों का प्रतिशत 29% है जबकि जमानत के साथ यह केवल 7% है। अगर वह ऋण वापस करने में असमर्थ होते हैं तो बैंक उनकी प्रतिभूति जब्त कर सकता है। तालिका-13 में इसे स्पष्ट दर्शाया गया है:

तालिका-13 बिना जमानत और जमानत सहित ऋण धारक

सहायक	ऋण धारकों का प्रतिशत	ऋण औसत रु. में	बकाएदारों का प्रतिशत
बिना जमानत	57	349078.06	29
जमानत के साथ	43	884694.46	7


इसके अलावा यह भी पाया गया है कि बेहतर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में ऋण का बकाया अधिक है। यह हमारे अनुभवजन्य अध्ययन से स्थापित है। तालिका 14 और चार्ट-2 में आय, व्यवसाय और ऋण धारकों की बकाया राशि के संबंध को दर्शाया गया है। यह पाया गया है कि सेवा-व्यवसाय और परिवार की उच्च औसत आय के संबंध में बकाया राशि भी सबसे अधिक है। कम आय के साथ कृषि व्यवसाय वाले परिवार में बकाया सबसे कम है। इससे यह पता चलता है कि बैंक न केवल सुनिश्चित आये वाले समूह को बल्कि उच्च आय वाले समूह को ऋण स्वीकृत करते हैं, जो शिक्षा की समानता के लिए खतरा है।

तालिका-14 पिता की आय और व्यवसाय के अनुसार बकाया राशि

व्यवसाय	औसत आय (रु.)	औसत बकाया राशि (रु.)
नौकरी	205971	17759
व्यवसाय	150000	7287
कृषि	114500	5250

चार्ट-2

आय तथा व्यवसाय के आधार पर ऋण की बकाया राशि



ब्याज की दर और ऋण का आकार

छात्रों को ऋण की मंजूरी देते हुए बैंक ब्याज की दर में बदलाव रखते हैं। ब्याज दर आठ प्रतिशत से चौदह प्रतिशत होता है। ऋण की राशि और ब्याज की दर में व्युतक्रम संबंध होता है जो कि तालिका-15 में स्पष्ट है:

तालिका-15
ब्याज की दर और ऋण की राशि (₹.) में

ब्याज की दर (₹)	ऋण की राशि (₹)
$\geq 8 \text{ and } \leq 10$	6376828
$\geq 10 \text{ and } \leq 12$	2014527
$\geq 12 \text{ and } \leq 15$	1288000

अधिस्थगन अवधि और ऋण की अदायगी की अवधि

ऋण की अधिस्थगन अवधि 24 से 72 महीनों की होती है, जो अध्ययन की अवधि के बाद शुरू होती है। ऋण रियायती अवधि में इस धारणा के साथ छात्रों को दिया जाता है कि एकदम नौकरी नहीं लग जाती। ऋण की अदायगी की अवधि न्यूनतम 36 महीने के साथ अधिकतम 84 महीने के लिए दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि ऋण धारकों को ऋण

तालिका-16

बैंक द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार अधिस्थगन अवधि और किस्तों की संख्या

पाठ्यक्रम	अधिस्थगन अवधि (महीनों में)	अदायगी किस्तें (महीनों में)
बी.टेक	48-60	60-84
बीडीएस	70-72	80-84
डिप्लोमा	36-48	60
एम. टेक	24-36	84
एमबीए	24-36	48-84
एमबीबीएस	60-72	60-84
एमसीए	36	36

चुकाने के लिए पर्याप्त लचीलापन समय उपलब्ध है। न्यूनतम अधिस्थगन और न्यूनतम चुकौती अवधि जो 70 महीने (24 जमा 36) की होती है। यह व्यवस्था ऋण धारक को ऋण चुकाने के लिए काफी सुविधाजनक है।

सांख्यिकीय मॉडल का परिणाम

ऋण पर सामाजिक-आर्थिक चर का प्रभाव

जैसे पहले चर्चा की गयी है, हमने प्रतिगमन मॉडल के माध्यम से बैंक ऋण के निर्धारकों की जांच करने का प्रयास किया है। ऋण परिवार की आय और पिता के व्यवसाय से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है जबकि ब्याज दर से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। दोनों सह-चर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने मॉडल में जाति और लिंग दोनों चर को शामिल किया और दोनों चर ऋण के प्रभावशाली कारक सिद्ध नहीं हो पाए। सह-चर मूल्य बहुत नगण्य है और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं इसलिए हमने इनको हटा दिया। तालिका 17 में प्रतिगमन परिणाम प्रस्तुत है।

आय पर शिक्षा का प्रभाव

ऋण धारकों की शिक्षा का उनकी आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी जांच की गई। इसके लिए, हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स के केवल दो प्रकार को लिया क्योंकि हमें अन्य प्रकार और शिक्षा के स्तर की आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं

तालिका-17

विद्यार्थी ऋण पर सामाजिक-आर्थिक चरों के प्रभावों का प्रतिगमन परिणाम

निर्भर चर : ऋण राशि

चर	बी-गुणांक	टी
स्थिर	25648.2	8.858
पारिवारिक आय	67541.23	5.639*
पिता का व्यवसाय	23451.6	4.444*
ब्याज दर	-14471.5	-2.634**
समायोजित आर. स्क्वायर	0.522	

* और ** 1% तथा 5% पर क्रमशः महत्वपूर्ण

हुई। इन स्नातकों की शुद्ध आय ऋण चुकौती की राशि समायोजित करने के बाद ही मानी जाती है। निम्नलिखित मिनसेरियन (1974) आय चर लगाया गया:

$$\text{आय} = \text{च} (\text{शिक्षा, शिक्षा स्क्वायर}) = \alpha + \beta \text{ इडीएन} + \beta \text{ इडीएन स्क्वायर} + \text{यू}$$

परिणाम तालिका 18 और 19 में प्रस्तुत हैं।

तालिका-18

इंजीनियरिंग स्नातकों की आय पर शिक्षा के प्रभाव का प्रतिगमन परिणाम

निर्भर चर : ऋण धारकों की आय का रिकार्ड (इंजीनियरिंग स्नातक)

चर	बी-गुणांक	टी
स्थिर	14352.9	9.554*
शिक्षा	0.254	3.989*
शिक्षा स्क्वायर	-0.0012	5.577*
समायोजित आर स्क्वायर	0.576	
एन	60	

तालिका-19

सामाजिक-आर्थिक चर के प्रभाव और छात्र ऋण

निर्भर चर : ऋण धारकों की आय (मेडिकल स्नातक)

चर	बी-गुणांक	टी
स्थिर	1123.98	9.554
शिक्षा	0.198	2.987*
शिक्षा स्कवायर	-0.0003	-3.764*
समायोजित आर स्कवायर	0.511	
एन	60	

शिक्षा के लिए प्रतिगमन

कमाई चर के परिणामों से, इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्रतिगमन, चिकित्सा स्नातकों की तुलना में अधिक पाया गया। इन परिणामों को ओडिशा राज्य के लिए लेखक द्वारा किए गए अध्ययन में ऋण के बिना शिक्षा के प्रतिगमन के साथ तुलना की गई है। तालिका 20 में ऋण और ऋण के बिना शिक्षा के लिए प्रतिगमन की तुलना की गयी है।

प्रस्तुत अध्ययन में ओडिशा में शिक्षा के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातकों के लिए आय, वापसी की दर, बिना शिक्षा ऋण वाले छात्रों की तुलना में अधिक है। यह बैंकों के

तालिका-20


ओडिशा में चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्रतिगमन की दर

ओडिशा के लिए अध्ययन	शिक्षा के प्रकार	प्रतिफल दर (%)
ऋण के साथ अध्ययन	इंजीनियरिंग	25.4
	मेडिकल	19.8
बगैर ऋण का अध्ययन*	इंजीनियरिंग	10.38
	मेडिकल	12.1

*अध्ययन लेखक द्वारा किया गया

चार्ट-3

ओडिशा में चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए प्रतिगमन का प्रतिशत



ऋण धारकों की आय को प्रभावित करने में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह दो कारणों से है (i) ऋण के बिना अपने अध्ययन पूरा करने वाले छात्रों की लागत सीधे उनके अधिभावकों द्वारा वहन की जाती है और यह बैंक ऋण की तुलना में अधिक हो सकता है, (ii) बैंक छात्रों और संस्थानों की योग्यता को पहली प्राथमिकता देता है। संस्था अच्छा वेतन पैकेज के साथ रोजगार के बाजार में अपने छात्रों को रखने के लिए सक्षम है, तो छात्रों की कमाई न केवल अधिक रहती है, बल्कि विशेष कोर्स में छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करती है। उनकी आय अध्ययन के पूरा होने पर तुरंत प्रारम्भ होती है। ऋण स्वीकृति के लिए शर्तों में से एक शर्त यह है कि संस्था अच्छी ख्याति की होनी चाहिए।

सारांश और समापन टिप्पणियां

भारत में उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण विकास के बावजूद, देश कई विकासशील देशों से पीछे है। उच्च शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक, विशेष रूप से 1990 में आर्थिक सुधारों के बाद, संसाधनों की कमी है। देश, उच्च शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत खर्च करता है और पिछले कुछ वर्षों में, यह स्थिर रहा है या कम हुआ है।

ओडिशा, तीव्र गरीबी के साथ देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक होने के नाते, विशेष रूप से, सामान्य रूप में, अपनी शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के वित्त पोषण

की समस्या से जूझ रहा है। उच्च शिक्षा पर राज्य का खर्च 2000-01 में अपने जीएसडीपी का आधा प्रतिशत भी नहीं था और वर्ष 2009-10 में इसमें 0.60 की वृद्धि हुई। वर्तमान में ज्ञान क्रांति की चुनौतियों का सामना करने के लिए यह निहायत अपर्याप्त है। शिक्षा के लिए संसाधनों का अंतर - आवंटन दर्शाता है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटन उच्चतम और उच्च शिक्षा के लिए सबसे कम है।

शिक्षा के लिए ऋण वित्तपोषण, वित्त के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में, हाल ही में उभरा है। यह पाया गया है कि छात्रों के लिए बैंक ऋण वित्त ज्यादातर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दिया जाता है सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान बैंक वित्त पोषण की प्राथमिकता सूची में नहीं हैं। इन क्षेत्रों को चुनने वाले छात्र बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इन शाखाओं के प्रति छात्रों की रुचि कम हो रही है। योग्यता के बाद, माता-पिता की आय ऋण की मंजूरी के लिए बैंकों के मुख्य मानदंड हैं। इससे योग्यता वाले गरीब छात्रों को, इस सुविधा से वंचित रह जाने की संभावना है। इसके अलावा, बैंक ऋण योजनाओं में पिछड़ी जातियों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। इन सभी से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समता बल्कि जनसंख्या के विभिन्न समूहों में समता बनाना मुश्किल है। इसलिए, यह धारणा कि उच्च शिक्षा में समता का उद्देश्य ऋण वित्तपोषण के माध्यम से दूर हो जाता है, एक अस्थिर धारणा सिद्ध हो रही है।

नमूना सर्वेक्षण के प्रतिदर्श दर्शाते हैं कि (i) बैंक ऋण उच्च आय अर्जन परिवार और पिता के व्यवसाय की आय से संबंधित है। यह इंगित करता है कि ऋण उच्च शिक्षा में असमानता की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, (ii) आधे से अधिक ऋण धारक सामान्य जातियों के हैं और केवल तीन प्रतिशत अनुसूचित जातियों के हैं, (iii) लैंगिक आधार पर देखेंगे, हमेशा ऋण का तीन-चौथाई भाग पुरुष छात्रों के लिए चला जाता है और बाकी महिला छात्रों के लिए जारी किया गया है, (iv) औसत ऋण राशि एम.टेक. एमबीबीएस डिग्री के बाद एम.टेक. की डिग्री के लिए सबसे अधिक है। ऋण की न्यूनतम राशि डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए जारी की गयी है। वर्तमान अध्ययन के अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं हैं कि बैंक ऋण उच्च शिक्षा के समता मापदंड के सामाजिक उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि जमानत के बिना बकाया भुगतान 29% है और जमानत के साथ ऋण के मामले में बकाया भुगतान केवल सात प्रतिशत है, (ii) ऋण के

चूककर्ताओं में बेहतर आर्थिक स्थिति वाले परिवार अधिक हैं। बकाया की सबसे अधिक राशि सेवा धारकों के बीच और सबसे कम किसानों के बीच पायी गई है।

ऋण धारकों की शिक्षा के संदर्भ में आय, शिक्षा ऋण के बिना पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में अधिक है और यह पक्ष बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। वर्तमान राजकोषीय तंगी के संदर्भ में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के कई विकल्पों में से एक उच्च शिक्षा के लिए ऋण वित्तपोषण को माना जा सकता है। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है:

(1) समता मापदंड

शिक्षा के क्षेत्र में समता का सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा विविधता पूर्ण ब्याज दर तैयार किया जा सकता है। इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। मौजूदा दर में बहुत नगण्य अंतर (0.5% से 1.0%) है।

(2) मानव शक्ति की जरूरत

ऋण योजनाएं राष्ट्रीय जनशक्ति प्राथमिकता (डाक्टरों, शिक्षकों) के क्षेत्र में और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए छात्रों को सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित हो सकती हैं।

(3) राज्य विश्वविद्यालयों का हित

सिद्धांत रूप में, निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला हेतु छात्रों के लिए शिक्षा ऋण निजी विश्वविद्यालयों के विकास को सुनिश्चित करता है। इसलिए, इन विश्वविद्यालयों से अच्छी गुणवत्ता वाले छात्रों को वापस लेने के लिए यह एक हतोत्साहित कारक के रूप में कार्य करता है। इसलिए निजी विश्वविद्यालयों के लिए उच्च ब्याज दर के साथ गैर रियायती ऋण की शुरूआत राज्य विश्वविद्यालयों और छात्रों को आकर्षित कर सकती है।

(4) ऋण योजनाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन

व्यक्तिगत ऋण योजनाओं की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए एक मानक दृष्टिकोण के अभाव में ऋण योजनाओं की सतत मूल्यांकन की एक प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है।

अंत में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बैंक ऋण को उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में, इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय/सब्सिडी। केवल बैंकों द्वारा ही ऋण वित्तपोषण विस्थापित न किया जाए। क्षेत्रीय/सामाजिक विषमताएं वाले एक कम विकसित क्षेत्र (यहां ओडिशा) के संदर्भ में उच्च शिक्षा में सरकार के वित्तपोषण के बोझ को खत्म करने के एक विकल्प की बजाये शिक्षा ऋण को एक पूरक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

- चुंग, वाई.पी. (2003): द स्टूडेंट लोन्स स्कीम इन हांगकांग. बैंकॉक: आईआईईपी; यूनेस्को बैंकाक।
 ड्यूक, सी. और जेनी विलियम्स (संपा.) (1998): नेगोसिएटिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन: द डिस्कोर्स आफ स्लैक्टिविटी एंड इक्विटी, हायर एजुकेशन, 36(1): 117-118।
 दुंडर, एच और लुईस, डी.आर. (1999): इक्विटी, क्वालिटी एंड एफिसिएंसी इफैक्ट आफ रिफार्म इन तुर्की हायर एजुकेशन पालिसी, 4(5): 1-24।
 गीता रानी, पी. (2002): फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द पोस्ट रिफार्म पीरियड: फोकस ऑन एक्सेस एंड इक्विटी, ओकेजनल पेपर नंबर 31, न्यूपा।
 जॉनस्टोन, डी.बी. (2003): कॉस्ट शेयरिंग इन हायर एजुकेशन: ट्यूशन, फाइनेंसियल असिस्टेंस एंड एसेसिबिलिटी इन ए कम्प्रेटिव पर्सप्रेक्टिव, सेंच सोशियोलॉजिकल रिव्यू 39(3):351-374।
 किम, ए.; वाई. ली (2003): स्टूडेंट लोन्स स्कीम इन रिपब्लिक आफ कोरिया: रिव्यू एंड रिकमंडेशंस बैंकाक: आईआईईपी; यूनेस्को बैंकाक।
 किटेव, आई.; टी. नदुराया, वी. रेसौरेक्सन, एफ. बरनाल (2003): स्टूडेंट लोन्स इन द फिलीपींस: लैंसन फ्राम द पास्ट. बैंकॉक: आईआईईपी; यूनेस्को बैंकाक।
 करिवो, एम.टी. (2007): वाइडनिंग एक्सेस इन हायर एजुकेशन इन जिम्बाब्वे, हायर एजुकेशन पालिसी, 20(1): 45-59।
 मिन्सर, जे. (1974): स्कूलिंग, एक्सीरियंस एंड अर्निंग, (एनबीईआर), न्यूयॉर्क।
 नारायण, एम.आर. (2005): स्टूडेंट लोन्स बाइ कमर्शियल बैंक्स-ए वे टू रिड्यूस स्टेट गर्वन्मेंट फाइनेंसियल सपोर्ट टू हायर एजुकेशन, जर्नल आफ डिलापिंग एरियाज, 38(2), स्प्रिंग, 171-87।
 पाणिग्रही, जुनीशा (2010): डिटरमिनेंट आफ एजुकेशनल लोन बाइ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया:

- एवीडेंस एंड इंप्लीकेशन बेस्ड आन ए सैम्पल सर्वे जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 24(4), (अक्टूबर), 379-400।
- सकरापाउलस, जी, टैन, जे.पी, एंड जिमेनेज, ई. (1986): फाइनेंसिंग एजुकेशन इन डिवलपिंग कंट्रीज, विश्व बैंक।
- रॉबिंस समिति (1963): उच्च शिक्षा समिति की रिपोर्ट, लंदन: एचएमएसओ
- साल्मी, जे. एंड ए.एम. हाफ्टमैन (2006): तृतीयक शिक्षा के वित्त पोषण में नवाचार: एक तुलनात्मक आवंटन तंत्र का मूल्यांकन।
- सान्याल, बी.सी. और एम. मार्टिन (2006): हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड 2006: द फाइनेंसिंग आफ युनिवर्सिटीज, चैप्टर फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन: इंटरनेशनल पर्सपैक्टिव, पृष्ठ 3-23। पालग्रेव मैकमिलन।
- शेन, एच. डब्ल्यू ली. (2003): अ रिव्यू आफ द स्टूडेंट लोन्स स्कीम इन चायना. बैंकऑक: आइआईपी; यूनेस्को बैंकाक।
- शेन, एच. (2004): “द मोस्ट अजेंट प्राब्लम इन स्टूडेंट लोन्स स्कीम इन चायना. रिपोर्ट.” इन हार्ड चायना रिव्यू, स्प्रिंग, 93-97
- तिलक, जे.बी.जी. (1992): स्टूडेंट लोन्स इन फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, हायर एजुकेशन, 23(4) (जून): 389-404।
- (1999): स्टूडेंट लोन्स एज द अन्सर टू लक आफ रिसेंसेस फार हायर एजुकेशन, इकानामिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 34(1-2) (जनवरी 2-15):19।
- (2003): हायर एजुकेशन एंड डिवलपमेंट इन एशिया जेपा 17 (2) (अप्रैल) 151-174।
- (2007): स्टूडेंट लोन्स एंड फाइनेंसिंग आफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, जेपा 21 (3) (जुलाई) 231-256।
- यूनेस्को (2003): हायर एजुकेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक 1998-2003, टैक्निकल रिपोर्ट, यूनेस्को, एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय ब्यूरो में उच्च शिक्षा।
- वर्गीज, एन.वी. (2004): प्राइवेट हायर एजुकेशन चैप्टर पैटनर्स आफ ऑनरशिप एंड ऑपरेशन आफ प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पेज 35-61 की। आइआईपी, यूनेस्को. 18
- वेल्श, ए.आर. (2006): बर्लिंग विज़न?: पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इन इंडोनेशिया. हायर एजुकेशन।
- विश्व बैंक (2005): प्रोजैक्ट इन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट (पीआईडी): अप्रेरेशल स्टेज. टैक्निकल रिपोर्ट एबी 1414, वर्ल्ड बैंक।

जाइडरमैन, ए (1999): द स्टूडेंट लोन्स स्कीम इन थाइलैंड: ए रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फार एफीसियंट एंड इक्वीटेबल फंक्शनिंग आफ द स्कीम. रिपोर्ट प्रेषेयर्ड फार यूनेस्को बैंकाक, एज पार्ट आफ द एशियन डवलपमेंट बैंक लोन प्रोग्राम, इन द फ्रेमवर्क आफ द एजुकेशन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस स्टडी (प्रोजेक्ट टीए 2997896-टीएचए), बैंकॉक: यूनेस्को

(2003): स्टूडेंट लोन्स इन थाईलैंड: आर दे इफैक्टिव, इक्वीटेबल, सस्टेनेबल? बैंकाक: आइआईपी; यूनेस्को, बैंकाक।

(साभार : जेपा, वाल्यूम XXVIII, नं.1, जनवरी 2014)

भारतीय जनजातीय समूहों के शैक्षिक विकास में असमानताएँ: उत्तराखण्ड के जनजातीय समूहों का अध्ययन

ज्योत्स्ना सोनाल*

संक्षेप

भारत सरकार, अनुसूचित जनजाति को एक पिछड़े वर्ग के रूप में स्वीकार करती है। अनुसूचित जनजाति के बीच शिक्षा के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिये सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के प्रारंभ होने के बावजूद, केवल कुछ आदिवासी समुदाय ही इनका लाभ उठा पाए हैं और अधिकतर समुदायों का विकास अपेक्षाकृत नहीं हो पाया है। अनुसूचित जनजातियां, भारत में असमान अनुपात में फैले हुई हैं और विकास के विभिन्न स्तर पर यह लेख विभिन्न अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रकाश डालता है। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजातियां अन्य राज्यों की जनजातियों के मुकाबले शैक्षिक रूप से बहुत अच्छा कर रही हैं। इसके बावजूद उत्तराखण्ड के सभी आदिवासी समुदाय विकसित नहीं हैं; उनके बीच आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत भिन्नता है। इसके अलावा यह लेख विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाएं जो कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के लिये लागू हैं, की समीक्षा करता है।

परिचय

शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिये एक अनिवार्य पहलू है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। शिक्षा की भूमिका, ज्ञान कौशल और व्यवहार तथा मूल्यों का सही प्रकार से विकास करना है। पिछले छः दशकों में आजादी के बाद, देश ने आर्थिक और सामाजिक विकास में लगातार प्रगति की है। इस प्रगति ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त योगदान दिया है। हालांकि यह सुधार बहुत असमान स्थिति में हुआ है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में विकास बहुत धीमा नहीं है,

*शोध छात्र, न्यूयार्क।

बल्कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में भी असमानता पाई गई है। अनुसूचित जनजाति सबसे वंचित एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जो भौगोलिक अलगाव के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी धीमी प्रगति से ग्रस्त है।

भारत में अनुसूचित जनजाति देश की कुल आवादी के 8.6% (2011 की जनगणना) है। यह अनुसूचित जनजाति समूह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में एक-दूसरे से अलग है और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। भारत में कुल 570 जनजातीय समूह हैं जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। (2011 की जनगणना)। नौ राज्यों—में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भारत की कुल जनजाति का 4/5वां हिस्सा रहता है। शिक्षा अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष महत्व रखती है। शिक्षा सिर्फ आर्थिक विकास की संभावनाओं को ही बेहतर नहीं बनाती, बल्कि आत्म-विश्वास को भी बढ़ावा देती है और सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने में, चुनौतियों का सामना करने के लिये, कौशल प्राप्त करने में मदद करती है। भौगोलिक अलगाव के कारण, भारत में जनजातीय समूह शिक्षा की प्रक्रिया से वंचित रहे। स्वतंत्रता के बाद से इन अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये सरकार ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं को अपनाया, जैसे—प्रोत्साहन राशि, विशेष संस्थाएं, आरक्षण आदि। हालांकि यह विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है जिससे अभी भी जनजातीय बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज्यादा है और बच्चे स्कूल की शिक्षा को पूरा करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे हैं। जबकि हाल के दिनों में प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है लेकिन ड्राप-आउट (विद्यालय त्याग) के संदर्भ में कोई सुधार नहीं हुआ है। बच्चों का स्कूल में दाखिला तो हो रहा है, लेकिन वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पूरा नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के स्कूलों के अध्ययन के दौरान देखा गया है कि बच्चों का पंजीकरण तो हैं किंतु अधिकतर जनजातीय बच्चे अनुपस्थित रहते हैं (सुजाता, 1995)। छात्रों की अनुपस्थिति का मुख्य कारण भाषा, पाठ्यक्रम और स्कूल गुणवत्ता को माना जा रहा है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल से बाहर बच्चों का अनुपात गैर-आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी बच्चों से अधिक है। इसके पीछे मुख्य कारक हो सकते हैं— सीमित शैक्षिक सुविधाएं, पहाड़ी क्षेत्रों की कठिनाईयां, जलवायु संबंधी कठिनाईयां, आदि सरकार की सुरक्षात्मक भेदभाव संबंधी कठिनाईयां। सरकार की सुरक्षात्मक भेदभाव और विकास कार्यक्रमों की नीति अपेक्षाकृत बेहतर अनुभाग की जनजातियों को कुछ राहत देने में सफल रही हैं किंतु

जीवन के सभी क्षेत्रों में चरम पर जीवनयापन करने वाले आदिवासी लोगों के लिये यह प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाई है। ग्रामीण भारत में सामाजिक, आर्थिक हाल बच्चों के बीच शिक्षा के अभाव का प्रमुख कारण है।

संवैधानिक उपाय

अनुसूचित जनजाति के लोगों के भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करने के लिये, भारतीय संविधान में विभिन्न लेख शामिल किए गए हैं:

1. पांचवी अनुसूची में प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल है औद छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
2. अनुच्छेद 15(4) में नागरिक की या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए और किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने का राज्य को अधिकार है।
3. अनुच्छेद 29(1) में भारत के नागरिकों को उनके विशेष भाषा, लिपि या अपनी खुद की संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। यह लेख सभी अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष महत्व रखता है।
4. अनुच्छेद 46 के राज्य निर्देशक सिद्धांतः प्रत्येक राज्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों – विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा जनजाति को बढ़ावा देगा और उनके सभी शोषणों से रक्षा करेगा।
5. अनुच्छेद 350 में प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश के लिए प्रर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा। अधिकतर आदिवासी समूहों की अपनी स्वयं की भाषा होती है जो राज्य की सरकारी भाषा से अलग होती है।

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, भाग और साक्षरता दर

अनुसूचित जनजाति के समूह पूरे भारत में फैले हैं। हालांकि कुछ राज्यों में जनजातीय लोगों की जनसंख्या का भाग कुल जनसंख्या से अधिक है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या के मुकाबले जनजातीय लोगों की संख्या बहुत कम है। यहाँ हम राज्यवार जनजातीय लोगों का प्रतिशत, भारत की कुल जनजाति के मुकाबले दर्शाएंगे।

तालिका-1

राज्यवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अन्तर

राज्य	जनजाति जनसंख्या (%) में
मध्य प्रदेश	14.7%
महाराष्ट्र	10.1%
ओडिशा	9.2%
राजस्थान	8.9%
गुजरात	8.6%
झारखंड	8.3%
छत्तीसगढ़	7.5%
आंध्र प्रदेश	5.7%
पश्चिम बंगाल	5.1%
कर्नाटक	4.1%
असम	3.7%
मेघालय	2.5%
बाकी सभी राज्य	11.6%

(स्रोत: जनगणना 2011)

तालिका-1 अनुसूचित जनजाति का असमान वितरण दर्शाती है। भारत की कुल जनजाति में से 14.7% जनजाति मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र (10.1%), ओडिशा (9.2%), राजस्थान (8.9%), गुजरात (8.6%) और झारखंड (8.3%) का स्थान है। सामान्यतः कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ जनजाति की जनसंख्या 1% से भी कम है जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा आदि राज्य हैं।

कुछ राज्य जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोगों को प्रतिशत अधिक है, वहीं कुछ राज्यों में बहुत कम है। ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखण्ड जहाँ

तालिका-2

अनुसूचित जनजाति और सामान्य जातियों की साक्षरता (1961-2011)

वर्ष	जनजाति साक्षरता			सामान्य लोगों की साक्षरता			अंतर (%)
	पुरुष (%)	महिला (%)	कुल (%)	पुरुष (%)	महिला (%)	कुल (%)	
1961	13.83	3.16	8.53	40.40	15.35	28.30	19.77
1971	17.63	4.9	11.3	45.96	21.97	34.45	23.15
1981	24.52	8.1	16.4	56.38	29.76	43.57	27.22
1991	40.65	18.2	29.6	64.13	39.29	52.21	22.61
2001	59.17	34.76	47.1	75.26	53.67	64.84	17.74
2011	68.53	49.35	58.96	80.89	64.64	72.99	14.03

(स्रोत: जनगणना 2011, भारत सरकार)

जनजातीय लोग राज्य के कुल आबादी का 2.89% है और देश की कुल जनजाति के मुकाबले सिर्फ 1% है। भले ही उत्तराखण्ड में जनजातीय लोग कम संख्या में हों लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियों जैसे की साक्षरता और स्कूल नामांकन में कई राज्यों से बहुत आगे हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में ‘सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा’ पर बहुत जोर दिया, फिर भी जनजातीयों की साक्षरता, अन्य सामान्य लोगों की तुलना में कम है। हालांकि जनजातियों ने साक्षरता के क्षेत्र में विकास तो किया है लेकिन यह विकास की गति बहुत धीमी रही है।

तालिका-2 में 1961-2011 की अवधि और मौजूदा अंतराल के दौरान अनुसूचित जनजाति और आम जनता के बीच साक्षरता दर की तुलना करती है। यहां दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि सामान्य जनता की साक्षरता 1961-2011 के बीच 28.30% से बढ़कर 72.99% तक बढ़ गयी। वहीं अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता इसी अंतराल में 8.53%, से बढ़कर 58.96% हो गया है। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति पुरुष साक्षरता 13.83% से बढ़कर 68.53% हुई वहीं अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता 3.16% से बढ़कर 49.35% तक पहुंची है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि साक्षरता दर का अंतर 1961 में 19.77% था जो कि 2011 में कम होकर 14.03% हो गया है।

साहित्य समीक्षा

कई दशकों से अनुसंधान कार्यों ने समता (इक्विटी) के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा में असमानता, सामाजिक असमानताओं के प्रजनन में महत्वपूर्ण चर के रूप में माना जाता है। इक्विटी मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में सामाजिक रूप से वंचित बच्चों को शामिल करके प्राप्त की जा सकती है। यहां, हम विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं की समीक्षा करेंगे जो कि मूल रूप से शिक्षा में असमानता और भारत में आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है।

आजादी के बाद, अनुसूचित जनजातियों के उद्घार के लिये सकारात्मक भेदभाव नीति और सुविधाजनक औपचारिक स्कूली शिक्षा का बंदोबस्त किया गया। शिक्षा नीतियों में सुधार के लिये राष्ट्रीय लक्ष्य का निर्माण किया गया। बेशक, नई नीतियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास संभव हो सका, किंतु यह विकास अभी भी निम्न स्तर का है। अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की उपस्थिति दर बहुत कम है और ड्राप आउट दर बहुत ज्यादा है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बराबर शिक्षा का अवसर अभी भी हासिल नहीं किया गया है और यह लक्ष्य निकट भविष्य में अवास्तविक जान पड़ता है।

अनुसूचित जनजातियां अपने अद्वितीय जातीय आवश्यकताओं के कारण दूसरों से अलग और विशेष हैं। वे भाषा बाधा, सांस्कृतिक बाधा और आर्थिक मुद्दों आदि भेदभाव के शिकार हैं। 1968 में (एल.आर.एन. श्रीवास्तव) ने अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक जरूरतों पर अध्ययन किया। उन्होंने 1968 में 'रांची मुंडा और ओरांव के बीच शिक्षा और आधुनिकीकरण' की जांच की। उन्होंने मुंडा और ओरांव - छोटा नागपुर की संख्यानुसार प्रमुख जनजातियों के आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा और गतिशीलता, समझदारी और नवाचार की स्वीकृति, भागीदारी उपलब्धि आदि समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने जनजातियों की गरीबी, सांस्कृतिक मान्यताओं आदि का भी उल्लेख किया।

बाद में कई अन्य अध्ययनों ने भी शिक्षा में बाधा, जैसे सामाजिक, आर्थिक बाधाओं की जांच की।

सच्चिदानंद (1974), ने बिहार में अनुसूचित जनजातियों का कॉलेज के छात्रों के बीच शिक्षा का मूल्यांकन किया। अध्ययन के दौरान माता-पिता के बीच जागरूकता की कमी देखी गई। वहीं शिक्षकों के अनुसार आदिवासी छात्रों के खराब प्रदर्शन का कारण घर पर उचित शैक्षिक माहौल का अभाव था।

दूबे (1974), ने असम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में अनुसूचित जाति और जनजाति के कालेज के छात्रों में सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी आकांक्षाओं और प्रदर्शन, अन्य गतिविधियों में उनकी भागीदारी और उनकी स्थिति आदि के बारे में जानने का प्रयास किया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातीय बच्चों को व्याख्यान को समझने में कोई कठिनाई नहीं मिल रही थी लेकिन वे शिक्षकों की मदद लेने में संकोच महसूस करते हैं। सामान्यतः अध्यापकों के अनुसार जनजातीय बच्चों के कम बुद्धिमान होने की वजह उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है।

रथ और मिश्रा (1974) ने ओडिशा के कालेज में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजातीय बच्चों को पढ़ने के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए सरकार की नीतियों के उद्देश्य का मूल्यांकन किया है। अध्ययन के निष्कर्ष में यह ज्ञात हुआ है कि ज्यादातर जनजातीय परिवार बहुत गरीब हैं। अधिकतर बच्चे जो कालेज में अध्ययन कर रहे हैं, परिवार के पहले पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं।

सुजाता (1987) ने येनादी जनजातियों की शिक्षा पर अध्ययन में पाया कि बच्चों के स्कूल से संबंधित कारकों में सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इसे मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया है— बाहरी-आंतरिक। सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की चर्चा में सबसे बड़ी बाधा सुजाता ने गरीबी को माना है। उनके अनुसार सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं पूर्ण कवरेज नहीं कर पाती हैं। दूसरा, लाभ कई बार लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरा, समय पर बच्चों को स्लेट और वर्दी नहीं मिल पाती है और इस तरह पूरा उद्देश्य बेकार हो जाता है। जनजातियों के गरीब आर्थिक स्थिति के कारण निजी व्यय जैसे— लेखन सामग्री, वस्त्र भी परिवार पर गंभीर बोझ की श्रेणी में आ जाते हैं।

मोहन्ती (1990) ने क्योंझर जिले में आयोजित अपने अध्ययन में ओडिशा के जनजाति समुदाय के विकास और क्षेत्र निरोधक कारक का पता लगाने और नीति निहितार्थ, कार्यात्मक परिवर्तन के बीच की खाई का पता लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में संस्थागत संरचना ग्रामीण गरीबों के हितों के साथ सद्भाव से काम नहीं करता साथ ही आदिवासी समुदाय का पूर्ण विकास अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

अपने अध्ययन में अम्बष्ट (2001) ने आदिवासी समुदाय के भीतर जनजाति से जनजाति और क्षेत्र से क्षेत्र में बोलियों में भिन्नता, मातृभाषा में भिन्नता और संस्कृति में

भिन्नता पाई। उन्होंने पाया कि आदिवासियों का विकास स्तर उनकी शिक्षा पर आधारित है। ज्यादातर आदिवासी लोगों को शिक्षा उनके जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं लगती और इस तरह वे कम-से-कम प्रासंगिक शिक्षा पाते हैं।

विशाखापट्टन में समुदाय स्कूलों के अपने अध्ययन में (सुजाता, 2000) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर होने की स्थिति का उल्लेख किया है। उन्होंने पाया कि अनूसूचित जनजाति शैक्षिक पिछड़ेपन, सामाजिक अभाव से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और उनके सामाजिक, आर्थिक और स्थानिक स्थितियों में उनका 'दोहरा नुकसान' किया।

अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक अलगाव के बावजूद औद्योगिकीकरण और विस्थापन द्वारा मुख्य धारा में उन्हें लाया गया है। यहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा और अन्य सामाजिक आदतों को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विभिन्न सरकारी उपायों के बावजूद, आदिवासी बच्चे अब भी शिक्षा और सामाजिक मानदंडों के नये पैटर्न को अपनाने में कठिनाई का सामना करते हैं (पटनायक 2013)।

मिश्रा (1975) ने अपने अध्ययन में शिक्षा की जिज्ञासा पैदा करने में चार कारकों का जिक्र किया है: सरकारी सहायता, सामाजिक स्थिति को सुधारने की चाहत, शिक्षा की चाहत और पारिवारिक दबाव। इन सब कारणों में प्रथम कारण सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कारणों को भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए सरकार को आदिवासियों के बीच शिक्षा का प्रचार करने की जरूरत है।

राव (1989) अपने अध्ययन में लिखते हैं कि जनजातीय लोग पारंपरिक तरीके और सामाजिक लोकाचार को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए योजनाओं का निर्माण करते हुए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है जिसके बिना संपूर्ण विकास मुश्किल है। आदिवासी आबादी सजातीय नहीं है बल्कि कई उप-समूहों में विभाजित है (विसारिया, 2014)। आदिवासी समूह शैक्षणिक उपलब्धि और अन्य विकास संकेतकों के संदर्भ में भी काफी असमान हैं। आंश्र प्रदेश में आदिवासी शिक्षा के एक अध्ययन से यह बात साबित होती है कि वे काफी हद तक असमान हैं (2003 यदापनावर)।

अपने अध्ययन में हसन (1988) ने उत्तराखण्ड और जनजातीय प्रशासन के पांच प्रमुख जनजातियों के धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक विवरण के बारे में विस्तार से बात की है। उत्तराखण्ड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस समय उत्तर प्रदेश की जनजाति

तालिका-3
राज्य की रूपरेखा

जिलों की संख्या	13		
वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	53,484 वर्ग किमी।		
कुल जनसंख्या	कुल व्यक्ति 10086293	पुरुष 5137773	महिला 4948519
शहरी जनसंख्या	3049338	1618731	1430607
साक्षरता (प्रतिशत में)	78.82	87.4	71.1
जनसंख्या घनत्व (वर्ग कि.मी. में)	189		
लिंग अनुपात	963		

कहलाई जाती थी। किंतु उत्तराखण्ड के निर्माण के बाद वे पांच जनजातियाँ, उत्तराखण्ड की जनजाति बन गईं।

उत्तराखण्ड का अवलोकन

उत्तराखण्ड, 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से बना, भारत के उत्तरी भाग में स्थित भारत का 27वां राज्य है। 2007 में राज्य का नाम अधिकारिक तौर पर उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखण्ड किया गया। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.65% प्रतिशत है। उत्तराखण्ड हिमालय रेंज के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। उत्तराखण्ड के लोगों को आमतौर पर या तो कुमाऊँ या गढ़वाल क्षेत्र के अपने मूल स्थान के आधार पर गढ़वाली या कुमाऊँनी कहा जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का प्रतिशत 64.45 है। उत्तराखण्ड, देश की 20वीं सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

उत्तराखण्ड की जनजातियाँ

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियाँ (93.8%) मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं और केवल (6.2%) अनुसूचित जनजातियाँ शहरी क्षेत्रों में रहती हैं।

तालिका-4

उत्तराखण्ड के जनजातियों का संक्षिप्त विवरण

जनजातियों का नाम	जनसंख्या	कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात	क्षेत्र/ज़िला	व्यवसाय
सभी जनजातियां	256,129	100	—	—
थारू	85,665	33.4	उधम सिंह नगर	खेती
भोटिया	83,262	32.5	पिथौड़ागढ़	व्यवसायी
जौनसारी	46,771	18.3	देहरादून	खेती
बुक्सा	36,438	14.2	ग्रामीण क्षेत्र	प्रवासी
रजी	517	0.2	चम्पावत ब्लॉक	वनवासी पशुपालन

(स्रोत: भारत की जनगणना, 2001)

राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी समूह थारू है जिनकी कुल आबादी 85,665 है। दूसरा सबसे बड़ा समूह भोटिया है जिनकी कुल आबादी 83,262 है। तीसरा सबसे बड़ा समूह 46,771 की आबादी के साथ जौनसारी है। बुक्सा की कुल आबादी 36,438 है और सबसे छोटा समूह 517 की आबादी के साथ रजी है।

आमतौर पर विभिन्न जनजातियां विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर फैली हुई हैं। भोटिया धारचूला, पिथौड़ागढ़, बागेश्वर, चमोली, भटवारी और डुन्डा ब्लॉक के अधिक ऊँचाई तक ही सीमित हैं। थारू और बुक्सा, तराइ - भावर क्षेत्र तक ही सीमित हैं। रजी जनजाति, कनालीचीना और चंपावत ब्लॉक तक ही सीमित हैं। इसी तरह जौनसारी, देहरादून जिले के चकराता और कलसी ब्लॉक में रहती है।

विभिन्न क्षेत्रों में रहने और आपसी अंतर होने के बावजूद, वे सामंजस्यपूर्ण समन्वय बनाए रखते हैं और संसाधनों का उपयोग मिल बांटकर करते हैं। कृषि— थारू, बुक्सा और जौनसारी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। (पंत, 2006) व्यापार— भोटिया जनजाति की आजीविका का मुख्य श्रोत है। रजी जनजाति का मुख्य आय का स्रोत पशुपालन और दैनिक मजदूरी है। आदिवासी पारिस्थिकी तंत्र ने पूरी तरह से उत्पादन प्रणाली और सामाजिक विरासत के साथ संतुलन में संस्कृति के माध्यम से अपने आपको स्थिर करके रखा हुआ है।

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजाति का 99.1% हिंदू धर्म का अनुयायी है। इसके अलावा कुल 1,344 व्यक्ति बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। राज्य के 13 जिलों में सबसे अधिक जनजाति व्यक्ति उथमसिंह नगर में (43.03%) हैं। इसके बाद देहरादून (38.78%), पिथौरागढ़ (7.53%) और चमोली में (4.09%) में जनजाति के लोग पाये जाते हैं। वास्तव में उत्तराखण्ड के इन चार जिलों में कुल आदिवासी आबादी का 94% भाग स्थिति है। राज्य में सबसे कम आदिवासी जनसंख्या वाले जिले रुद्रप्रयाग, टिहरी, चम्पावत, अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, उत्तरकाशी, हरिद्वार और नैनीताल हैं। लेकिन मूल आबादी के मुकाबले उनका सबसे बड़ा अनुपात देहरादून (7.7%), पिथौरागढ़ (4.2%), चमोली (2.8%) और उथम सिंह नगर (8.9%) में है। शेष जिलों में कुल आबादी के मुकाबले आदिवासी जनसंख्या का अनुपात 1% से कम है।

भारत की जनगणना (2001) के अनुसार, सबसे अधिक साक्षरता दर भोटिया जनजाति का दर्ज किया गया है। उसके बाद थारू (67.0), और जौनसारी (58.9) का स्थान है। गौरतलब है इन सभी जनजातियों की सम्मिलित साक्षरता दर, राष्ट्रीय जनजाति की औसत साक्षरता दर से अधिक है जो सिर्फ 45.02 नापा गया है।

तालिका-5

जनजाति साक्षरता दर (उत्तराखण्ड)

श्रृंखला	जनजाति	पुरुष	महिला	कुल
1.	सभी जनजातियाँ	76.4	49.4	63.2
2.	भोटिया	91.5	69.1	79.9
3.	थारू	80.4	53.1	67.0
4.	जौनसारी	71.7	44.8	58.9
5.	बुक्सा	66.0	32.4	49.9
6.	रजी	47.2	22.5	35.8

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

तालिका-5 से हमें ज्ञात होता है कि आदिवासी समूह को साक्षरता दर एक-दूसरे से अलग है। उच्चतम साक्षरता दर भोटिया जनजाति की है। जहां पुरुष साक्षरता दर 91.5 है और महिला साक्षरता दर 79.9 है। इससे पता चलता है कि भोटिया जनजाति ने तेजी से

साक्षरता हासिल की है। इनकी साक्षरता दर राज्य और राज्य के बाहर की अन्य जनजातियों से बहुत ऊपर है। थारू जनजाति की कुल साक्षरता दर 67.0 तथा पुरुषों और महिलाओं के लिये क्रमशः 80.4 और 53.1 है। तीसरे स्थान पर 58.9 की कुल साक्षरता दर के साथ जौनसारी है, जहाँ पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 71.7 और 48.8 है। अंत में 49.9 और 35.8 की साक्षरता दर के साथ बुक्सा और रजी हैं।

दिए गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि एक ही राज्य के भिन्न जनजातियों के मध्य बहुत अंतर है। सरकारी योजनाओं के बावजूद, कुछ जनजातियां अभी भी शैक्षणिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पाई हैं। वहाँ कुछ जनजातियां जैसे— भोटिया और थारू ने अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम दिया है।

उत्तराखण्ड के जनजातीय समूह

उत्तराखण्ड राज्य जनजाति समूहों का निवास स्थान है जिन्हें संविधान में 1967 में शामिल किया गया। यद्यपि आजीविका, भाषा, जातीयता, सामाजिक, सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं के द्वारा ये एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। भोटिया और रजी एक ही भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा हैं, लेकिन संस्कृति, आर्थिक विकास और शिक्षा प्राप्ति के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर है। इस भाग में हम विस्तार से थारू, भोटिया और रजी जनजाति के संस्कृति, आर्थिक स्थिति और शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे।

थारू

थारू मुख्य रूप से उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। थारू जनजाति की उत्पत्ति के बारे में किसी भी लिखित स्रोत का ज्ञान नहीं है। उनका जिक्र अन्य धार्मिक ग्रंथों और स्रोतों से निकलता है। थारू जनजाति खुद को राजस्थान के राजपूतों का वंशज होने का दावा करती है। हालांकि उनकी जाति और संस्कृति में राजपूतों की कोई भी विशेषता नहीं है। फिर भी वे राजपूती खन होने का दावा करते हैं। थारू जनजाति में कई गुट हैं जिसे वे स्थानीय भाषा में ‘कूरी’ कहते हैं। महत्वपूर्ण गुट है: बदवायक, बत्ता, रावट, बिरतिया, महत्तो इत्यादि।

संस्कृति

थारू जनजाति हिंदू धर्म का अनुसरण करती हैं परंतु इनके देवी-देवता हिंदुओं के भगवानों से अलग हैं। थारू मुख्यतः अपनी आदिवासी देवी भूयन और भूमसेन की पूजा करते हैं। थारू समाज में स्थानीय सामाजिक परिषद बहुत मजबूत है। पंचायत के मुखिया को थारू भाषा में ‘प्रधान’ कहते हैं। थारू जनजाति अपने लोक कला, गीत, नृत्य, टैटू भित्तिचित्र

और हस्तशिल्प को महत्व देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे हस्तशिल्प का प्रयोग केवल निजी इस्तेमाल के लिये करते हैं न कि विपणन के लिये। वे सजावट के लिये अपने कपड़ों और घर की दीवारों पर चमकीले रंग का प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति का मुख्य भोजन सब्जी, मटन, चिकन, दूध उत्पादों सहित मछली और चावल है। प्राचीन समय में वे अपने घर मुख्यतः मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाते थे, लेकिन अब वे भी अपने मकानों का निर्माण सीमेंट और ईटों से करने लगे हैं। सभी घरों में पूजा स्थान का निर्माण किया जाता है। थारू हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनमें से कुछ बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन समारोह में शराब और मीट का सेवन सख्त मना होता है। थारू समुदाय में महिला सशक्तिकरण की धारणा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही थारू महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है और अधिकतर अधिकार भी उनके हाथ में हैं।

अर्थव्यवस्था

अन्य राज्यों की जनजातियों के विपरीत, थारू लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव आया है। थारू समुदाय की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। वे स्थिर कृषि पैटर्न का पालन कर रहे हैं और चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज और मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों खेतों पर काम करते हैं। जो थारू कटाई और अन्य कृषि कार्य के लिये मशीनों का उपयोग कर रहे हैं वे आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हैं। उत्पादन के पश्चात् थारू सबसे पहले स्वयं के उपभोग के लिए शेयर रखते हैं और फिर बाजार में अधिशेष बेचते हैं।

शिक्षा

यह देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे थारू के मध्य शिक्षा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में दूसरी सबसे ज्यादा साक्षरता दर थारू की है (67%) जो अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। थारू, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अधिक कुशलता से अपने पारंपरिक कार्य कृषि को कर रहे हैं। हालांकि यह देखा जा रहा है कि थारू बच्चे केवल उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत कम थारू युवक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस क्षेत्र के अन्य जनजाति युवक (भोटिया और जौनसारी) थारू युवक से अधिक सक्रिय हैं। कई भोटिया और जौनसारी युवक प्रशासनिक अधिकारियों, प्रोफेसरों, डाक्टरों, इंजीनियरों के रूप में काम कर रहे हैं, किंतु थारू युवक इन क्षेत्रों में कम सफल हुए हैं। वे अभी भी अपनी संस्कृति और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।

भोटिया

भोटिया मुख्य रूप से उत्तर में चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के पहाड़ी आदिवासी समुदाय हैं। भोटिया जनजाति ऊँचाई पर जीवनयापन हेतु अपने पारंपरिक तरीके के लिये जानी जाती है। उनकी भाषा और कुलों के आधार पर उन्हें सात प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। जोहारी, जूथोड़ा, दारमी, व्यांसी, मारछा, तोलचा और जाट।

वे पूजा-पाठ करने के लिये आमतौर पर हिंदू अनुष्ठान का पालन करते हैं। धार्मिक पर्व पर मादक पेय का सेवन, कई आदिवासी समुदाय में देखा गया है। मादक पेय भोटिया जनजाति में न केवल प्रचलित है बल्कि उसे बहुत पवित्र भी माना जाता है। भोटिया महिलाएं भी मादक पेय का सेवन धार्मिक पर्वों के दौरान करती हैं। इनकी परंपरा के मुताबिक, पेय अतिथि और रिश्तेदारों को पेश किया जाता है।

संस्कृति

भोटिया जनजाति की संस्कृति बहुत हद तक तिब्बती सभ्यता से मिलती है जो सालों से चलते आ रहे व्यापार और संबंध का नतीजा है। संयुक्त और एकल, दोनों प्रकार के परिवार भोटिया जनजाति में पाए जाते हैं। इनमें लिंग भेद नहीं है और पुरुष-महिला, दोनों को परिवार के मामलों में निर्णय लेने का समान अधिकार प्राप्त है। भोटिया समाज में शादी का निर्णय मुख्यतः परिवार ही लेता है। कुछ मामलों में, शादी का निर्णय 'रंगभंग' द्वारा भी लिया जाता है। रंगभंग भोटिया सभ्यता का पारंपरिक केंद्र है जहां भोटिया जनजाति के लड़के और लड़कियां नृत्य, गाना और रातभर जश्न करते हैं।

भोटिया जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा बाहरी जलवायु से प्रभावित है। भोटिया जनजाति ठंडे प्रदेश के निवासी हैं, इसी कारण उनके वेशभूषा में मुख्यतः ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल हुआ है। वे अपने पोशाक ज्यादातर अपने घर पर ही बनाते हैं। पुरुष पोशाक मुख्य रूप से कोट, पतलून पहाड़ी लोगों के बीच काफी परिचित है। भोटिया महिलाओं की पोशाक साधारण पहाड़ी महिलाओं से काफी अलग है। वे आमतौर पर स्कर्ट, कोट, शर्ट और एक कमर कोट पहनती हैं।

अर्थव्यवस्था

भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। उन्होंने अपने व्यापार संगठन, हस्तकला, शराब निर्माण बहुत अच्छे से विकसित किया है। अधिक ऊँचाई पर निवास करने के कारण, कृषि योग्य भूमि की गुजांइश बहुत कम है। ज्यादातर भोटिया, तिब्बत के साथ

व्यापार करते हैं। निर्यात के लिये मुख्य वस्तुएं हैं— धान, चीनी-गुड़, मसाले, तंबाकू, कपास आदि। आयात करने वाली प्रमुख वस्तुएं— बोरेक्स, नमक, ऊन इत्यादि। व्यापार के अलावा इनका दूसरा प्रमुख काम पशुपालन है। ये मुख्यतः भेड़-बकरी, टटू और जीबू पालते हैं जिनसे ये ऊन और मांस प्राप्त करते हैं। भोटिया लोग ऊन का भी व्यापार करते हैं। यह विशेष ऊनी कपड़ा थूलमा, गूडमा, दन्ना का निर्यात करते हैं। इन ऊनी सामानों का वितरण आमतौर पर व्यापार मेलों में किया जाता है। ऊनी सामग्री की तैयारी ज्यादातर महिलाएं करती हैं। पुरुष सीमापार व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और महिलाएं घर पर ऊनी सामान तैयार करती हैं। लगभग सभी गृहस्थ लोग इस काम में निपुण होते हैं जो वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं।

शिक्षा

भोटिया जनजाति ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किया है। वे राज्य की पांच जनजातियों में सबसे अधिक साक्षर (79.9%) हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता लगभग सभी घरों में पहुँच चुकी है। उनकी जीविका, उनको आगे पढ़ने के लिए जागरूक करती है। बल्कि शिक्षा उनके लिए एक जरूरत बन गई है क्योंकि व्यापार करते वक्त मूल शिक्षा अनिवार्य हो जाती है। इसी कारण से भोटिया जनजाति अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर कर रही हैं। कुछ वर्षों से भोटिया जनजाति सरकारी नौकारी की ओर आकर्षित हो रही हैं। हालांकि अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है किंतु बाकी जनजाति समूहों से अधिक भोटिया जनजाति की भागीदारी है।

रजी

रजी उत्तराखण्ड के हिमालय क्षेत्र के आदिवासी हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े हैं। वे पिथौरागढ़ जिले में अत्यंत अविकसित हालात में रहते हैं। रजी को भारत के 72 कमजोर आदिवासी समूहों (PTG) में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। रजी, चौदह से पंद्रह परिवारों को मिलाकर, छोटी दूरस्थ बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर इनकी बस्तियाँ मुख्य गांव से दूर, घने जंगलों के बीच बसी होती हैं। रजी खानाबदोश जीवन जीते हैं और काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं। उनके जंगल में जीवनयापन करने की वजह से, वे वन के राजा, बन रजी या वन मानुष कहलाए जाते हैं। वे अधिकतर स्वभाव से शर्मिले और दूसरों से भिन्न होते हैं। रजी जनजाति की बोली, स्थानीय भाषा से बिलकुल अलग है। हालांकि रजी स्वयं बहुभाषी है। वे हिंदी, कुमाऊँनी और रजी भाषा बोलते हैं।

रजी जनजाति की कोई विशेष पोषाक नहीं है। हिंदुत्व के दबाव ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। वे कुछ विशिष्ट संशोधित अनुष्ठानों के साथ हिंदू धर्म का पालन करते हैं। वान-देवता उनके मुख्य पूजा भगवान हैं। रजी खुद को हिंदू मानते हैं किंतु उनके देवी-देवता हिंदुओं के देवताओं से अलग हैं। रजी जनजाति का कोई विशिष्ट त्योंहार नहीं है।

अर्थव्यवस्था

रजी आदिवासी संस्कृति में शिक्षा का बहुत महत्व नहीं है। रजी आदिवासी छः वर्ष के होने तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसके बाद वह बच्चों को अपने साथ काम पर शामिल कर लेते हैं। इनका प्रमुख कार्य है टोकरी बनाना, बक्से बनाना और उन्हें बाजार में बेचना। अभी कुछ समय से उन्होंने मजदूरी और पशुपालन शुरू किया है।

शिक्षा

शैक्षिक रूप से वे सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में सभी आदिवासी समूहों में सबसे कम साक्षरता दर रजी जनजाति की दर्ज की गई (35.8%)। इनमें अधिकतर एकल परिवार पाये जाते हैं। लिंग भेद प्रणाली रजी जनजाति में नहीं है। महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। हालांकि भोटिया जनजाति जो बहुत विकसित है, के पास वाले इलाके में रहने के बावजूद रजी अपने आप को विकसित नहीं कर पाए हैं। अभी भी साक्षरता, अर्थव्यवस्था और समग्र विकास के मामले में सबसे निम्न स्थान पर हैं।

उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजातियों के लिये कार्यक्रम और योजनाएं

यहाँ हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। यह योजनाएं आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये सुविधा और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में बाधा न हो।

संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने हेतु सक्षम करता है। शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मूलभूत आधार है। शिक्षा के द्वारा ही अनुसूचित जनजाति अपने सामाजिक स्तर को सुधार सकते हैं साथ ही रोजगार के अवसरों का लाभ ले सकते हैं। शिक्षा के बिना यह सब लाभ मुमकिन नहीं हो सकता।

सरकार ने सबसे वंचित और अपेक्षित समूहों के रूप में अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया है साथ ही शिक्षा के संबंध में कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सभी कार्यक्रम जैसे— पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि में सबसे अधिक महत्व प्राथमिक शिक्षा को दिया गया है और जनजातीय विशेष योजना पर अधिक ध्यान दिया गया है। अनुसूचित जनजाति को शिक्षा प्रदान करना केवल अनुसूचित जनजाति के लिये ही जरूरी नहीं है बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी आदिवासी बच्चों के लिये शिक्षा सुनिश्चित किए बिना प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण (यूर्झा) हासिल नहीं कर सकते।

भारत सरकार ने जनजाति विकास योजनाएं बहुत देर बाद शुरू की। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया और कृषि, कुटीर उद्योग में सुधार लाने की कोशिश की गई। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्य विषय औद्योगिकीकरण रहा। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना में कई बातों पर ध्यान दिया गया जैसे— ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का समान विकास, औद्योगिकीकरण और साथ में ही कृषि की ओर ध्यान दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में समता, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और उत्पादकता जैसे विषयों पर रणनीति बनाई गई।

इन सभी योजनाओं में केवल पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिये योजनाएं तैयार की गई। ‘जनजातीय उपयोजना दृष्टिकोण’ पांचवीं योजना में अपनाया गया। छठी योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के साथ ही परिवार कल्याण और हितग्राहीमूलक विकास योजनाओं को भी प्रारंभ किया गया। हालांकि, यह नई नीति केवल दो-तिहाई आदिवासी के लिए ही पर्याप्त हो पाई बाकी के एक तिहाई आदिवासी इन नीतियों का फायदा नहीं ले पाए।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

1. आश्रम स्कूल

आदिवासी बच्चों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के क्रम में, केंद्र/राज्य सरकारों ने देश के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा सहित कल्याण कार्यक्रम शुरू किये हैं। आदिवासी बच्चों के लिये विशेष आवासीय स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। ये स्कूल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह हैं। आश्रम स्कूल का ग्रामीण अनुपात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों

के लिये क्रमशः 86.15, 85.50, 83.02 और 64.47 है। (प्रोतः 7वां अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण)। उत्तराखण्ड में यह योजना 1990-1991 में आरंभ की गई। केंद्र सरकार ने विभिन्न इलाकों में कुल बारह आश्रम स्कूलों को मंजूरी दी है, जिनमें से 2 स्कूल निर्माणाधीन हैं।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

लिंग असमानता अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है और वंचित समुदायों के बीच यह बहुत बड़े पैमाने पर है। यद्यपि, नामांकन प्रवृत्ति के अनुसार, उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कों से ज्यादा लड़कियों का नामांकन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना दुर्गम क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित लड़कियों के लिये उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) में आवासीय विद्यालयों की स्थापना 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई। प्रारंभ में केजीबीवी योजना, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), एनपीईजीईएल और महिला समाज्या के साथ प्रारंभ हुई, किंतु

तालिका-6

उत्तराखण्ड में जिलेवार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या

जिला	केजीबीवी	कुल
हरिद्वार	रुड़की, लक्षर, बहाद्रबाद, भगवानपुर, नरसन	5
देहरादून	कालसी	1
टेहरी गढ़वाल	भीलंगगाना, तूलहर, प्रतापनगर, जौनपुर	5
उत्तरकाशी	नौगांव, चिन्यालीसुर, पुरोला, मोरी	4
चमोली	घाट	1
बागेश्वर	कपकोट	1
पौड़ी	थलीसेन	1
नैनीताल	ओखलकोटा	1
अल्मोड़ा	ढोलादेवी, लमारहा	2
पिथौड़ागढ़	गंगोलीहाट	1
उधम सिंह नगर	सितारगंज, बाजपुर	2
कुल		26

2007 में यह एसएसए के साथ विलय हो गई। उत्तराखण्ड में 12 जिलों के विभिन्न शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 26 केजीबीवी स्थापित हुए हैं, जिनका विवरण तालिका-6 में दिया गया है।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास योजना

छात्रों को घरेलू माहौल के बाहर एक सौहार्दपूर्ण अध्ययन माहौल प्रदान करने के लिये सरकार ने छात्रावास निर्माण योजना प्रारंभ की ताकि छात्रों को अपना कैरियर आगे बढ़ाने का पूर्ण मौका मिल सके। इस तरह के हॉस्टल, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिये बेहद फायदेमंद है। अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिये हॉस्टल की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से कार्यान्वित है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिये यह योजना 1989-90 से शुरू की गई है। उत्तराखण्ड में दो हॉस्टलों के निर्माण की मंजूरी 2011 में मिली और दोनों हॉस्टल लड़कियों के लिए है- 1. अशोक आश्रम, विकास नगर, देहरादून तथा 2. लखबाद, देहरादून में निर्माणाधीन हैं।

4. अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति केंद्र प्रायोजित यह योजना, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वर्ष 1944-45 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत माध्यमिक या पोस्ट मैट्रिक स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन छात्रों के माता-पिता की आय 2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। पत्राचार माध्यम से पढ़ रहे छात्र भी इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं।

5. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजनाएं

यह योजना मई 2008 में प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो आठवीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़कर चले गए हैं उनको प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण कर सकें। चुने गए, छात्रों को इस योजना के अंतर्गत 500 रु. प्रति माह (6000 रु. प्रति वर्ष) मिलता है जिससे वे कक्षा 9 और 10 की शिक्षा सरकारी स्कूल में पूरा कर सकें।

6. मॉडल स्कूल कार्यक्रम

मॉडल स्कूल कार्यक्रम नवंबर 2008 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत

6000 मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाना है जिससे प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- i. हर ब्लॉक में कम-से-कम एक अच्छी गुणवत्ता वाले माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया जाए।
- ii. मॉडल स्कूल प्रेरक की भूमिका निभाए।
- iii. नए पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को अपनाया जाए।
- iv. बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और स्कूल प्रशासन के रूप में बाकी स्कूलों के लिये मॉडल बने।

उत्तराखण्ड में 5 मॉडल स्कूल निर्माणाधीन हैं।

7. सूचना संचार और प्रौद्योगिकी

स्कूलों में सूचना, संचार प्रौद्योगिकी योजना दिसंबर, 2004 में शुरू की गई थी। इस योजना की शुरुआत माध्यमिक स्तर के छात्रों को आईटी कौशल और कंप्यूटर सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई थी। यह योजना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और अन्य भौगोलिक बाधाओं से ग्रस्त छात्रों के बीच डिजिटल खाई को पाठने के लिये एक प्रमुख उत्प्रेरक है।

राज्य प्रायोजित परियोजनाएं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें

यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लाभ के लिये विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। सरकार के अनुसार, अधिक-से-अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इस योजना से लाभ पाने की उम्मीद है। योजना के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राज्य सरकार, सरकारी स्कूलों या निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को वर्दी और पाठ्यपुस्तकों के दो सेट प्रदान कर रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के गांवों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता ने राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिये मांग शुरू कर दी है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के बीच माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य

सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए नकद प्रोत्साहन

राज्य सरकार, सरकारी स्कूल/निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। कक्षा एक से आठवीं तक सभी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह धनराशि कक्षा के अनुसार अलग-अलग है।

निष्कर्ष

मानव जाति को आधुनिक भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मान बनाए रखने के लिए, शिक्षा की बहुत जरूरत है। भारत एक बहुलवादी देश है जहाँ विभिन्न समूहों की अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान है। इन विभिन्न समूहों की अपनी विशेष जरूरतें हैं और विभिन्नता के साथ, इनमें कुछ समानता भी है। अनुसूचित जनजाति वांचिक सामाजिक श्रेणी में एक है। इन समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन अभी भी अनुसूचित जनजातियों को इनका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है। भारत की विभिन्न समूहों के बीच विकास की गति में कई अंतर हैं और यह अंतर केवल भिन्न राज्यों के समुदायों के मध्य नहीं एक राज्य के भिन्न समुदायों में भी है। इस शोधपत्र में उत्तराखण्ड के विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच व्याप्त अंतर पर प्रकाश डाला गया है। जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना पर भी हमने चर्चा की। यहाँ हमें ज्ञात हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर के साथ-साथ शैक्षिक विकास का स्तर भी भिन्न है। सबसे उच्च स्तर पर भोटिया हैं और सबसे निम्न स्तर पर रजी। सभी आदिवासी समूह, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लाभ का उपयोग करने में असमर्थ हैं। इसलिए, सरकार को चाहिए कि, उनकी सामाजिक, आर्थिक विविधता को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण किया जाए, क्योंकि एक ही प्रकार की योजना, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित नहीं हो पा रही है। इस दिशा में सरकार प्रयास कर सकती है।

संदर्भ

एम्बास्ट, एन.के. (2001), ट्राइबल एजुकेशन : प्रॉब्लम्स एंड इश्यू, वैकेटेश प्रकाशन

जनगणना, भारत सरकार, 2001, 2011

दूबे, एस.एम., (1974), स्टडी आफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कालेज स्टूडेंट इन आसाम, डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी

- हसन, ए., (1988), ट्राईबल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली
- पंत, बी.आर. (2006), ट्राईबल डेमोग्राफी और उत्तराखण्ड डिपार्टमेंट आफ न्योग्राफी, एम.बी. पी.जी. कालेज, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
- पटनायक, बी.के. (2013), सोशियल चेंज जर्नल ऑफ द काउंसिल फार सोशियल डवलपमेंट, पेज 53-78, वाल्यूम-43 नम्बर-1.
- मोहंती, एम.के. (1990) ट्राईबल सोसायटी प्रोग्राम्स प्लानिंग एंड इकोनोमिक चेंज, चुग पब्लिकेशन, इलाहाबाद
- मिश्रा, डी., (1975-81), मोटिवेशन इन ट्राईबल एजूकेशन, द एजूकेशनल रिव्यू
- राव, के.के. (1989), सोशियो-कल्चर फैक्टर इन डवलपमेंट आफ ट्राईबल एरियाज, ट्राईबल इंडिया प्राथम डवलपमेंट प्रासार्टक्ट्स, एडिटेड बाई राणा, एम.के., ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली
- यद्दापरनर, ए.वी., (2003), ट्राईबल एजुकेशन इन इंडिया, नई दिल्ली. डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस रथ, आर. एंड मिश्रा, एस.के. (1974), द स्टडी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राईब कालेज स्टूडेंट्स इन ओडिसा, भुवनेश्वर, उत्कल युनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट आफ साइकॉलाजी
- सुजाता, के. (1987), एजुकेशन ऑफ द फारगॉटन चिल्ड्रेन आफ द फॉरेस्ट : ए केस स्टडी आफ येवादी ट्राईब, नई दिल्ली, कोणार्क पब्लिकेशन
- सुजाता, के. (1994), एजुकेशनल डवलपमेंट अमंग ट्राईब्स ए स्टडी आफ सब-प्लान एरियाज इन आंध्र प्रदेश, न्यूपा, साउथ एशियन पब्लिशर्स प्रा. लि.
- सुजाता, के. (2000), एजुकेशन ऑफ इंडिया शेड्यूल ट्राईब्स, ए स्टडी आफ कम्यूनिटी स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट आफ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आईआईईपी
- विसारिया, एल. (2014), ट्राईबल डवलपमेंट इन वैस्टर्न इंडिया, एडीटेड बाई शाह अनिता एंड पाठक शर्मा
- सच्चिदानंद, (1974), एजुकेशन अमंग द शिड्यूल कास्ट एंड शिड्यूल ट्राईब्स इन बिहार (कालेज स्टूडेंट्स), ए.एन.एस. इंस्टीट्यूट आफ सोशियल साइंस, पटना
- श्रीवास्तव, एल.आर.एन. (1968), एजुकेशन एंड मॉर्डनाइजेशन अमंग द मुंडास एंड ओराँन आफ रांची, डाक्टोरल थेसिस रांची युनिवर्सिटी

विद्यालयों में सामाजीकरण की प्रक्रिया और लैंगिक भावना के विकास के कारक

कंचन शर्मा*

जब कोई बालक पैदा होता है उस समय वह अपने साथ किसी प्रकार की पूर्वमान्यता, विश्वास या विभक्त व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं होता। सिमोन द बुआ कहती हैं— “एक बच्चा, जो लड़की हो या लड़का समान रूप से अपने शारीरिक अंगों आँख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि के माध्यम से संसार को समझता है, अपने सेक्स से नहीं। दोनों ही समान रूप से माँ की कोमल मासलता में समान रूप से सेक्सुअल संतुष्टि खोजते हैं। लड़की भी लड़के की भाँति आक्रामक रूप से माँ के साथ खेलती है। बड़ों से प्यार पाने के लिए दोनों लुभावने और अपनी ओर आकर्षित करने के उपाय अपनाते हैं। इस प्रकार बालक अपने आसपास मौजूद लोगों से अंतर्क्रिया कर जो अनुभव प्राप्त करते हैं वे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो बालक को, आसपास का वातावरण, समाज, समाज से जुड़े लोगों व संसार को समझने में मदद करते हैं और इस समझ के आधार पर उसके व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाला विषय है कि इन अनुभवों को प्राप्त करने वाली परस्थितियों के निर्माण में मात्र बालक की सक्रिय भूमिका नहीं होती बल्कि परिवारवालों, पास-पड़ोस व समाज के अन्य लोगों व संस्थाओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार अब यह विषय मात्र अनुभवों के लेन-देन का न रहकर समाज के सामाजीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। अतः यह कहना गलत न होगा कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सामाजीकरण की अहम भूमिका होती है। सामाजीकरण की प्रक्रिया को गहराई से समझने पर यह पाया गया कि इसमें समाज की कई संस्थाएं सक्रिय भूमिका अदा करती हैं जैसे— परिवार, धर्म, पास-पड़ोस, जाति-समुदाय, विवाह-संस्कार, विद्यालय आदि।

बर्जर एवं लैकमैन सामाजीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के पश्चात् सामाजीकरण को दो प्रकारों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक, सामाजीकरण एवं द्वितीयक,

*छात्रा, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सामाजीकरण। एक बच्चे के जन्म के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों (माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी इत्यादि) के द्वारा समाज में व्याप्त नियम कानूनों, विश्वासों, आस्थाओं, आचार-व्यवहारों, मूल्यों आदि को सीखता व आत्मसात करता है। यही प्राथमिक सामाजीकरण की प्रक्रिया है। द्वितीयक सामाजीकरण संस्थागत भूमिकाओं को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य समाज में अपेक्षित भूमिकाओं को निभाने के लिए आवश्यक कौशलों को सीखता है। इस संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था व सामाजीकरण के संबंधों पर विचार करते हुए फ्रेंच समाजशास्त्री एमील दुर्खीम शिक्षा व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहते हैं— “शिक्षा युवा पीढ़ी का विधिवत सामाजीकरण है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा समाज बालकों में अपने ही अस्तित्व की अनिवार्य अवस्था को तैयार करता है। शिक्षक समाज का अभिकर्ता या एजेण्ट है। वह सांस्कृतिक संचार की कड़ी भी है। यह उसी का कार्य है कि वह एक सामाजिक व नैतिक व्यक्ति का निर्माण करे। उसी के माध्यम से समाज अपने अनुरूप व्यक्ति की रचना करता है”। इसी प्रकार रेडीन शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहती हैं— “शिक्षा एक सुनिश्चित व सुव्यवस्थित प्रभाव है जो की प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा अवयस्क व्यक्तियों पर डाला जाता है तथा ऐसा करने में व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है”। सामाजिक मानवशास्त्री हरस्कोविट्स भी कहते हैं— “शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका कार्य व्यक्तिगत व्यवहार को संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होता है”।

इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट होता दिखता है कि सामाजीकरण की प्रक्रिया का मसला मात्र समाज विशेष के आचार-व्यवहार के तरीकों, नियम-कानूनों, विश्वासों, अस्थाओं आदि के बारे में मात्र बता देना ही नहीं है बल्कि उससे भी आगे जाकर उसे आत्मसात करवाने का मसला है। अंततः इस परिस्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि जब हम ऐसे विश्व समाज की चर्चा कर रहे हों जहाँ पितृसत्ता व जैंडर असमानताएँ व्यापत व गहरे स्तर पर अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, वहाँ ये प्रश्न वांछनीय है कि इस जैंडर विभक्त समाज में किस प्रकार बालक बालिकाएँ अपने जैंडर विभक्त व्यक्तित्व को व जैंडर विभक्त मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों आदि को गहरे रूप से आत्मसात कर लेते हैं व इस प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की भूमिका अदा करती है।

शोध अध्ययन के माध्यम से विद्यालयों का अध्ययन इसी संदर्भ में करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार विद्यालय सामाजिक लैंगिकता (जैंडर) का भाव

पैदा करने व जैंडर भेद को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिमोन द बुआ का यह कथन कि “‘औरत पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है’”। उनके विचारों को लेख का आधार बनाया गया है। शोध अध्ययन में न केवल विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन को शामिल किया है बल्कि सम्पूर्ण पाठ्यचर्या को शामिल करते हुए कक्षा-कक्ष अधिगम, शिक्षक-छात्र/छात्रा संबंध, अनौपचारिक गतिविधियों में अध्यापकों का व्यवहार, औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल विषय आदि का विश्लेषण इस संदर्भ में करने का प्रयास किया गया है।

शोध निष्कर्ष यह बताता है कि विद्यालय अपनी औपचारिक पाठ्यचर्या व छद्म पाठ्यचर्या दोनों के माध्यम से जैंडर भेद को बनाए रखकर पितृसत्तात्मक समाज को मजबूती प्रदान करता है। विद्यालय की यह भूमिका लिंग विभाजित समाज को बल प्रदान करती है व जैंडर विभाजित समाज विद्यालयों की इन भूमिकाओं को मजबूती प्रदान करते हैं।

विद्यालयों का जैंडर लैंस से अध्ययन की आवश्यकता

इस संदर्भ में बहुत से समाजशास्त्री व नारीवादी इस पर बल देते हैं कि समाज की महत्वपूर्ण इकाई ‘विद्यालय’ का अध्ययन जैंडर लैंस से किया जाना जरूरी है। जैसे कृष्ण कुमार के अनुसार “लिंग आधारित पूर्वाग्रह वास्तव में अवचेतन में इतनी गहराई तक चला गया है कि परंपरागत विषयवस्तु विश्लेषण उसे बाहर निकालकर प्रदर्शित नहीं कर सकते।” इसी प्रकार मैडलीन मैकडोनाल्ड अपने लेख ‘सामाजिक-संस्कृति पुनरुत्पादन और स्त्रियों की शिक्षा’ में कहती हैं— “‘हमें आवश्यकता है कि हम यह समझें कि जैंडर विभक्त समाज में किस प्रकार विद्यालय जैंडर आधारित भूमिकाओं को सुजित व बनाए रखते हैं। इसके लिए हमें पितृसत्तात्मक समाजों में उस स्त्री शिक्षा का विश्लेषण विकसित करना होगा जो स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में तथा विषयों को स्त्रियों की हैसियत से जोड़ती है। हमारा ज़ोर उन पद्धतियों पर होना चाहिए जहाँ स्कूली प्रक्रिया वर्गीय व जैंडर आधारित विषयों को सामने लाती हैं। वर्गीय व जैंडर संबंधों की ये दोनों ताकतें एक साथ मिलकर, यह तय करती हैं कि श्रम के सामाजिक विभाजन में कौन कहाँ की जगह लेगा।’ करुणा चानना भी कहती हैं— “‘अनेक दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि लड़कियों का सामाजीकरण और लिंग पर आधारित भूमिकाओं का विभाजन ही यह निर्धारण करता है कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी या नहीं और जाएंगी तो कब तक और क्यों? महिलाओं की

शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में सामाजिक सोच के पीछे लिंग संबंधी विचारधारा है। अतः महिलाओं की भूमिका व उनकी शिक्षा को सीमांकन करने वाले सामाजिक प्रतिमानों की गहन पड़ताल की आवश्यकता है”।

परिकल्पना

समय और साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित शोध परिकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं:-

- विद्यालय समाज में व्याप्त लिंग भेद को पुनर्रचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- विद्यालयों अपनी औपचारिक व अनौपचारिक दोनों पाठ्यचर्या के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जैंडर भेद को बनाए रखने में मदद करते हैं।
- पाठ्यचर्या में शामिल विषयों व उनके चयन हेतु अवसरों में भी जैंडर भेद शामिल होता है। पाठ्यपुस्तकों में शामिल पाठों, चित्रों, भाषा, कहानियों के नायकों आदि को इस प्रकार शामिल किया जाता है कि वे जैंडर भेद को बालकों में आत्मसात कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- शिक्षक-छात्र अंतरक्रियाएँ भी इस प्रकार से होती हैं कि समान्यतः छात्राओं को छात्रों से भिन्न कार्य करने, भिन्न-भिन्न प्रकार के खेल खेलने व कक्षा में भी अलग अलग प्रकार से व्यवहार (दंड दिए जाने के मामले में भी लड़कों व लड़कियों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है) किया जाता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

विद्यालय जैंडर भाव को पैदा करने में अपनी किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, इसका विश्लेषण करना।

विद्यालय की औपचारिक पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार व किस स्तर तक वे एक लड़की के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है?

विद्यालयों की अनौपचारिक पाठ्यचर्या/गतिविधि किस प्रकार जैंडर विभक्त समाज को मजबूती प्रदान करती है, इसका आलोचनात्मक अवलोकन करना।

शोध विधि

प्रतिदर्श

अध्ययन का आधार उत्तरी दिल्ली के दो विद्यालयों को बनाया गया। पहला, राजकीय कन्या उच्च शिक्षा विद्यालय है, जो दो पाली में चलता है। दूसरा, माध्यमिक सहशिक्षा विद्यालय है, जिसमें लड़के व लड़कियाँ एक साथ एक समय में पढ़ते हैं। दोनों विद्यालय सरकारी होते हुए भी अपनी प्रकृति में एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों विद्यालयों का आरंभ समय, समय सारणी, स्तर, यूनिफॉर्म, छात्र-छात्राओं की संख्या, विद्यालयों की संरचना आदि के संबंध में अंतर है मात्र पाठ्यपुस्तकों की समानता है।

शोध तकनीक

दोनों प्रकार के विद्यालयों में एथनोग्राफी अध्ययन विधि के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया गया। पाठ्यपुस्तक विश्लेषण हेतु आलोचनात्मक विधि की मदद ली गई।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणाम

विद्यालय व परंपरागत भूमिकाओं का प्रशिक्षण

अध्ययन के दौरान यह पाया गया की वह विद्यालय, जो दो पाली में चलता है, वहाँ लड़कियों को 11वीं कक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में सौन्दर्य कला, सिलाई-कढ़ाई, पेंटिंग व पाक कला में से एक को चुनना होता है जबकि दूसरी पाली में आने वाले लड़कों को बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, पेंटिंग में से एक का चयन करना होता है। वहाँ वह विद्यालय जो एक पाली में चलता है वहाँ गृहविज्ञान बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। जबकि बालक उसके बदले शारीरिक शिक्षा का चयन कर सकते हैं। विषयों के चयन व अवसर को लेकर इस प्रकार के दोहरेपन से यह सवाल उठता है कि क्यूँ बालिकाओं को ही ऐसे विषयों में प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है जो जैंडर विभक्त समाज में उनकी भूमिका का निर्धारण करते हैं। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि विषयों का यह विभाजन मात्र ज्ञान के वितरण का मसला नहीं है बल्कि ये भविष्य की भूमिका के निर्धारण का भी मामला है।

मुखोपाध्याय अपने अध्ययन में यह उजागर करते हैं कि “अधिकतर लड़कियों के विद्यालयों में विज्ञान शाखा की कमी— उन्हें सहशिक्षा वाले विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए बल डालती है। साथ ही जिन विद्यालयों में विज्ञान शाखा है भी वहाँ की लैब, शोध के उपकरण, आदि लड़कों के विद्यालयों में उपस्थित सुविधाओं की तुलना में

नाकाफी व कामचलाऊ है”। मैकडोनाल्ड का पुनरुत्पादन सिद्धांत भी बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से यह समझाने में सफल रहा है कि किस प्रकार विद्यालय लड़कियों को घरेलू भविष्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। वे कहते हैं— “1980 के दशक तक लगभग सभी स्कूलों में गृहविज्ञान बखूबी अपनी भूमिका निभा रहा था। यहाँ तक कि जहाँ पाठ्यचर्चा ऊपरी तौर पर अधिक जैंडर निरपेक्ष हो गई थी वहाँ भी एक छिपी पाठ्यचर्चा थी जो लड़कियों को चतुराई से घरेलूपन और कम पारिश्रमिक वाले कार्यों वाले भविष्य की दिशा में ढकेलती थी। घरेलूपन के लिए स्कूली शिक्षा के एक स्वरूप का प्रावधान संभवतः उन तरीकों में से एक है जिसमें सुरक्षित स्त्री श्रम बल और अकुशल, सस्ते श्रम शक्ति के निरंतर अस्तित्व के लिए शर्तें सुनिश्चित की जाती हैं। स्कूली शिक्षा का ऐसा स्वरूप श्रमिकों के जीव वैज्ञानिक पुनरुत्पादन और पोषण के लिए उत्तरदायी महिला श्रम शक्ति को प्रोत्साहित करने के जरिए पूंजीवाद के पुनरुत्पादन में अप्रत्यक्ष योगदान करता है”।

भारतीय शिक्षा की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए करुणा चानना कहती हैं कि ‘हालांकि महिलाओं की शिक्षा ने 19वीं सदी के पूर्व में भी समाज सुधारकों को अपनी ओर आकर्षित किया लेकिन 19वीं सदी के अंत में ये आवाजे तेज हो गई। इस समय शिक्षित लोग विवाह के लिए शिक्षित लड़कियों को तरजीह देने लगे। अन्य तथ्यों के साथ इस तथ्य ने भी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने को प्रेरित किया। अंततः पूना स्थित सेवा सदन जैसे स्वयं सेवी संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय लड़कियों को भाषा की शिक्षा देने के अलावा संगीत, गृह-विज्ञान, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और मिडवाइफरी आदि में भी शिक्षा देने लगे। यहाँ मुख्य विचार यह था कि क्योंकि एक लड़की को पत्नी और माँ बनाना है अंततः स्कूली शिक्षा ऐसी हो जो उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने के लिए प्रशिक्षित करे। इस प्रकार सभी प्रकार के प्रयासों ने जहाँ महिलाओं की शिक्षा की बात की, वहाँ उन्होंने विद्यालय पाठ्यक्रम के जरिए पारंपरिक भूमिका को सुदृढ़ करने के विचार को भी बढ़ावा दिया”। उपरोक्त सभी तर्कों व अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को शिक्षित करने के पीछे उन्हें ज्ञान देने की मंशा से अधिक उन्हें उनकी निर्धारित भूमिका में ढालने का उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान

विशेष तौर पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान (जिसे विद्यालयों में ‘अधिकारिक ज्ञान’ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है) का विश्लेषण इस संदर्भ में करना आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से पाठ्यपुस्तकों सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता को अभिव्यक्त करती हैं? वे कौन सी विशेषताएँ हैं जो पुस्तकों में अभिव्यक्त होती हैं तथा नारीत्व व पुरुषत्व आधारित व्यवहार को मजबूत करती हैं। अधिकतर पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि औपचारिक विद्यालय पाठ्यक्रम में पुरुषवादी विचारधारा अधिक पाई जाती है व महिला पक्ष की उपेक्षा की गई है।

पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को विद्यालयों में अधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इसमें जो ज्ञान/ सूचना/ भाषा/ चित्र आदि प्रयुक्त हों वह लैंगिक भेद से रहित हों। अध्ययन में पाठ्यपुस्तक विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 द्वारा निर्मित कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र की पुस्तक ‘सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-2’ को चुना। यह पुस्तक कुल 5 इकाइयों सहित 10 अध्याय से युक्त है। समाज में व्याप्त असमानताओं की चर्चा कहानियों व चित्रों के माध्यम से की गई है। यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि पाठ के आरंभ में 13 चित्रों को दिखाया गया है जिसमें 6 चित्र महिलाओं पर हैं। इनमें एक महिला शिक्षिका के रूप में, दो घरेलू कामगार, एक गृहिणी, परामर्शदाता व मीडिया कर्मी के रूप में दिखाई गई है। जैंडर लेंस से देखने पर यही प्रतीत होता है कि महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका के रूप में ही दिखाया गया है। जबकि पुरुषों को उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, छात्र, किसान, बेरोज़गार के रूप में दिखाया गया है। दूसरा, जातिगत भेद व धर्म आधारित भेद को सविस्तार कहानी के माध्यम से बताया गया है परंतु लैंगिक भेद के संदर्भ में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि लैंगिक भेद एक ऐसा मसला है जिससे संबंधित कई अनुभव छात्र-छात्राओं को पता हो सकते हैं। इसी प्रकार पाठ 3 जो राज्य शासन पर आधारित है। उसमें भी कहानी के माध्यम से पाठ पर समझ विकसित की गई है। कहानी में जिस शख्शियत को बहुत दमदार रूप में दिखाया गया है जो शासन के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के विरोध पर ऊँची बुलन्द आवाज में मांग कर रहा है वह एक पुरुष नेता है। क्या यहाँ पर भी जैंडर भेद नज़र नहीं आता? क्या राजनीतिक सम्मेलनों, सरकार विरोधी प्रदर्शनों या नेता के रूप महिला को दिखाकर छात्र-छात्राओं की अलग

तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी? यह प्रश्न चिंतनीय है। पाठ 4 व 5 लिंग भाव पर हैं जहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से यह बताया गया है कि किस प्रकार एक बालक (लड़का व लड़की) में सामाजिक लिंग तैयार किया जाता है। ‘मेरी माँ काम नहीं करती’ कहानी के जरिये घर के काम का महत्व बताया गया है परंतु किसी भी वाक्य या चित्र के माध्यम से छात्र-छात्राओं को यह नहीं बताया गया कि घरेलू कार्य क्यों महिलाओं के ही माने जाते हैं जबकि एक पुरुष भी उन सभी कामों को उतनी ही निपुणता से कर सकता है। NCF 2005 से पूर्व की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि पाठ्यपुस्तकें पूर्ण रूप से लिंग पूर्वाग्रहों से युक्त सामग्री प्रदान करती थीं परंतु NCF 2005 द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तकों में काफी सुधार लाने के प्रयास जारी हैं, परंतु ये प्रयास क्या पाठ्यपुस्तकों तक सीमित है या पूरी पाठ्यचर्या को समाहित करते हैं, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।

पाठ्यपुस्तकीय विश्लेषण के संदर्भ में यूनेस्को द्वारा 2004 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जो इस्लामाबाद के स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के जैंडर विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार “राष्ट्रीय पाठ्यचर्या गहराई व मजबूती से पुरुष वर्चस्व को प्रदर्शित करती है। मुख्य रूप से इन तीन विषयों में जैसे—इंग्लिश, उर्दू, व पाकिस्तान अध्ययन। 251 व्यक्तित्व की सूची जो पाठ्यक्रम में शामिल है, उनमें 7.7% ही महिलाएं थीं और उनमें भी अधिकतर मुस्लिम इतिहास से संबंधित थीं। कक्षा 1 से 10 की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं का भी कुल किरदारों में उनका प्रतिशत मात्र 23.1 है”।

इसी प्रकार कई अन्य शोध अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि विद्यालयों में औपचारिक व छद्म पाठ्यक्रम लड़कों और लड़कियों के मध्य विषयों के चयन संबंधी निर्णयों में जैंडर आधारित विचारों को चुनौती देने के बजाय इसे बनाए रखने पर बल देते हैं, जैसे—कारलेकर अपने अध्ययन में यह बताते हैं कि “विद्यालय में विज्ञान व गणित को ‘पुरुषत्व’ विषय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है साथ ही महिलाओं की सकारात्मक भूमिकाओं की भी अनुपस्थिति है। उदाहरणस्वरूप कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का एक पाठ जो गैस, ठोस, तरल से संबंधित है, में एक चित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आदमी व औरत दोनों शामिल हैं लेकिन अलग-अलग भूमिकाओं में, जैसे—महिलाओं को पत्नी व माता के रूप में दिखाया गया है जबकि पुरुषों को उनके कार्य संबंधी कार्य करते हुए दिखाया गया है।”

अनौपचारिक गतिविधियाँ व लिंग विभाजन

अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि जो विद्यालय सह विद्यालय हैं, में लगभग सभी कक्षाओं में (छोटी कक्षाओं- पहली से पाँचवी को छोड़ कर) लड़के व लड़कियाँ न केवल अलग-अलग बेंच पर बैठते थे बल्कि लड़के-लड़कियों की बेंच अलग-अलग पंक्ति में लगी होती थी। लड़कियों की पंक्ति में कोई लड़का नहीं बैठता था न लड़कियाँ, लड़कों के साथ। इसके साथ ही विद्यालय में सजा के तौर एक तरीका जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वह यह कि, जब भी कोई छात्र (लड़का) अनुशासन में न रहे तो उन्हें लड़कियों की पंक्ति में बैठा देना। अधिकतर शिक्षकों द्वारा यह सजा लड़कों को अनुशासन में लाने के लिए राम बाण की तरह प्रयोग में लाई जाती थी। इस प्रकार एक छात्र को छात्राओं के साथ बैठाकर उसे अपमानित महसूस करवाया जाता था। प्रार्थना सभा में भी लड़कों की पंक्ति लड़कियों से अलग बनवाई जाती थी। समय-समय पर अध्यापिकाओं द्वारा यह हिदायत दी जाती थी कि लड़के व लड़कियाँ अलग बैठें व पढ़ें। सभी कक्षाओं में दो मॉनिटर नियुक्त किए जाते थे। एक लड़का व एक लड़की। ऊपरी तौर पर देखने पर यह बहुत अच्छा लगा कि दोनों लिंग को समान दर्जा व अवसर मिल रहे हैं। परंतु अवलोकन में पाया कि छात्र मॉनिटर लड़कों को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती थी। इसी प्रकार छात्र मॉनिटर मात्र लड़कों की समस्याओं पर बोल सकता था। इस प्रकार का विभाजन सभी कक्षाओं में था। हालांकि किसी कक्षा में यह नियम सख्ती से लागू होता तो कही नरमी बरत दी जाती। एक अध्यापिका से सामान्य बातचीत के दौरान यह निकलकर आया कि ‘शिक्षण का अधिक समय लड़कों-लड़कियों को अलग बैठाने पर ही निकल जाता है। इनके माँ-बाप ये ज़िम्मेदारी भी हम पर डालते हैं कि उनकी लड़कियाँ लड़कों से बात न किया करें’। शिक्षिका बार-बार इस बात पर बल देती थी कि लड़कों के विद्यालय अलग व लड़कियों के विद्यालय अलग होने चाहिए। अवलोकन में यह भी पाया गया कि खेल के समय भी बालक बालिकाओं से अलग मैदान में खेलना पसंद करते। वहीं बालिकाएँ अधिकतर समय कक्षा में ही बिताती। जबकि दूसरे प्रकार का विद्यालय जो दो पाली में चलता है वहाँ लड़कियाँ भाग-दौड़ वाले खेलों में रुचि लेने में कोई कमी नहीं करतीं। हालांकि फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों की सुविधाओं की कमी थी परंतु बर्फ-पानी, ऊंची छलांग, चिड़ी-छक्का जैसे खेल खूब खेले जाते।

एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर जो दोनों प्रकारों के विद्यालयों में पाया गया वह किशोरी

बालिकाओं को मासिक धर्म हेतु मिलने वाली नेपकिन के बंटवारे का आयोजन। वह विद्यालय जहाँ मात्र बालिकाएँ पढ़ती वहाँ किशोरी का बंटवारा कक्षा में ही होता। वह विद्यालय जहाँ लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ते वहाँ किशोरी का बंटवारा गुप चुप तरीके से किया जाता। छात्रा मॉनिटर एक-एक लड़की को कान में बोलकर मैडम के पास भेजती। जब किसी लड़के को यह पता चल जाता तो कक्षा में लड़कियों का मज़ाक बनाया जाता। लड़के दबी ज़बान से किशोरी किशोरी शब्द को बुद्बुदाते। यह समय लड़कियों के लिए शर्म वाला होता।

इसी प्रकार बड़ौदा के दो नगर निगम विद्यालयों के अध्ययन के दौरान भट्टाचार्जी भी बताते हैं कि विद्यालयों में लड़के-लड़कियाँ कक्षा कक्ष में अलग-अलग बैठते, प्रार्थना सभा व अन्य गतिविधियों में भी लड़के-लड़कियों को अलग अलग खड़ा किया जाता था, इसके अलावा लड़के-लड़कियों के रोल नंबर न केवल अलग-अलग लिखे व बोले जाते हैं।’’। इस प्रकार के विभाजन हालांकि कई बार प्रत्यक्ष नहीं होते परंतु इन विभाजनों से एक बालक पर जो प्रभाव पड़ता है वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः: यह कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था की सभी गतिविधियों में चाहे वह शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच का प्रश्न हो, विद्यालयों में विषयों के चयन का अवसर हो, कक्षा-कक्ष का गठन हो, सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता का मौका हो या पाठ्यपुस्तकों में प्रदर्शित चित्र, भाषा या किरदार का मसला हो आदि सभी पहलुओं में जैंडर भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। मालिनी घोष यह तर्क प्रस्तुत करती हैं— ‘‘पाठ्यचर्या जिसमें विषयवस्तु, भाषा, पाठ्यपुस्तक में दर्शाए गए चित्र शामिल हैं और इस प्रकार अध्यापकों की समझ एवं दृष्टिकोण वह ताकत है जो पितृसत्तात्मक संरचना को और अधिक मजबूत करती है। एक शैक्षिक कार्यक्रम ‘घरेलु कार्यक्रम’ की तरह एक सीमित कार्यक्षेत्र बन जाता है जहाँ भेदभाव सामान्य व शांत है’’। कृष्ण कुमार अपने एक लेख में शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि ‘‘समाज में जिन तबकों का वर्चस्व है वे शिक्षा और विशेषकर पाठ्यक्रम का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने में कर सकते हैं कि उनकी आवाजों के अलावा बाकी सभी आवाजें इतनी नाकाफी, कमजोर या बिगड़े रूप में आए कि उनकी अपील नकारात्मक हो जाए और पाठ्यक्रम के विर्माण में उनके लिए जगह न रह जाए’’। इसी प्रकार बर्नस्टीन एवम कैडी ने अपने शोध के आधार पर

यह प्रतिपादित किया कि “‘पाठ्यचर्चा समाज में दबंग तबकों को वह जरिया मुहैया करवाती है जिसके सहारे वह अधीनस्थ समूह पर नियंत्रण कायम रखते हुए अपनी बढ़त वाली स्थिति को बरकरार रखते हैं’’। इन सभी तर्कों के महेनज़र शिक्षा को निरक्षेप साधन या मासूम प्रक्रिया नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह छात्र-छात्रा हो या प्रधानाचार्य हो या अन्य कर्मचारी, अपने साथ कुछ विश्वास, मूल्यों, संस्कृति आदि को लेकर आता है और शिक्षक इसका अपवाद नहीं है। अतः सम्पूर्ण स्कूली प्रक्रिया को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।

यहाँ जो बिन्दु स्पष्ट करना आवश्यक है वह यह है कि जब शिक्षा में समानता की बात की जाती है तो अधिकतर लोग मात्र शिक्षा प्राप्ति के अवसरों में लड़कों व लड़कियों की बराबरी (पहुँच) की माँग से ही संतुष्ट हो जाते हैं परंतु पहुँच की समानता के साथ ही बराबरी की प्रस्तुति व बिना किसी भेद के उन्मुक्त विकास को भी समानता में शामिल करके देखा जाना आवश्यक है। जैसे— यूनेस्को, जैंडर समानता के संदर्भ में कहता है कि “समानता दो सिद्धांतों का संयोग है— समता और गुण/विशेषता। जैंडर समानता की जब बात करते हैं तब उसका अर्थ लड़कों व लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर देना व अकादमिक वातावरण (अधिगमन- शिक्षण, पाठ्यक्रम या कक्षा-कक्ष वातावरण आदि) को समान रूप से बिना किसी लिंग विभेद किए उपलब्ध कराना। अर्थात मात्र लड़के लड़कियों के लिए पर्याप्त विद्यालय खोल देना ही समानता नहीं है बल्कि इन विद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, अनौपचारिक व औपचारिक अकादमिक व्यवहार आदि में भी उस गुण/विशेषता का होना जो लिंग भेद से कोसो दूर हों, को समानता कहा जाएगा। इस प्रकार समता व गुण दोनों मिलकर शिक्षा में समानता का अधिकार कहलाएगा”।

संदर्भ

- द बुआ, सिमोन. (1993). स्त्री उपेक्षिता. प्रभा खेतान (अनुवादक), द्वितीय खंड: आज की स्त्री, हिन्दी पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड.
- दुर्घीम, एमील. (2008). शिक्षा का स्वरूप और उसकी भूमिका. सुरेशचंद्र शुक्ल एवं कृष्ण कुमार (संपादित) शिक्षा का समाजशास्त्रीय संदर्भ, नई दिल्ली, ग्रंथ शिल्पी.
- सुरेशचंद्र शुक्ल एवं कृष्ण कुमार (संपादित) शिक्षा का समाजशास्त्रीय संदर्भ, नई दिल्ली, ग्रंथ शिल्पी बर्जर, पी. एवं लक्मैन, दी. (1991). दि सोशल कंस्टक्सन ऑफ रियलटि, ए टीवाइज इन दी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज / दिल्ली, पैड्गुइन बुक्स.

- मैकडोनाल्ड, एम. (1980). सोशियों कल्चर रीप्रोडक्सन एंड विमेन्स एजुकेशन. आरडीम (संपादित) विमेन एंड स्कूलिंग. लंदन: राट्लेज
- कुमार, कृष्ण. (1998). शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व. दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.
- चानना, करुणा. (2008). भारत में प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता: मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य. सुरेशचंद्र शुक्ल एवं कृष्ण कुमार (संपादित) शिक्षा का समाजशास्त्रीय संदर्भ, नई दिल्ली, ग्रंथ शिल्पी.
- लित, फेंगशु. (2006) स्कूल कल्चर एंड जैंडर. क्रिस्टीन स्केलटोन, लिसा स्मूलयन व अन्य (संपादित) सागा हैंडबुक ऑफ जैंडर एंड एडुकेशन. लंदन: सागा पब्लिकेशन.
- एप्पल, माइकल. आइडियोलॉजी एंड करीकुलम। न्यूयार्क: रट्लेज
- ब्लेनकीन, जी. एम, एडवर्ड, जी. एवं केली, ए. वी. (1992). चेंज एंड दि करिक्युलम. लंदन: पॉल चैपमेन पब्लिशिंग लिमिटेड.
- मैकडोनाल्ड, एम. (1980) सोशियों कल्चर रीप्रोडक्सन एंड विमेन्स एजुकेशन. आरडीम (संपादित) विमेन एंड स्कूलिंग. लंदन: राट्लेज
- यूनेस्को (2004). जैंडर एनालिसिस ऑफ स्कूल कुरीकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, इस्लामाबाद

विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन एवं विकास समिति की भूमिका और उसका प्रभाव

ए.पी. पाण्डेय* एवं गरिमा जैन**

प्रस्तावना

परिवार शब्द का अर्थ समाज के उस सबसे छोटे रूप से लिया जाता है जिसमें माता-पिता, बालक रहते हैं। परिवार का महत्व शिक्षा में अत्यधिक है। परिवार समाज का सबसे सूक्ष्मतम स्वरूप है। परिवार बाल विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

विद्यालय वह स्थान या भवन है जहां बालक शिक्षा ग्रहण करता है। जहां पर शिक्षा की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति की शिक्षा किसी निश्चित समय तथा स्थान तक सीमित नहीं है। सम्पूर्ण विश्व मानव के लिए विद्यालय है।

यह माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था के बेहतर संचालन में मात्र गुरु ही पूर्ण जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और उसके सर्वव्यापीकरण में शासन, प्रशासन, अभिभावक, परिवार, जनसमुदाय और आसपास के वातावरण की भूमिका अहम है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार, विद्यालय और जनसमुदाय (समाज) का आपसी सहयोग होना आवश्यक है। विद्यालय अपना उत्तरदायित्व तभी निभा सकता है जब शिक्षकों, पालकों एवं जनसमुदाय में सतत् सम्पर्क हो। जिन विद्यालयों में पालक सम्पर्क व्यवस्था क्रियान्वित की गई है, वहां के परिणाम अच्छे आए हैं।

ऐसी स्थिति में प्रशासन ने अभिभावकों, समाज के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को शाला से जोड़कर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन कराया और इसे कुछ अधिकार सौंपकर यह अपेक्षा की कि सामुदायिक भावना के साथ शाला के विकास एवं शिक्षा के उन्नयन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन किये जा सकते हैं।

* प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

** एम.एड. शोधार्थी, शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त हाईस्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न घटकों पर अपनी सहभागिता के साथ विद्यालय के उन्नयन में शासन का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है।

वर्तमान समय में प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति सजग व जागरूक हो गया है। इस कारण वह उनकी विद्यालयीन गतिविधियों से जुड़ा रहना चाहता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि बालक का शैक्षिक स्तर एवं विद्यालयीन शिक्षा का स्वरूप आदि कैसा है? इसके अतिरिक्त शाला प्रबंधन एवं विकास समिति निम्न बातों पर भी ध्यान देती है :

- विद्यालय का स्तर कैसा है?
- विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधन कैसे और कितने हैं?
- विद्यालय के शिक्षकों का छात्र के प्रति कितना रुझान है?
- छात्र अनुशासित हैं अथवा नहीं?
- विद्यालय में पर्याप्त संसाधन हैं अथवा नहीं?
- विद्यालय की प्रगति कैसी है?
- विद्यालय में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि कैसी है?

उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर खोजने में पालक निरन्तर सक्रिय रहते हैं। शासन ने समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का कार्य किया है। इस कड़ी में विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों, समाज के लोगों, जनप्रतिनिधियों, शाला के प्राचार्य और शिक्षकों की एक समिति गठित की गई जो उपरोक्त प्रश्नों के हल खोजकर विद्यालय के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसे ही शाला प्रबन्ध एवं विकास समिति का नाम दिया गया है जिसे संक्षेप में हम (S.M.D.C.) एस.एम.डी.सी. कहते हैं।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का अर्थ

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार और विद्यालय का आपसी सहयोग होना आवश्यक है। विद्यालय अपना उत्तरदायित्व तभी निभा सकता है जब शिक्षकों एवं पालकों में सतत् संपर्क हो। जिन विद्यालयों में शिक्षक-पालक सम्पर्क व्यवस्था क्रियान्वित की गई है वहाँ के परिणाम अच्छे आए हैं। इसी के आधार पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन किया गया है जो विद्यालय एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की संरचना एवं स्वरूप

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति में विद्यालय का प्राचार्य अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक एवं शाला के शिक्षक, समिति के सदस्य होते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं।

विद्यालय स्तर पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का संगठन निम्नानुसार है:

क्र.स.	पद	पदाधिकारी
1	अध्यक्ष	विद्यालय का प्राचार्य
2	सदस्य	एक शिक्षक, विज्ञान विषय से संबंधित
3	सदस्य	एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित
4	सदस्य	एक शिक्षक, गणित विषय से संबंधित
5	सदस्य	एक शिक्षक, ललित कला/हस्तकला/संस्कृति/खेलकूद से संबंधित
6	सदस्य	एक पुरुष पालकों में से
7	सदस्य	एक महिला, पालकों में से
8	सदस्य	एक पालक, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय में से
9	सदस्य	एक पालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय में से
10	सदस्य	एक प्रतिनिधि, पंचायत या स्थानीय निकाय से
11	सदस्य	एक प्रतिनिधि, महिला समूह से (यदि हो तो)
12	सदस्य	एक प्रतिनिधि, ग्राम शिक्षा समिति से (यदि हो तो)
13	सदस्य	एक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत
14	सदस्य	तीन विशेषज्ञ, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत विज्ञान, मानविकी एवं ललित कला, हस्तकला/संस्कृति पृष्ठभूमि वाले
15	सदस्य	एक व्यक्ति, लेखा एवं ऑडिट से संबंधित

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को प्रदत्त अधिकार एवं दायित्व

शाला के समग्र विकास हेतु शाला प्रबंधन समिति को कुछ अधिकार सौंपकर इनके

दायित्वों को निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:

1. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति विद्यालय स्तरीय योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में स्थानीय स्रोत समूह के रूप में कार्य करेगी।
2. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ग्राम स्तर पर विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी।
3. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शासन की योजनाओं को समय सीमा में क्रियान्वित करेगी।
4. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति विद्यालय की सभी गतिविधियों का अनुवीक्षण करेगी।
5. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति विद्यालय की सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करेगी।
6. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक आँकड़ों का संकलन करेगी।
7. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति योजनाओं के घटकों में कहीं कठिनाई होने पर उनके सुधारात्मक एवं उपचारात्मक उपाय करेगी।
8. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम (RMSA) के क्रियान्वयन में व्यय होने वाली राशि के समस्त अभिलेखों का अवलोकन करेगी।
9. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति विद्यालय की उन्नति के लिए विद्यालय के रख-रखाव, मरम्मत और नवीन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा करवायेगी।
10. समिति शाला के रखरखाव, मरम्मत और नवीन निर्माण से संबंधित कार्यों के तकनीकी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगी एवं इनसे संबंधित समस्त अभिलेखों को प्रमाणित भी करेगी।
11. शासन से अनुदान प्राप्त करने और व्यय करने हेतु बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।
12. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का बैंक खाता प्राचार्य तथा एक वरिष्ठ शिक्षक/व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा।

अध्ययन की आवश्यकता

आधुनिक जीवन में अनुसंधान का विशेष महत्व है। हमारी वर्तमान प्रगति का मूल शोध

ही है। समाज और राष्ट्र की प्रगति को शोध के परिणामों द्वारा पहचाना जाता है क्योंकि समाज और राष्ट्र की मूल समस्याओं का समाधान शोध कार्यों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्र और समाज की उन्नति पुनर्निर्माण तथा प्रगति के लिए जिन सामाजिक सेवाओं का संचालन किया जाता है, उनमें शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम उपलब्ध साधन या स्थान विद्यालय है।

विद्यालय मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने वाली संस्था नहीं है। यहाँ विद्यार्थी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ कराकर छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाता है। प्रत्येक पालक अपने बालक को ऐसे स्कूल में प्रवेश कराना चाहता है जहाँ बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, पुस्तकालय खेल के लिए, संसाधन एवं अन्य छात्र सहगामी क्रियाओं का छात्रों की क्रियाशीलता पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त शासकीय हाईस्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन अनिवार्य रूप से कराया गया है, जो विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शैक्षिक परिदृश्य में होने वाले सुधार में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की महत्ता तथा आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जब शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शिक्षा के क्षेत्र में अधिक भूमिका निभा रही है तो यह जानने की आवश्यकता हुई कि इस बात का पता लगाया जाय कि समिति किस प्रकार से कार्य कर रही है? कैसे कार्य कर रही है? शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का शाला संचालन में क्या महत्व है?

यह निष्पक्ष रूप से अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है? या नहीं?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु इस अध्ययन की आवश्यकता को महसूस किया गया।

समस्या कथन

‘‘विद्यालय में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन (सारंगपुर विकासखण्ड के सन्दर्भ में)’’

शब्दों को परिभाषित करना

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्ष 2009–2010

के अन्तर्गत विद्यार्थियों के अभिभावक, विद्यालय का प्राचार्य, शिक्षक समुदाय और जनप्रतिनिधियों से गठित एक संवैधानिक संगठित इकाई है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है:

1. विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के क्षेत्रों का अध्ययन करना।
2. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के कार्य क्षेत्र का अध्ययन की अकादमिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए शासकीय योजनाओं के संचालन में क्रियाशीलता को जानना।
3. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों की शाला की सभी गतिविधियों के प्रति सजगता को ज्ञात करना।
4. समिति विद्यालय में रखरखाव, मरम्मत और निर्माण से संबंधित कार्यों में तकनीकी प्रावधानों का पालन कर रही है, यह जानना।

परिकल्पना

परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है और शोधकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। परिकल्पना की पुष्टि से ही शोध कार्य के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस शोधकार्य की परिकल्पनायें निम्नलिखित हैं:

1. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के समस्त सदस्यों को अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं है।
2. शाला के सुचारू संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अपने दायित्वों को निर्वहन सजगता से नहीं कर रही है।
3. शासन द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ही सकारात्मक रूप से क्रियाशील परिलक्षित होती है।
4. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सभी सदस्य इसकी जिम्मेदारी सकारात्मक रूप से नहीं निभा रहे हैं।

परिसीमन

समस्या का व्यावहारिक रूप से अध्ययन करने के लिए सीमांकन करना आवश्यक होता है। शोध के निष्कर्ष भी इन्हीं सीमाओं से सुनिश्चित हो जाते हैं।

इस शोध कार्य का क्षेत्र राज्य एवं जिला न होकर राजगढ़ जिले के अन्तर्गत स्थित सारंगपुर विकासखण्ड है।

सारंगपुर विकासखण्ड के शासकीय हाईस्कूलों में से 10 हाईस्कूलों का चयन इस शोध कार्य हेतु किया गया है।

आंकड़ों को प्रश्नावली द्वारा प्राप्त किया गया है। सभी प्राप्त प्रश्नावलियों का सारणीयन कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण उपरान्त निष्कर्ष प्राप्त कर परिकल्पनाओं को सत्यापित किया गया है एवं सुझाव दिए गए हैं।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोधकार्य में विकासखण्ड सारंगपुर जिला राजगढ़ के कुल 23 शासकीय हाईस्कूलों में से 10 शासकीय हाईस्कूलों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया है जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विकासखण्ड	शाला का नाम
1	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल धनोरा
2	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल मऊ
3	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल टिकोद
4	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल थिडलावनिया
5	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल ब्यावरा मांडू
6	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल आमला रोड़
7	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल पटाडिया धाकड़
8	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल सुल्तानिया
9	सारंगपुर	शासकीय कन्या हाईस्कूल पाडल्या
10	सारंगपुर	शासकीय हाईस्कूल आसारेटा

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया गया है। प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि पूछे गए प्रश्न शोध समस्या से संबंधित हों तथा प्रश्नों में व्यापकता का समावेश हो।

प्रदत्तों का संकलन अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण है। अनुसंधान की योजना संबंधित प्रारंभिक बातों पर निर्णय लेने के बाद प्रदत्तों के संकलन का कार्य किया जाता है।

अनुसंधान के लिए प्रदत्त मूलाधार है। इसकी सफलता या असफलता पूरी तरह प्रदत्तों पर निर्भर करती है। अनुसंधान के विशाल भवन का निर्माण संकलित प्रदत्तों की नींव पर होता है। प्रदत्तों का संकलन करते समय अत्यन्त सावधानी, सतर्कता, दृढ़ता, विश्वास, निष्पक्षता और धैर्य से काम लिया गया है।

प्रस्तुत शोधकार्य में शोध परीक्षण के पश्चात् प्राप्त प्रदत्तों का संकलन एवं व्यवस्थापन किया गया है। प्रदत्तों के संकलन से हमें शोध कार्य के निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायता मिलती है, साथ ही शोध की वैधता एवं विश्वसनीयता भी स्थापित होती है।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्षों एवं सदस्यों को कुल 150 प्रश्नावलियों का वितरण किया गया और सभी 150 प्रश्नावलियाँ उत्तर सहित प्राप्त की गईं।

चयनित विद्यालयों की शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों से प्रश्नावली भरवाकर उत्तर प्राप्त किये गये हैं।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से प्राप्त प्रश्नावलियों के उत्तर को सारणीबद्ध कर उनका, विश्लेषण किया गया जो निम्नानुसार है:
शाला प्रबंधन एवं विकास समिति “स्कूल चलें अभियान” में किस प्रकार सहयोग करती है:

क्र.	विवरण	विकल्प			
		प्रवेश सत्र में रैली आयोजित करके	घर-घर जाकर पालकों से सम्पर्क करके	प्रवेश उत्सव मनाकर	कोई रुचि नहीं लेते हैं
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति सदस्य	20	50	70	10
	प्रतिशत	13.34%	33.32%	46.7%	6.7%

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि ‘स्कूल चलें अभियान’ में 13.3% शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य प्रवेश सत्र में रैली आयोजित करके सहयोग प्रदान करते हैं, 33.3% सदस्य घर-घर जाकर पालकों से सम्पर्क करके सहयोग प्रदान करते हैं, 46.7% सदस्य प्रवेश उत्सव मनाकर सहयोग प्रदान करते हैं और 6.7% सदस्य कोई रुचि नहीं लेते हैं। इन 6.7% को छोड़कर शेष सभी 93.3% किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करते हैं।

शाला त्यागी/अप्रवेशी बच्चों को शाला में नामांकित करने के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की क्या भूमिका रहती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		बच्चों से सम्पर्क करती है	पालकों से सम्पर्क करती है	बच्चों एवं पालकों को शिक्षा का महत्व बतलाती है	कोई कार्य नहीं करती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	02	64	80	04
	प्रतिशत	1.3%	42.7%	53.3%	2.67%

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि शाला त्यागी/अप्रवेशी बच्चों को शाला से जोड़ने में 1.3% शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य बच्चों से सम्पर्क करके सहयोग प्रदान करते हैं, 42.7% सदस्य पालकों से सम्पर्क करके सहयोग प्रदान करते हैं, 53.3% सदस्य बच्चों और पालकों को शिक्षा का महत्व बतलाकर सहयोग प्रदान करते हैं जबकि मात्र 2.67% सदस्य कोई भी कार्य नहीं करते हैं।

शाला में नियमित शिक्षकों का अभाव होने पर उनकी पूर्ति हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति किस प्रकार सहयोग कर सकती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करती है	विकासखण्ड अधिकारियों से सम्पर्क करती है	जिला प्रशासन के अधिकारियों से सम्पर्क करती है	कोई रुचि नहीं लेता है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	140	05	05	00
	प्रतिशत	93.3%	3.3%	3.3%	0%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला में नियमित शिक्षकों का अभाव होने पर उनकी पूर्ति हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 93.3% सदस्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कराकर सहयोग करते हैं, 3.3% सदस्य विकासखण्ड अधिकारियों से सम्पर्क करके सहयोग प्रदान करते हैं तथा 3.3% सदस्य जिला प्रशासन के अधिकारियों से सम्पर्क करके सहयोग प्रदान करते हैं।

अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न होने पर शाला प्रबंधन समिति क्या प्रयास करती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		पास की पंचायतों/ग्रामों से सम्पर्क कर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करती है	जिले के अधिकारियों को कहते हैं कि वे अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करती है	कोई प्रयास नहीं लेता है	
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	120	25	05	00
	प्रतिशत	80%	16.67%	3.3%	0%

उपरोक्त तालिका से परिलक्षित होता है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न होने पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 80% सदस्य स्थानीय पढ़े-लिखे व्यक्तियों को चिह्नित करके सहयोग प्रदान करते हैं, 16.67% सदस्य पास की पंचायतों/ग्रामों से सम्पर्क कर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करते हैं, 3.3% सदस्य जिले के अधिकारियों को कहते हैं कि वे अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करें, इस प्रकार सहयोग प्रदान करते हैं।

कमजोर बच्चों हेतु विशेष कक्षा संचालन में शाला प्रबंध समिति किस प्रकार मदद करती है?

क्र.		विकल्प			
	विवरण	अतिरिक्त शिक्षक की मांग करके करती है	कमजोर बच्चों को कक्षा में उपस्थित रहने हेतु प्रेरित करती है	गाँव में उपलब्ध सेवानिवृत्त शिक्षक से सहायता लेकर	शाला के शिक्षकों से ही अतिरिक्त कक्षा में पढ़वाकर
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	00	130	00	20
	प्रतिशत	0%	86.6%	0%	13.3%

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती करती है कि कमजोर बच्चों हेतु विशेष कक्षा संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 86.6% सदस्य कमजोर बच्चों को कक्षा में उपस्थित रहने हेतु प्रेरित कर सहयोग प्रदान करते हैं। 13.3% सदस्य शाला के शिक्षकों से ही अतिरिक्त कक्षा में पढ़वाकर सहयोग प्रदान करते हैं।

बच्चों के अकादमिक स्तर को बढ़ाने हेतु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने में शाला प्रबंध समिति किस प्रकार सहयोग प्रदान करती है?

क्र.		विकल्प			
	विवरण	आवश्यक सामग्री की जानकारी प्राप्त करती है	बाजार से सामग्री क्रय कराती है	प्राचार्य से कहकर आवश्यक सामग्री मंगाती है	कोई सहयोग नहीं करती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	02	38	110	00
	प्रतिशत	3.3%	25.3%	73.3%	0%

उपरोक्त तालिका से दृष्टिगोचर होता है कि बच्चों के अकादमिक स्तर को बढ़ाने हेतु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने में शाला प्रबंध ने समिति के 3.3% सदस्य आवश्यक सामग्री की जानकारी प्राप्त करते हैं, 25.3% सदस्य बाजार से समग्री क्रय करते हैं, 73.3% सदस्य प्राचार्य से कहकर आवश्यक सामग्री मँगाकर सहयोग प्रदान करते हैं।

शाला प्रबंध समिति शौचालय निर्माण में किस प्रकार सहयोग करती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		निर्माण कार्य अपने स्वयं के मार्ग दर्शन में कराती है	शासन को शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजकर	जन सहयोग के माध्यम से	कोई रुचि नहीं लेती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	05	141	00	04
	प्रतिशत	3.3%	94%	0%	2.7%

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि शाला में शौचालय के निर्माण में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 3.3% सदस्य निर्माण कार्य अपने स्वयं के मार्गदर्शन में कराकर सहयोग प्रदान करते हैं, 94% सदस्य शासन को शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजकर सहयोग प्राप्त करते हैं जबकि जनसहयोग के माध्यम से सदस्यों की संख्या 0% है और 27 प्रतिशत सदस्य कोई रुचि नहीं लेते हैं।

शाला में पीने के पानी की वर्तमान स्थिति है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		शाला में उपलब्ध हैंड पंप द्वारा	सार्वजनिक हैंड पंप द्वारा	गांव के कुएं द्वारा	नल-जल योजना अंतर्गत
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	45	90	00	15
	प्रतिशत	30%	60%	0%	10%

उपरोक्त तालिका से हम पाते हैं कि शाला में पीने के पानी की वर्तमान स्थिति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 30% सदस्यों के मतानुसार शाला में उपलब्ध हैण्डपम्प द्वारा, 60% सदस्यों के मतानुसार सार्वजनिक हैण्डपम्प द्वारा, 0% सदस्यों के द्वारा गाँव के कुएँ द्वारा जबकि 10% सदस्यों के मतानुसार नल-जल योजना से व्यवस्था की जाती है।

पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर शाला प्रबंधन समिति की भूमिका क्या है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
	शाला परिसर में हैंडपंप हेतु प्रस्ताव शासन को भेजती है	शाला शिक्षा कोष से मदद लेकर पानी की व्यवस्था करती है।	शाला परिसर में पानी की व्यवस्था करती है।	जन सहयोग से शाला परिसर में पानी की व्यवस्था करती है।	किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	25	100	25	00
	प्रतिशत	16.7%	66.6%	16.7%	0%

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि शाला में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 16.7% सदस्य शाला परिसर में हैण्डपम्प हेतु प्रस्ताव शासन को भेजकर सहयोग करते हैं। 66.6% सदस्य शाला शिक्षा कोष से मदद लेकर पानी की व्यवस्था करते हैं। 16.7% सदस्य जनसहयोग से शाला परिसर में पानी की व्यवस्था करके सहयोग करते हैं और 0% सदस्य किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं अर्थात् सहयोग नहीं करने वाले सदस्य की संख्या निरंक है।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा ग्राम में पढ़े-लिखे समूह को शाला से जोड़ने हेतु क्या प्रयास किये जाते हैं?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		पढ़े-लिखे समूह से सम्पर्क करती है	पढ़े लिखे समूह को प्रोत्साहित करती है	पढ़े लिखे समूह से मिलकर योजना बनाती है	कोई प्रयास नहीं करती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	25	120	05	00
	प्रतिशत	16.7%	80%	3.3%	0%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्राम में पढ़े-लिखे समूह को शाला से जोड़ने के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 16.7% सदस्यों के मतानुसार ग्राम के पढ़े-लिखे समूहों से सम्पर्क कर सहयोग किया जाता है, 80% सदस्यों के मतानुसार पढ़े-लिखे समूह को प्रोत्साहित करने में सहयोग देते हैं, 3.3% सदस्य ग्राम के पढ़े-लिखे समूह से मिलकर योजना बनाकर सहयोग करते हैं और 0% सदस्यों द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जाता है।

शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		3 बार	6 बार	9 बार	12 बार
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	20	30	90	10
	प्रतिशत	13.3%	20%	60%	6.7%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक वर्ष में 13.3% सदस्यों के मतानुसार 3 बार होती है, 20% सदस्यों द्वारा 6 बार होती हैं, 60% सदस्यों के मतानुसार 9 बार होती है 6.7% सदस्यों के मतानुसार 12 बार सम्पन्न होती है।

माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अकादमिक पक्ष कौन-सा हैं?

क्र.	विवरण	विकल्प			
	आवश्यक सामग्री की जानकारी प्राप्त करती है	बाजार से सामग्री क्रय करती है	प्राचार्य से कहकर सामग्री मंगाती है	कोई सहयोग नहीं करती है	
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	5	40	90	12
	प्रतिशत	5.33%	26.7%	60%	8%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अकादमिक पक्ष शाला प्रबंधन समिति के 5.33% सदस्यों के मतानुसार शाला भवन का निर्माण कराना, 26.7% सदस्यों के मतानुसार शत् प्रतिशत बच्चों को शाला में दर्ज कराना, 60% सदस्यों के मतानुसार छात्रों में अकादमिक स्तर में वृद्धि कराना और 8% सदस्यों के अनुसार शालात्यागी/अप्रवेशी बच्चों को शाला में दर्ज कराना है।

ग्राम स्तर पर शाला की योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		प्राचार्य द्वारा	शाला प्रबंधन समिति द्वारा	शिक्षकों द्वारा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	30	118	00	02
	प्रतिशत	20%	78.7%	0%	1.3%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्राम स्तर पर शाला की योजना का निर्माण शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 20% सदस्यों के मतानुसार प्राचार्य द्वारा किया जाता है, 78.7% सदस्यों के मतानुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा किया जाता है, 0%

सदस्यों के मतानुसार शिक्षकों के द्वारा और 1.3% सदस्य विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा शाला की योजना का निर्माण किया जाता है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में शाला प्रबंधन समिति की क्या भूमिका रहती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
	छात्रवृत्ति हेतु शासन से अपील करती है	छात्राओं को पढ़ाने हेतु पालकों को प्रेरित करती है	जो छात्राएं शाला में नहीं आती उनसे संपर्क कर शिक्षा के महत्व को बतलाती हैं	जानकारी नहीं है	
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	05	45	90	10
	प्रतिशत	3.3%	30%	60%	6.7%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में शाला प्रबंधन समिति के 3.3% सदस्यों के मतानुसार छात्रवृत्ति हेतु शासन से अपील करते हैं, 30% सदस्यों के मतानुसार छात्राओं को पढ़ाने हेतु पालकों को प्रेरित करती हैं, 60% सदस्यों के मतानुसार जो छात्रायें शाला नहीं आती उनसे सम्पर्क कर शिक्षा के महत्व को बतलाकर सहयोग करते हैं और 6.7% सदस्यों के मतानुसार उनकी इस योजना की जानकारी नहीं हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा छात्राओं को क्या सहयोग प्रदान किया जाता है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
	गणवेश प्रदान की जाती है	साइकिल प्रदान की जाती है	पुस्तकें प्रदान की जाती है	कुछ नहीं दिया जाता है	
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	00	95	55	00
	प्रतिशत	3.3%	30%	60%	6.7%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा छात्राओं को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 3.3% सदस्यों

के मतानुसार गणवेश प्रदान की जाती हैं, 30% सदस्यों के मतानुसार साईकिल प्रदान की जाती हैं, 60% सदस्यों के मतानुसार पुस्तकें प्रदान की जाती हैं और 6.7% सदस्यों के मतानुसार कुछ नहीं दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों को साईकिल प्रदान की योजना की जानकारी नहीं है।

वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहनस्वरूप क्या प्रदान किया जाता है?

क्र.		विकल्प			
विवरण		गणवेश प्रदान की जाती है	साईकिल प्रदान की जाती है	पुस्तकें प्रदान की जाती है	कन्या प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	00	25	40	120
	प्रतिशत	0%	16.7%	26.7%	80%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शासन द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहनस्वरूप शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 0% सदस्यों के मतानुसार गणवेश प्रदान की जाती हैं, 16.7% सदस्यों के मतानुसार साईकिल प्रदान की जाती हैं, 26.7% सदस्यों के मतानुसार पुस्तकें प्रदान की जाती हैं और 80% सदस्यों के मतानुसार कन्या प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इससे स्पष्ट है कि सदस्यों को इस योजना की जानकारी है।

शाला प्रबंधन समिति मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कार्य करती है?

क्र.		विकल्प			
विवरण		उनका सम्मान करती है	धनराशि के रूप में पुरस्कार प्रदान करती है	पुरस्कार स्वरूप अतिरिक्त सुविधा देती है	कोई कार्य नहीं करती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	98	23	29	00
	प्रतिशत	63.3%	15.3%	19.3%	0%

तालिका स्पष्ट इंगित करती है कि मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 63.3% सदस्यों के मतानुसार उनका सम्मान करके, 15.3% सदस्यों के मतानुसार धनराशि के रूप में पुरस्कार देकर, 19.3% सदस्यों के मतानुसार पुरस्कार स्वरूप अतिरिक्त सुविधा प्रदान करके सहयोग करते हैं। कोई सहयोग नहीं करने वाले सदस्यों की संख्या निरंक या 0% है।

कामकाजी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा क्या प्रदान किया जाता है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		मजदूर सुरक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है	गणवेश प्रदान की जाती है	पालकों को राशि प्रदान की जाती है	कुछ नहीं दिया जाता है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	140	10	00	00
	प्रतिशत	93.3%	6.7%	0%	0%

तालिका से स्पष्ट है कि कामकाजी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 93.3% सदस्यों के मतानुसार मजदूर सुरक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, 6.7% सदस्यों के मतानुसार गणवेश प्रदान की जाती है, 0% सदस्यों के मतानुसार पालकों को राशि प्रदान की जाती है। 0% सदस्यों के मतानुसार कुछ नहीं दिया जाता है।

ऐसे बच्चों को जिनके माता-पिता मजदूरी करते हैं उनको शासन से छात्रवृत्ति दिलाने में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की क्या भूमिका है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		पंचायत में इनका नाम लिखाने में मदद करती है	आय प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करती है	पंचायत से प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करती है	कोई जानकारी नहीं है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	92	08	38	12
	प्रतिशत	61.4%	5.3%	25.3%	8%

तालिका से स्पष्ट है कि ऐसे बच्चों को जिनके माता-पिता मजदूरी करते हैं उनको शासन से छात्रवृत्ति दिलाने में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 61.4% सदस्यों के मतानुसार पंचायत में इनका नाम लिखाने में मदद करके सहयोग करती है, 5.3% सदस्यों के मतानुसार आय प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करते हैं और 25.3% सदस्यों के मतानुसार पंचायत से प्रमाण-पत्र बनवाने में सहयोग करते हैं और 8% सदस्यों को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

शाला प्रबंधन समिति की बैठक में आय-व्यय की जानकारी दी जाती है?

क्र.	विवरण	विकल्प			
		नियमित दी जाती है	कभी-कभी दी जाती है	नहीं दी जाती है	जिसके साथ खाता संबंधित है उसे दी जाती है
1.	शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य	72	50	05	23
	प्रतिशत	48.00%	33.3%	3.3%	15.4%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शाला प्रबंधन समिति की बैठक में आय-व्यय की जानकारी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 48% सदस्यों के मतानुसार नियमित दी जाती है, 33.3% सदस्यों के मतानुसार कभी-कभी दी जाती है, 3.3% सदस्यों के मतानुसार नहीं दी जाती है 15.6% सदस्यों के मतानुसार जिसके साथ खाता संचालित है उसे ही जानकारी दी जाती है।

परिकल्पनाओं का सत्यापन

प्रथम परिकल्पना

“शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों को अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं है।”

परिकल्पना के सन्दर्भ में प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर आँकड़ों एवं उनके विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्न क्रमांक 1 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 46.7% सदस्य प्रवेश उत्सव मनाकर और 33.3% सदस्य घर-घर जाकर पालकों से सम्पर्क कर “‘स्कूल चलें अभियान’” में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 2 के अनुसार शाला त्यागी/अप्रवेशी बच्चों को शाला में जोड़ने के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 42.4% सदस्य पालकों से सम्पर्क करके और 53.3% सदस्य बच्चों और पालकों को शिक्षा का महत्व बतलाकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 3 के अनुसार शाला में नियमित शिक्षकों का अभाव होने पर उनकी पूर्ति हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 93.3% सदस्य अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करके और 23.3% जिला प्रशासन के अधिकारियों से सम्पर्क कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 4 के अनुसार नियमित शिक्षकों की पूर्ति नहीं होने पर विद्यालय के सुचारू संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 62% सदस्य शासन के नियमानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करके और 34.6% सदस्य आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 5 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न होने पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 80% सदस्य स्थानीय पढ़े-लिखे लोगों को चिह्नित करके और 16.67% सदस्य पास की पंचायत/ग्रामों से सम्पर्क कर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कराकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 6 के अनुसार कमजोर बच्चों हेतु विशेष कक्षा संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 86.6% सदस्य कमजोर बच्चों को कक्षा में उपस्थित रहने हेतु प्रेरित करके और 13.3% सदस्य शिक्षकों से ही अतिरिक्त कक्षा में पढ़वाकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 7 के अनुसार बच्चों के अकादमिक स्तर को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 73.3% सदस्य प्राचार्य से कहकर आवश्यक सामग्री मंगाकर और 25.3% सदस्य बाजार से सामग्री क्रय कराकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 8, 9, 10 के अनुसार सदस्यों के अनुसार शाला में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक से शौचालय उपलब्ध हैं जहाँ पर शौचालय पृथक से उपलब्ध नहीं है वहाँ पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा शौचालय निर्माण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं और 95.4% सदस्यों के मतानुसार शौचालय की नियमित सफाई हेतु सफाईकर्ता की व्यवस्था कराकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 11 व 12 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 30% सदस्यों का मत है कि शाला में पानी की व्यवस्था है जहाँ पर नहीं है वहाँ शाला शिक्षा

कोष की मदद लेकर पानी की व्यवस्था कराकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 13 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 60% सदस्यों के मतानुसार शाला परिसर की सफाई में ध्यान दिया जाता है।

अतः यह कह सकते हैं कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति 'स्कूल चलें अभियान' में सहयोग करके, शालात्यागी/अप्रवेशी बच्चों को शाला में जोड़ने हेतु प्रयास करके, शाला में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कराकर, शिक्षकों की पूर्ति करके, शाला के कमज़ोर बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करके, और उनके अकादमिक स्तर को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करके तथा शाला में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करके सहयोग कर रहा है।

इसी से यह स्पष्ट होता है कि शाला के भौतिक एवं अकादमिक विकास हेतु शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को अपने कर्तव्यों की जानकारी है।

द्वितीय परिकल्पना

"शाला के सुचारू संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अपने दायित्वों का निर्वहन सजगता से नहीं कर रही है।"

उपरोक्त परिकल्पना के सन्दर्भ में प्रश्नावलियों से प्राप्त उत्तर के आँकड़े एवं उनके विश्लेषण से स्पष्ट है कि—

प्रश्न क्रमांक 14 के अनुसार शाला भवन के रखरखाव हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 63.4% सदस्यों के मतानुसार शाला शिक्षा कोष की राशि से रखरखाव कराकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 15 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 80% सदस्यों के मतानुसार ग्राम में पढ़े-लिखे समूह को प्रोत्साहित कर शाला के विकास हेतु उनको शाला से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

प्रश्न क्रमांक 16 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 70% सदस्य उपयोगी सामग्री द्वारा शाला में भौतिक संसाधनों के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रश्न क्रमांक 20 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 80% सदस्यों के मतानुसार शिक्षकों के लाभे अवकाश में जाने पर विद्यालय के सुचारू संचालन हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करती है।

प्रश्न क्रमांक 21 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 83.3% सदस्यों के मतानुसार अतिथि शिक्षकों के नियमित मानदेय भुगतान हेतु समिति शासन पर निर्भर रहती है।

प्रश्न क्रमांक 22 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 53.4% सदस्यों

के मतानुसार शाला में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति हेतु समिति पालकों की शिकायत पर ध्यान देती है।

प्रश्न क्रमांक 23 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 65.4% सदस्यों के मतानुसार सत्र के प्रारंभ में बच्चों के नामांकन के लिए समिति योजना बनाती है।

प्रश्न क्रमांक 24 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 54.7% सदस्यों के मतानुसार समिति शाला में अध्ययनरत छात्रों की मदद से शालात्यागी/ अप्रवेशी बच्चों को चिह्नित करती है।

प्रश्न क्रमांक 25 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 56.7% सदस्यों के मतानुसार शिक्षा के लाभ बताकर शालात्यागी/ अप्रवेशी बच्चों को समिति शाला में दर्ज कराने का प्रयास करती है।

प्रश्न क्रमांक 26 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 60% सदस्यों के मतानुसार माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अकादमिक पक्ष छात्रों के अकादमिक स्तर में वृद्धि करना है।

प्रश्न क्रमांक 27 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 48% सदस्यों के मतानुसार वार्षिक परीक्षा परिणाम वाले दिन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं।

प्रश्न क्रमांक 28 के अनुसार 86.6% शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों के मतानुसार समिति में सदस्य के रूप में 6.7% सदस्य अध्यक्ष और 6.7% सदस्य सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 29 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 100% सदस्यों के मतानुसार समिति में कार्य करते हुए उनको किसी भी प्रकार का मानदेय शासन से नहीं मिलता है।

उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शिक्षकों के लम्बे अवकाश पर जाने पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करती है। पालकों की शिकायत पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा के लाभ बतलाकर शाला में अध्ययनरत छात्रों की मदद से शालात्यागी/ अप्रवेशी बच्चों को शाला में दर्ज कराना, छात्रों के अकादमिक स्तर में वृद्धि करने में सहयोग करके शाला के सुचारू संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है।

स्पष्ट है कि शाला के सुचारू संचालन में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन कर रही है।

तृतीय परिकल्पना

“शासन द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति सकारात्मक रूप से क्रियाशील नहीं है, परिलक्षित होती नहीं दिखाई देती है”।

प्रश्न क्रमांक 30 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 78.7% सदस्यों के मतानुसार ग्राम स्तर पर शाला की योजना का निर्माण समिति द्वारा किया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 31 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 46.7% सदस्यों के मतानुसार समिति पाठ्येतर गतिविधियों हेतु वार्षिकोत्सव आयोजन से सहभागिता की व्यवस्था कर सहयोग प्रदान करती है।

प्रश्न क्रमांक 32 के अनुसार समिति के 60% सदस्यों के मतानुसार समिति बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जो छात्राएं शाला में नहीं आती हैं उनसे सम्पर्क कर शिक्षा के महत्व को बतलाकर सहयोग प्रदान करती है।

प्रश्न क्रमांक 33 एवं 35 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 63.3% सदस्यों के मतानुसार ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा साइकिल प्रदान की जाती है और स्वयं उपस्थित रहकर समस्त छात्रों के पालकों को साइकिल की राशि का चेक प्रदान कराकर सहयोग प्रदान किया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 34 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 80% सदस्यों के मतानुसार वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा कन्या प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसमें समिति द्वारा सहयोग किया जाता है।

प्रश्न क्रमांक 36 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 63.3% सदस्यों के मतानुसार समिति उपस्थित रहकर पुस्तकें वितरण में सहयोग प्रदान करती है।

प्रश्न क्रमांक 37 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 58.7% सदस्यों के मतानुसार बालिकाओं की हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु समिति बालिकाओं को शाला में भेजने हेतु पालकों को प्रेरित कर सहयोग प्रदान कर रही है।

प्रश्न क्रमांक 38 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 85.3% सदस्यों के मतानुसार छात्रों को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति प्रक्रिया में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करती है।

प्रश्न क्रमांक 42 व 44 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 93.3% सदस्यों के मतानुसार कामकाजी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा मजदूर सुरक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा समिति के 61.4% सदस्य इन

बच्चों के नाम पंचायत में लिखाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रश्न क्रमांक 45 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 64.7% सदस्यों के मतानुसार शासन द्वारा संस्कृत छात्रवृत्ति जो छात्र संस्कृत विषय में 60% अंक प्राप्त करते हैं उनको प्रदान की जाती है और इसमें समिति सहयोग करती है।

प्रश्न क्रमांक 46 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 64% सदस्यों के मतानुसार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों हेतु समिति शाला में रैम्प की सुविधा प्रदान कराकर सहयोग कर रही है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शासन द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसे- साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण, कन्या प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, शिक्षा की गुणवत्ता हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शाला में जाने हेतु रैम्प की व्यवस्था करने, में सहयोग कर रही है।

शासन द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति क्रियाशील है।

चतुर्थ परिकल्पना

“शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सभी सदस्य इसकी जिम्मेदारी सकारात्मक रूप से नहीं निभा रहे हैं।”

प्रश्न क्रमांक 39 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 56.7% सदस्यों के मतानुसार शिक्षा में गुणवत्ता हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को संसाधन उपलब्ध कराकर समिति सहयोग प्रदान करती है।

प्रश्न क्रमांक 40 व 41 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 65.3% सदस्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु उनका सम्मान करके, और 66% सदस्यों के मतानुसार शाला के उत्कृष्ट परिणामों पर शिक्षकों को सम्मानित करके सहयोग प्रदान कर रही है।

प्रश्न क्रमांक 43 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 86.7% सदस्यों के मतानुसार शासन द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहनस्वरूप मेरिट कम छात्रवृत्ति दी जाती है जिसमें समिति सहयोग प्रदान कर रही है।

प्रश्न क्रमांक 47 व 49 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 48% सदस्यों के मतानुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में आय-व्यय की जानकारी नियमित देकर तथा 52% सदस्यों के मतानुसार शाला की वार्षिक कार्य योजना

तैयार करने में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

प्रश्न क्रमांक 48 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 96.7% सदस्यों के मतानुसार समिति के सदस्यों को शासन द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

प्रश्न क्रमांक 50 के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के 43.3% सदस्यों के मतानुसार शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शिक्षकों को चेतावनी देकर शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान कर रही है।

विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शिक्षा में गुणवत्ता हेतु संसाधन उपलब्ध कराकर, उत्कृष्ट परिणामों पर शिक्षकों को सम्मानित करके, आय-व्यय की जानकारी देकर, शाला में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने आदि के प्रति अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रही है।

अतः स्पष्ट है कि समिति के सभी सदस्य इसकी जिम्मेदारी सकारात्मक रूप से निभा रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष

शोधकर्ता द्वारा विषय से संबंधित प्राप्त जानकारी, संग्रहित कर प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए गए:

‘शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षः

1. ‘स्कूल चलें अभियान’ में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति प्रवेश उत्सव मनाकर सहयोग प्रदान करती है।
2. शाला त्यागी/अप्रवेशी बच्चों को शाला में जोड़ने के लिए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति बच्चों और पालकों को शिक्षा का महत्व बतलाकर सहयोग प्रदान करती है।
3. शाला में नियमित शिक्षकों का अभाव होने पर उनकी पूर्ति हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शासन के नियमानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कराती है। इस हेतु पढ़े-लिखे व्यक्तियों को भी चिह्नित करती है।
4. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति कमजोर बच्चों को कक्षा में उपस्थित रहने हेतु प्रेरित कर उनके शैक्षिक विकास में सहायता करती है एवं बच्चों के अकादमिक स्तर को बढ़ाने हेतु प्राचार्य से कहकर शैक्षिक सामग्री क्रय कराती है।

5. विश्लेषण से हम पाते हैं कि अधिकांश शाला भवन में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय उपलब्ध हैं। जहाँ पर शौचालय उपलब्ध नहीं है वहाँ पर शौचालय निर्माण हेतु शासन को प्रस्ताव भेजकर और उनकी सफाई हेतु सफाईकर्ता की व्यवस्था करने में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
6. पीने के पानी की व्यवस्था सार्वजनिक हैंडपम्प द्वारा उपलब्ध है। इसमें अतिरिक्त जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ शाला शिक्षा कोष से मदद लेकर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा पानी की व्यवस्था करने में सहयोग किया जा रहा है।
7. शाला परिसर की सफाई एवं शाला भवन के रखरखाव में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा सहयोग किया जा रहा है।
8. समिति ग्राम के पढ़े-लिखे समूह को प्रोत्साहित कर शाला से जोड़ने का प्रयास करती है और भौतिक संसाधनों के विकास में आर्थिक सहायता द्वारा समिति सहयोग कर रही है।
9. शाला प्रबंधन समिति की बैठकें वर्ष में 9 बार सम्पन्न होती हैं और आवश्यकता होने पर अलग से भी बैठकें सम्पन्न होती हैं। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में आधे से अधिक सदस्य उपस्थित रहकर सहयोग कर रहे हैं।
10. शिक्षकों के लम्बे अवकाश में जाने पर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करती है परन्तु नियमित मानदेय भुगतान के लिये शासन पर निर्भर रहती है।
11. शिक्षकों की शाला में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा पालकों की शिकायत पर ध्यान दिया जाता है।
12. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति सत्र के प्रारंभ में बच्चों के नामांकन की योजना बनाती है तथा शाला में अध्ययनरत छात्रों की मदद से शालात्यागी/अप्रवेशी बच्चों को चिन्हित कर उनको शिक्षा के लाभ बताकर शाला में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित करती है।
13. माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अकादमिक पक्ष छात्रों के अकादमिक स्तर में वृद्धि करना है।
14. तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्य समिति में किस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनको मालूम है।
15. उनको यह भी मालूम है कि उनको इस पद का निर्वहन करने में किसी भी प्रकार का मानदेय शासन से नहीं मिलता है।

16. साथ ही समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य शाला के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने वाले दिन उपस्थित भी रहते हैं और ग्राम स्तर पर शाला की योजना का निर्माण करने में भी सहयोग कर रही है।
17. अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति में पाठ्येतर गतिविधियों हेतु वार्षिकोत्सव आयोजन में सहभागिता कर सहयोग किया जाता है।
18. तथ्यों से यह स्पष्ट है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जो छात्राएं शाला में नहीं आती हैं उनसे सम्पर्क कर शिक्षा के महत्व को बतलाकर और शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएं जैसे साइकिल, पुस्तकें, एवं छात्रवृत्ति आदि की जानकारी देकर शाला में आने हेतु प्रोत्साहित करके सहयोग कर रही है।
19. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शासन की योजनाओं जैसे— साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण आदि में उपस्थित रहकर पात्र छात्रों को प्राप्त होना सुनिश्चित करके सहयोग कर रही है।
20. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति बालिकाओं को हाईस्कूल स्तर की शिक्षा हेतु पालकों को प्रेरित कर सहयोग कर रही है।
21. विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति छात्रों को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति में यह सुनिश्चित करती है कि समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो। इस प्रकार शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करती है।
22. तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शाला प्रबंधन एवं विकास समिति शिक्षा में गुणवत्ता हेतु संसाधन उपलब्ध कराती है। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु उनका सम्मान करती है। उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होने पर शिक्षकों को भी सम्मानित करती है।
23. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति जैसे— कामकाजी मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति, संस्कृत छात्रवृत्ति, मेधावी बच्चों को दी जाने वाली मेरिट कम छात्रवृत्ति आदि की जानकारी है। इसको दिलाने में भी इनके द्वारा पंचायत में नाम लिखवाकर सहयोग किया जा रहा है।
24. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शाला में रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित कर सहयोग कर रही हैं।
25. समिति के सदस्यों को शासन द्वारा किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

शाला की योजना तैयार करने में अधिकांश सदस्य उपस्थित रहकर सहयोग कर रहे हैं।

26. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से शिक्षकों की समय से विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इस हेतु समिति आवश्यक भूमिका का निर्वहन करे।

सुझाव

1. शाला में बालिकाओं हेतु अलग से शौचालय निर्माण में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को शासन पर ही निर्भर न रहकर आर्थिक सहयोग एवं श्रमदान के माध्यम से शौचालय का निर्माण कार्य करना चाहिए।
2. शालात्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति केवल वर्ष के प्रारम्भ में ही सक्रियता से भाग लेती है जबकि समिति को इस कार्य हेतु वर्ष भर प्रयास करना चाहिए।
3. शाला से भौतिक संसाधनों के विकास हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए एवं छोटी-मोटी आवश्यकताओं के लिए शासन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
4. ग्राम स्तर पर शाला की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करने की जानकारी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को नहीं है।
5. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के समस्त सदस्यों को सत्र में कम से कम 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और उन्हें वार्षिक कार्य योजना के निर्माण में शासकीय प्राथमिक विकास समिति के सदस्यों की सहभागिता होनी चाहिए।
6. शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को बच्चों के अकादमिक पक्ष की जानकारी जैसे— सहायक शिक्षण सामग्री, बच्चों को ग्रेडिंग आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
7. शाला में चल रहे कार्यों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की भागीदारी बढ़ाने हेतु समस्त शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के पदाधिकारी/सदस्यों को निर्माण कार्य संबंधित जानकारी दी जाना चाहिए।
8. अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए शासन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि शासन से आवंटन प्राप्त नहीं होता है तो भी उनको किसी भी तरह मानदेय का भुगतान करना चाहिए जिससे वह मन लगाकर अध्यापन का कार्य कर सकें।

परिप्रेक्ष्य

वर्ष 21, अंक 1, अप्रैल 2014

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन

ब्रजेश कुमार वर्मा*

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। न्यादर्श चयन में Stratified Random Sampling विधि का प्रयोग किया है। प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित ‘सर्व शिक्षा अभियान अभिवृत्ति प्रश्नावली’ को 120 के न्यादर्श पर प्रशासित किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप ज्ञात हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है। इस निष्कर्ष के पीछे यह कारण हो सकता है कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अभिभावकों की तुलना में और अधिक जिम्मेदार पद पर रहते हैं। अतः वे सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अधिक सकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। अन्य निष्कर्ष में यह ज्ञात हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रति पुरुष अभिभावक महिला अभिभावकों की तुलना में तथा विद्यालय प्रबंध समिति के पुरुष सदस्य महिला सदस्यों की तुलना में अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस परिणाम के पीछे कारण हो सकता है कि महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में अतिरिक्त परिवार एवं बच्चों की देखभाल का दायित्व होता है जिससे वे इस योजना के प्रति सक्रियता प्रदर्शित नहीं करती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने

*2/25, आवास विकास कालोनी, मैनपुरी, ई-मेल: brjshvrm871@gmail.com

के लिए सभी अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को चाहिये कि वे इस योजना के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर इस योजना में ईमानदारी से सहभागिता करें तभी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

प्रस्तावना

निःसन्देह शिक्षित होना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है पेस्टलॉजी ने भी इसी बात को कहा है 'शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' लेकिन यह तभी सम्भव है जब इसकी पहुँच समाज के सबसे निचले स्तर तक सुनिश्चित हो। शिक्षा की प्रकृति लाभकारी, हितकारी तथा सम्मान प्राप्त कराने वाली है। इस प्रकार शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। यह भी सत्य है कि शिक्षा की उपयोगिता सामाजिक तथा आर्थिक भेदभाव के दुष्चक्र को तोड़कर अंततः समाज से अपने को आत्मसात करने में निहित है।

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वभौमीकरण (Universalization of Elementry Education) को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

नवंबर 2000 से लागू किया गया सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र का अब तक का सबसे व्यापक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8वीं तक) की सुविधा उपलब्ध कराना है। जब तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ नहीं बनाया जाता, तब तक उसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। अतः देश के सामने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की एक बड़ी समस्या है इसके साथ ही केवल सरकारी प्रयासों से ही प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसके लिए स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की बात कही गयी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-21 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं कार्य निर्धारित किये गए हैं इसके अनुसार—

- विद्यालय प्रबंध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर-अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

- विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता-पिता अथवा संरक्षक होंगे परन्तु समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी।
- विद्यालय प्रबंध समिति के शेष 04 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होंगे अर्थात्-
 1. स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
 2. एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (ए.एन.एम.) में से लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा।
 3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल।
 4. एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक होगा, जो पदेन सदस्य सचिव होगा।
- विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमज़ोर वर्ग के बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।
- विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा। परन्तु प्रतिबंध यह है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बालक का माता-पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा।
- विद्यालय प्रबंध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।
- विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूहों का गठन कर सकती है-

1. विद्यालय में आस-पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना।
3. बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना।
4. विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना।
5. विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

परिभाषिक शब्दावली

सर्व शिक्षा अभियान : नबम्बर, 2000 से लागू किया गया सर्व शिक्षा अभियान (The Education for All Movement) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई है। इसके अन्तर्गत 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इस योजना को कार्यरूप देने हेतु संविधान में 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित किया गया था तथा 4 अगस्त 2009 को संसद में मौलिक अधिकार के रूप में पास हो गया।

अभिभावक : अभिभावक से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता/संरक्षक हैं।

विद्यालय प्रबंध समिति : विद्यालय प्रबंध समिति से आशय एक ऐसी समिति से है जो विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग का अनुश्रवण करेगी।

विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्य निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-21 के तहत निर्धारित किये गए हैं।

अभिवृत्ति : अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति व्यक्ति की प्रवृत्तियों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों, पक्षपातों, पूर्व निर्मित अभिप्रायों, विचारों, भय, दबावों तथा मान्यताओं का कुल योग है।

समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन : चटर्जी, भास्कर एवं जॉन कुतुब (2003) ने अपने अध्ययन 'ग्रामीण शिक्षा स्थिति, प्रवृत्तियाँ' में पाया कि ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य, विकास यहाँ तक शैक्षिक कार्यक्रमों (सर्व शिक्षा अभियान) के अनुभवों से भी यह पता चलता है कि सफल कार्यान्वयन की कुंजी जन-सहभागिता है।

झींगरन, धीरे (2003) के अध्ययन 'यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ऐलीमेन्ट्री एजुकेशन गवर्मेंट पॉलिसीज एण्ड प्रास्पेक्ट्स' के अनुसार विकेन्द्रित योजना एवं प्रबंध व्यवस्था से संबंधित समुदायों द्वारा पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं से युक्त विद्यालयों की उपलब्धता के साथ ही स्थानीय पंचायत में ग्राम शिक्षा समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए जो विद्यालयों के विकास से संबंधित योजनाएं बनाये।

कुमार प्रहलाद, त्रिपाठी महेन्द्र (2004) ने अपने अध्ययन 'प्राथमिक शिक्षा में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका' में पाया कि प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति को महत्वपूर्ण बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित हों जिससे गाँव के प्रत्येक बच्चे एवं प्राथमिक विद्यालय से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके। ग्राम शिक्षा समिति में और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों की संख्या बढ़ाई जाए तथा इस समिति को वित्तीय रूप से और सशक्त करते हुए उनके सदस्यों को विद्यालय के प्रति जबाब देह बनाया जाना चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक की सूचना ग्राम के लोगों को प्रदान की जाए, बैठक में पारित प्रस्तावों या निर्णयों को सर्वसुलभ बनाने में स्थानीय समाचार पत्र अत्यन्त उपयोगी हो सकते हैं।

पाण्डेय, भगवती (2008) के अपने अध्ययन 'आओ जलाएं गाँवों में शिक्षा की अलख' के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान को गाँवों में और बेहतरी से लागू करने की जरूरत है क्योंकि गाँवों में अभी भी शिक्षा के प्रति उदासीनता ही दिखती है। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति नयी अलख जलाने की जरूरत है।

संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सर्व शिक्षा अभियान योजना पर कार्य किया गया है। झींगरन, धीरे (2003) व चटर्जी भास्कर एवं जॉन कुतुब (2003) ने अपने अध्ययनों में प्राइमरी शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता और प्रबंध व्यवस्था पर जोर दिया है। कुमार प्रहलाद, त्रिपाठी महेन्द्र (2004) ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ग्राम शिक्षा समिति को सशक्त व जवाबदेह बनाने पर जोर दिया है।

पाण्डेय भगवती (2008) मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए अभिभावकों को जागरूक करने की जरूरत है।

उपरोक्त अध्ययनों को ध्यान में रखते हुये शोधकर्ता द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सर्व शिक्षा अभियान के कई पक्षों पर अध्ययन किया गया है। ‘निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ के अन्तर्गत ही विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं कार्य (धारा-21) अस्तित्व में आये हैं। जहाँ तक शोधकर्ता द्वारा संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अतः शोधकर्ता ने इस विषय को अध्ययन हेतु चुना है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति पुरुष अभिभावक तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के महिला सदस्यों तथा पुरुष सदस्यों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमांकन

1. प्रस्तुत अध्ययन में मैनपुरी जिले के सुल्तानगंज विकास खण्ड के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को लिया गया है।
2. प्रतिदर्श के रूप में 60 अभिभावकों तथा 60 विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का चयन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध में मैनपुरी जिले के सुल्तानगंज विकास खण्ड के 6 विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा संबंधित विद्यालयों के अभिभावकों को लिया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में 60 अभिभावकों तथा 60 विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का चयन किया गया है। 60 अभिभावकों में 40 अभिभावक पुरुष हैं तथा 20 अभिभावक महिला हैं और 60 विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में 42 पुरुष सदस्य हैं तथा 18 महिला सदस्य हैं। न्यादर्श चयन के लिए विधि यादृच्छिक प्रतिदर्श Stratified Random Sampling का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया है। इस प्रश्नावली में 30 प्रश्न हैं।

सांख्यिकीय विधियाँ

एकत्रित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शून्य परिकल्पना 1 : सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका-1

वर्ग	N	M	S.D	M_D	σ_D	T	df	सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर
अभिभावक	60	35.10	5.80	4.07	1.38	2.94	118	सार्थक अन्तर है।
विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य	60	39.17	7.03					

t तालिका में df = 118 देखने पर t का मान 0.01 स्तर पर 2.62 है जबकि प्रदत्तों का

सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर परिणित t अनुपात का मान 2.94 प्राप्त हुआ जो 0.01 सार्थकता स्तर के मानों से अधिक है अतः शून्य परिकल्पना-1 ‘सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है’ निरस्त होती है अर्थात् 99% विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति समान नहीं है।

शून्य परिकल्पना-2 सर्व शिक्षा अभियान के प्रति पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका-2

वर्ग	N	M	S.D	M_D	σ_D	T	df	सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर
पुरुष अभिभावक	40	36.7	3.95	9.8	1.7	5.76	58	सार्थक अन्तर है।
महिला अभिभावक	20	26.9	6.96					

t तालिका में $df = 58$ देखने पर t का मान 2.66 है जबकि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर परिणित t अनुपात का मान 5.76 प्राप्त हुआ जो 0.01 सार्थकता स्तर के मानों से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 2 ‘सर्व शिक्षा अभियान के प्रति पुरुष अभिभावकों एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है’ निरस्त होती है अर्थात् 99% विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् पुरुष अभिभावकों तथा महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति समान नहीं है।

शून्य परिकल्पना-3 सर्व शिक्षा अभियान के विद्यालय प्रबंध समिति के पुरुष सदस्यों तथा महिला सदस्यों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका-3

वर्ग	N	M	S.D	M_D	σ_D	T	df	सार्थकता स्तर 0.01 स्तर पर
विद्यालय प्रबंध समिति के पुरुष सदस्य	42	42.16	5.78					
विद्यालय प्रबंध समिति के महिला सदस्य	18	32.17	4.11	9.99	1.4	7.13	58	सार्थक अन्तर है।

t तालिका में $df = 58$ देखने पर t का मान 0.01 स्तर पर 2.66 है जबकि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने पर परिणामित t अनुपात का मान 7.13 प्राप्त हुआ जो 0.01 सार्थकता स्तर के मानों से अधिक है। अतः यह 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर है अतः शून्य परिकल्पना 3 ‘सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के पुरुष वर्ग के सदस्यों एवं महिला वर्ग के सदस्यों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है’ निरस्त होती है अर्थात् 99% विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पुरुष सदस्यों तथा महिला सदस्यों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् पुरुष सदस्यों तथा महिला सदस्यों की अभिवृत्ति समान नहीं है।

निष्कर्ष

1. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया और यह देखा गया कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अभिवृत्ति अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।
2. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति पुरुष अभिभावकों एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया और यह देखा गया कि पुरुष अभिभावकों की अभिवृत्ति महिला अभिभावकों की तुलना में अधिक सकारात्मक है।
3. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति विद्यालय प्रबंध समिति के पुरुष सदस्यों की अभिवृत्ति तथा महिला सदस्यों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया और यह देखा गया कि विद्यालय प्रबंध समिति के पुरुष सदस्यों की अभिवृत्ति महिला सदस्यों की अभिवृत्ति से अधिक सकारात्मक है।

शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की अभिवृत्ति उसके मनोभाव अथवा विश्वास को इंगित करती है। अभिवृत्ति बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है अथवा उसके पूर्व विश्वास क्या है? यदि अभिभावक चाहे वे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हों या न हों सर्व शिक्षा अभियान के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखेंगे तभी वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये अभिप्रेरित कर सकेंगे और तभी सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य 'सब पढ़े सब बढ़े' को अधिक तत्परता से प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ

बेस्ट जॉन, डब्ल्यू. 1982. रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड.

बुच, एम.बी. 1979. सैकेण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, बड़ौदा सोसायटी फॉर एजुकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट

गैरिट, ई.हेनरी. 1989. शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स, बी-15,16 सेक्टर 8 नोएडा, उ.प्र.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1991. थर्ड एण्ड फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली

संवाद. (2010). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में शिक्षक हस्तपुस्तिका. डायट मैनपुरी: सर्व शिक्षा अभियान उ.प्र.

शर्मा, ए.के. 1997 फिफ्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग

शोध टिप्पणी/संवाद

दूरस्थ शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निहितार्थ एवं समस्याएं

विजय जायसवाल*

सारांश

आज का युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नित्य नए अविष्कारों से हम सभी परिचित हैं तथा दैनिक जीवन में इनका बखूबी उपयोग कर रहे हैं। आज विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग दूरस्थ अधिगमकर्ताओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किया जा रहा है। तकनीक दूरस्थ शिक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। दूरस्थ शिक्षा लम्बे समय तक मुद्रित माध्यम पर निर्भर रही है। तकनीकी विकास के कारण दूरस्थ शिक्षा में आज ऑडियो कॉफ्रेसिंग, वीडियो क्रांफ्रेसिंग, ऑडियो ग्राफिक, सम्प्रेषण, टीवी/रेडियो प्रसारण इत्यादि सुविधाएं दूरस्थ विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही हैं। ऐजुसैट उपग्रह के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों तक शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण रेडियो/टीवी पर सम्भव हो पा रहा है। आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) भी दूरस्थ शिक्षा के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्तमान में उपलब्ध संचार प्रौद्योगिकियों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया/दूरस्थ शिक्षा में समुचित प्रयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

उनीसर्वीं शताब्दी 'औद्योगिक क्रान्ति' का काल मानी जाती है। समाज में होने वाली कोई भी क्रान्ति शिक्षा को भी प्रभावित करती है और शिक्षा में होने वाली क्रान्ति का असर, प्रभाव समाज पर पड़ता है। यद्यपि उन्नीसर्वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति ने शिक्षा में कोई क्रान्ति नहीं उत्पन्न की, परन्तु यह अनुभव किया जाने लगा कि शिक्षण विधियों में नवीन सामग्री का समावेश होने लगा है। सन् 1900 से 1930 तक तकनीकी की भूमिका सामान्य

*सह-प्रोफेसर (स्टेज-2), शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)।

शिक्षा तक सीमित रही। धीरे-धीरे प्रिंटिंग तकनीकी का विकास हुआ। इससे ज्ञान पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होने लगा। आगे चलकर विज्ञान के अन्वेषणों, जैसे- रेडियो, टीवी, फिल्म, कम्प्यूटर आदि ने शिक्षा की प्रक्रिया को नया आयाम दिया।

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आज हम शिक्षण व प्रशिक्षण की पारम्परिक विधियों एवं माध्यमों में सुधार कर सकते हैं तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी एवं अधिकतम उपयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है तथा दूरस्थ विद्यार्थी भी सामान्य विद्यार्थी के समान अधिगम वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग ने आज अधिगम प्रक्रिया को छात्र-केन्द्रित तथा स्व-केन्द्रित बना दिया है। आज प्रौद्योगिकी की सहायता से विद्यार्थी अपनी गति से कही भी तथा कभी भी सीख सकते हैं तथा दक्षता अधिगम हासिल कर सकते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के कारण आज दूरस्थ छात्र सामाजिक अन्तः क्रिया कर अपने अधिगम को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। परन्तु किसी भी तकनीकी या तकनीकियों के समूह को अपनाने के पूर्व दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह तकनीक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही तथा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को छात्र-केन्द्रित बना दिया है। आज विद्यार्थी संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके अपनी जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों का समाधान स्वयं कर सकते हैं। आज छात्र रेडियो, टीवी, कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तथा सूचनाओं एवं ज्ञान का भण्डारण एवं उनकी तीव्र पुनर्प्राप्ति कर सकता है।

दूरस्थ शिक्षा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया होने के नाते यह अपेक्षा करता है कि उसमें शिक्षण स्रोत तथा विद्यार्थी के बीच आवश्यक संप्रेषण प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे। दूरस्थ शिक्षा में तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि एक दूसरे से अलग स्थानों और समय पर शिक्षण और अध्ययन में रत शिक्षण स्रोत तथा विद्यार्थियों के बीच संपर्क सूत्र भलीभाँति कायम रहें। यह कार्य संप्रेषण माध्यमों तथा तकनीकियों के उचित चयन तथा उनके प्रभावी उपयोग के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में सूचना तथा संप्रेषण तकनीकियों में आश्चर्यजनक प्रगति के साथ ही हमारे पास आज संप्रेषण तकनीकियों के रूप में काफी कुछ विविधता उपलब्ध है। एक दूरस्थ शिक्षा संस्थान द्वारा इस कार्य हेतु मुद्रित सामग्री,

रेडियो, टेलीविजन व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम द्वारा प्रत्यक्ष अन्तःक्रिया, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, ई-मेल, इंटरनेट, आडियो एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग, बेब कांफ्रेंसिंग, चैटिंग इत्यादि विभिन्न संप्रेषण माध्यमों का परिस्थिति अनुसार उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट तथा संचार उपग्रहों द्वारा विकसित संचार प्रणाली ने आज दूरी तथा समय की सभी बाधाओं को लगभग समाप्त कर दिया है। इसके फलस्वरूप असंख्य विद्यार्थियों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के बीच आज उचित संप्रेषण और अन्तःक्रिया स्थापित करना तथा पृष्ठपोषण प्रदान करना काफी सहज प्रक्रिया हो गयी है। अतः आज दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता, उपादेयता, सुलभता आदि की दृष्टि से प्रमुख संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग की नितान्त आवश्यकता है, जिससे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से नियोजित, संगठित एवं संचालित किया जा सकें।

कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की मदद से आज दूरस्थ स्थित व्यक्तियों, संस्थानों, समुदायों तक पहुँच काफी तीव्र व आसान हो गयी है। ई-मेल, आडियो कांफ्रेंसिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग, बेब कांफ्रेंसिंग इत्यादि सेवाएं सस्ती, सर्वसुलभ एवं लोकप्रिय हो गयी हैं, तथा आम जनमानस तथा दूरस्थ विद्यार्थी आज दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं।

विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी जैसे— वीडियोटेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट, वीडियो डिस्क, कम्प्यूटर तथा इंटरनेट आदि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विकसित देश बखूबी कर रहे हैं। इन तकनीकियों के महंगे एवं जटिल होने के कारण विकासशील देश अभी अल्प मात्रा में ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर पा रहे हैं। परन्तु लागत में कमी के कारण धीरे-धीरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में संचार तकनीकियों का प्रयोग बढ़ रहा है। विकासशील देशों, विशेषकर भारत में प्रसारण तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बखूबी हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रेडियो तथा टेलीविजन का प्रयोग देशव्यापी कक्षा (Countrywide Classroom) के रूप में हो रहा है। इससे निरक्षित उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन तथा जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल रही है।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अपनी प्रणाली में प्रयोग अपरिहार्य है। केवल तकनीकी का श्रेष्ठ एवं प्रभावी उपयोग ही पहुँच, लागत तथा गुणवत्ता जैसे मुद्दों का समाधान कर सकता है। संप्रेषण तथा अन्तःक्रिया, अधिगम प्रबंधन प्रणाली का विकास, डिजिटल ज्ञान संसाधन भण्डार, व्यक्तिगत अनुदेशन पैकेज, त्वरित पृष्ठपोषण, त्वरित मूल्यांकन एवं प्रभावी प्रबन्धन इत्यादि हेतु दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में आई.सी.टी. का एकीकरण अनिवार्य है।

दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग ग्रामीण-शहरी विभाजन को भी दूर करने में सक्षम है, और इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा पहले से अधिक समावेशी एवं समता पर आधारित हो सकती है।

गुणवत्तापूर्ण जीवन-पर्यन्त शिक्षा तथा ज्ञान आधारित समाज की माँग भी शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में सूचना तथा संचार प्रौद्यौगिकी का एकीकरण अपरिहार्य बना देता है। आईसीटी द्वारा समर्पित संस्कृति के तत्व-खुलापन, सहयोग, पारदर्शिता, हिस्सेदारी निर्णयन (Participatory Decision Making), मूल्यों का पुर्ननिर्माण आदि दूरस्थ शिक्षा के लिए भी अति आवश्यक हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का नेटवर्क समर्थित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (Network-Enabled Open and Distance Learning Model) में रूपांतरण समय की माँग है।

भारतीय उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) सन् 2020 तक 30% करने का लक्ष्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) द्वारा निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं की भी महती भूमिका है। अधिगम में लचीलापन, पात्रता कसौटी में छूट, दूर-दराज/ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, कार्य करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि की सुविधा आदि विशेषताओं के द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि में योगदान कर रही है। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी के प्रति बढ़ती सचेतता, एवं अपने प्रणाली में प्रयोग के कारण दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। आज बड़ी संख्या में सेवारत/असेवारत लोग दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के कोर्सों द्वारा अपने ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि कर अपने प्रोफाइल में वृद्धि कर रहे हैं तथा अच्छे कैरियर की तरफ प्रगति कर रहे हैं। वर्तमान में, भारत में दूरस्थ शिक्षा बाजार में 24% की वृद्धि सन् 2011-12 से 2015-16 के बीच अनुमानित है। साथ ही भारत में इण्टरनेट प्रणाली का बाजार भी 80 मिलियन रुपये सन् 2015-16 तक अनुमानित है। इस प्रकार भारत दूरस्थ शिक्षा तथा आईसीटी बाजार दोनों में वृद्धि के द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा अपनी विशाल छात्र शक्ति का उपयोग तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) के द्वारा सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी।

दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी के निहितार्थ

जैसे-जैसे इण्टरनेट का प्रसार बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का नेटवर्क समर्थित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या ई-लर्निंग प्रणाली स्वयं ही शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की

नई तथा आवश्यक डिलीवरी प्रणाली के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगी। ‘वास्तविक कक्षा’ तथा ‘आभासी कक्षा’ के बीच की दीवार स्वतः ही तकनीकी विकास के कारण धीरे-धीरे समाप्त होती जायेगी। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में आईसीटी के अनुप्रयोग के कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:

(i) 24 x 7 x 365 पहुँच (24x7x365 Access)

इंटरनेट या ऑनलाइन प्रणाली 24x7x365 पर कार्य करती है। दूरस्थ विद्यार्थी किसी भी समय तथा किसी भी जगह अपनी सुविधानुसार सिर्फ इंटरनेट ऐसी युक्ति जैसे-मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, पीडीए आदि के द्वारा अपने दूरस्थ शिक्षा वि. वि. की वेबसाइट पर लॉगइन कर अध्ययन कर सकते हैं या डाउनलोडेड डिजिटल पाठ्यसामग्री को प्ले/रिप्ले कर देख, सुन तथा पढ़ सकते हैं तथा स्व-अधिगम कर सकते हैं।

(ii) ज्ञान का विश्व भण्डार (Global Pool of Knowledge)

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी समय व भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं के परे है। इसके विश्वव्यापी कनेक्टिविटी के द्वारा पूरे विश्व में फैले हुए ज्ञान के स्रोतों तक पहुँच सम्भव हो गयी है। विद्यार्थी तथा विषय विशेषज्ञ/अध्यापक की भौतिक उपस्थिति के बिना उनके बीच अन्तःक्रिया तथा सम्प्रेषण सम्भव है।

(iii) वर्चुअल क्लासरूम (Virtual Classroom)

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में विकास के कारण आज ख्याति प्राप्त दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं ने अपनी ई-कक्षा विकसित कर रखी हैं, जो वास्तविक कक्षा की अनुभूति अपने दूरस्थ विद्यार्थियों को कराते हैं। वास्तविक कक्षा की तरह ही दूरस्थ विद्यार्थी व्याख्यान सुन सकते हैं तथा अपने विषय विशेषज्ञ/अध्यापक से अन्तःक्रिया/संचार घर बैठे स्थापित कर सकते हैं।

(iv) विकलांगों के लिए तकनीकी सहायता (Technology props for the disabled)

विकलांग विद्यार्थियों (दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित/शारीरिक रूप से बाधित) के लिए ऑनलाइन अधिगम प्रणाली में तकनीकी अनुप्रयोगों ने दूरस्थ शिक्षा की समावेशिता एवं पहुँच में वृद्धि की है। आज विभिन्न साफ्टवेयरों की सहायता से विकलांग विद्यार्थी भी सामान्य विद्यार्थी की तरह आसानी से अध्ययन कर सकते हैं तथा सीख सकते हैं। औपचारिक उच्च शिक्षा प्रणाली की सीमाओं एवं लचीला न होने के कारण अध्ययन न कर सकने वाले विद्यार्थी भी ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा

प्रणाली से घर बैठे आसानी से अध्ययन कर रहे हैं।

(v) गुणवत्ता (Quality)

ऑनलाइन/नेटवर्क दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता एक प्रमुख मुद्दा है। ऑनलाइन दूरस्थ पाठ्यक्रमों/अधिगमकर्ताओं में धीरे-धीरे वृद्धि के कारण उनमें गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। यही बात ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती है। विद्यार्थी आज उन ऑनलाइन दूरस्थ कोर्सों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें पाठ्यक्रम में व्यापकता, उद्योग आधारित अनुभव तथा वर्तमान जॉब परिदृश्य में विश्वसनीयता है।

(vi) विद्यार्थी के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी (Online Connectivity with the student)

विद्यार्थी अध्ययनरत् संस्था से जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व की उम्मीद करते हैं। विद्यार्थी की निरन्तर अकादमिक प्रगति तथा कैरियर उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति विद्यार्थी के साथ ही साथ शैक्षिक संस्था की भी वचनबद्धता होती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को 'भाग्य के भरोसे छोड़ने की परम्परा अब समाप्त हो चुकी हैं तथा जहाँ अधिगम सिर्फ विद्यार्थी के प्रयासों का परिणाम होता हैं। ख्याति प्राप्त दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं अपने विद्यार्थियों के लिए 24 घण्टे ऑनलाइन हेल्पलाइन, विषय विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन अन्तःक्रिया की सुविधा, निरन्तर मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण, पीरियडिक असाइनमेण्ट, ऑनलाइन ट्रैकर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसके द्वारा दूरस्थ विश्वविद्यालय निरन्तर अपने विद्यार्थियों की अकादमिक प्रगति की देखभाल करते रहते हैं।

(vii) रोजगारपरकता (Employability)

धीरे-धीरे दूरस्थ पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होने के कारण आज दूरस्थ पाठ्यक्रम भी कैम्पस पाठ्यक्रमों के समान रोजगारपक बने हुए हैं तथा उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तकनीकी कौशल के साथ ही सॉफ्ट कौशलों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की प्रमुख विशेषता है। विभिन्न ई-सेमीनारों, ई-कार्यशालाओं, ई-संगोष्ठियों इत्यादि तक दूरस्थ विद्यार्थियों की पहुँच ऑनलाइन माध्यम के द्वारा दूरस्थ विश्वविद्यालय सुनिश्चित करते हैं। ख्याति प्राप्त दूरस्थ शिक्षा वि.वि. विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करते हैं। इस प्रकार दूरस्थ विद्यार्थियों की

रोजगारपरकता में वृद्धि होती है।

(viii) ऑफलाइन अध्ययन (Offline Study)

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ऑनलाइन (Synchronous) के साथ ही साथ ऑफलाइन (Asynchronous) अध्ययन की भी सुविधा दूरस्थ विद्यार्थियों को प्रदान करती है। रिकार्ड वीडियो व्याख्यान, सेमिनार, आडियो व्याख्यान आदि आसानी से डाउनलोड फार्मेट में दूरस्थ वि.वि. अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन प्रसारण के समय जो विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, वे बाद में कभी भी अपनी सुविधानुसार डाउनलोड कर सकते हैं तथा अध्ययन कर सकते हैं।

(ix) मोबाइल लर्निंग (M-Learning)

आज इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप तक सीमित न होकर मोबाइल फोन, टैबलेट तथा पीडीए आदि तक पहुँच चुकी है। साथ ही ये मोबाइल युक्तियाँ कम खर्चाली भी हैं। परिणामस्वरूप, ई-लर्निंग अब एम-लर्निंग (मोबाइल लर्निंग) की तरफ अग्रसर हो चुकी है, जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लचीलापन में वृद्धि कर रही है। अब ई-लर्निंग प्रणाली भी मोबाइल इंटरफ़ेस को ध्यान में रखकर क्रियान्वित की जा रही है।

(x) कैरियर प्रगति (Career Progress)

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जॉब करते हुए अध्ययन के अवसर प्रदान करती है। कार्यरत प्रोफेशनल अपनी कौशल-अपग्रेड, उच्च पद प्राप्ति की इच्छा, कैरियर वृद्धि की उत्सुकता के कारण दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में रुचि ले रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म आॉफिस, गृह तथा कार्य प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बना रहा है तथा जॉब करते हुए प्रोफेशनल्स आसानी से अपने ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि कर कैरियर प्रगति कर रहे हैं। आईसीटी आधारित दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा/नेटवर्क समर्थित दूरस्थ शिक्षा की उपरोक्त विशेषताओं ने आज निश्चित रूप से बाजार में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, रोजगारपरकता, माँग आदि में वृद्धि हुई है।

(xi) नेटवर्सिटी (Netvarsity or Virtual University)

वर्चुअल विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम विचार सन् 1970 में ईवान इलिच द्वारा अपनी पुस्तक 'डिस्कूलिंग सोसायटी' में दिया गया था, जिसमें अधिगम के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क के उपयोग की बात कही गयी थी। आने वाले एक या दो दशक में वि.वि. शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दो

दशक पहले तक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों की द्वितीय वरीयता बनी हुई थी। औपचारिक शिक्षा प्रणाली से किसी कारणवश वंचित विद्यार्थी ही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होते थे। परन्तु आज परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं काफी लोगों तक पहुँच के कारण दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सूचना एवं संचार तकनीकी के परिणामस्वरूप ना सिर्फ दूरस्थ शिक्षा डिलीवरी प्रणाली में सुधार हुआ है बल्कि दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों के संरचनागत ढाँचा में परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है।

यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक या दो दशक में अधिकतर दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय वर्चुअल विश्वविद्यालय (Virtual University) में परिवर्तित हो जायें। ऑन कैम्पस तथा ऑफ कैम्पस विद्यार्थी, फुल-टाइम तथा पार्ट टाइम विद्यार्थी, और औपचारिक तथा दूरस्थ विद्यार्थी के बीच का विभेद समाप्त हो जायेगा। यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह पुनर्चना न तो आसान, न ही साधारण और न ही समान रूप से घटित होगी। भारत में, शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और वर्तमान में यह न तो गुणात्मक रूप में और न ही संख्यात्मक रूप में उच्च शिक्षा की सामाजिक मांग को पूरा करने की स्थिति में है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 18% प्रतिशत के लगभग है, जिसे सन् 2020 तक 30% करने का लक्ष्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत में निरन्तर गुणवत्तायुक्त प्रोफेशनल स्टाफ की आवश्यकता रही है। पिछले दशकों में प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थाएं बड़ी संख्या में स्थापित हुई, परन्तु कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकतर प्राइवेट संस्थाएं गुणवत्तायुक्त प्रोफेशनलस को तैयार करने में असफल रही हैं।

नेटवर्सिटी या वर्चुअल विश्वविद्यालय का समप्रत्यय कुछ हद तक उपरोक्त उच्च शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को नेटवर्सिटी या वर्चुअल विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहयोग एवं समन्वय प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि सीमित संख्या में उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों एवं स्टाफ द्वारा बड़ी संख्या में गुणवत्तायुक्त प्रोफेशनल बिना किसी भौगोलिक सीमा के तैयार एवं प्रशिक्षित किये जा सकें।

जर्मनी में वर्चुअल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा इंटरनेशल मास्टर ऑफ बिजनेस इंफारमेटिक्स (MBI) एक स्नातक पाठ्यक्रम ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। सन् 1980 के दशक से बहुत सारे विदेशी विश्वविद्यालय—विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैण्ड,

यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, वासेदा यूनिवर्सिटी, आदि द्वारा पाठ्यक्रमों का संचालन ग्लोबल स्तर पर किया जा रहा है, जिससे उन्हें - 'ग्लोबल वर्चुअल यूनिवर्सिटी' कहते हैं। भारत में भी कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा सीमित संख्या में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम ऑनलाइन प्रदान किये जा रहे हैं। अभी हाल ही में सी.बी.एस.ई. ने अपने विद्यार्थियों को वर्चुअल लेबोरेटरी की सुविधा प्रदान की है।

दूरस्थ शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी प्रमुख समस्याएं

संचार प्रौद्योगिकी में अच्छाइयों के साथ-ही-साथ कुछ निहित समस्याएं भी विकासशील देशों में मौजूद हैं। वैलेनियस (1989) के अनुसार, विकासशील देशों में संचार प्रौद्योगिकियों का धीमा विकास तथा खराब संचार सेवाओं के मुख्य रूप से तीन कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(I) संसाधनों की कमी (Shortage of Resources)

संचार प्रौद्योगिकियों का दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग के संबंध में सामान्यता इसमें उच्च लागत की समस्या आती है। संसाधनों की कमी तथा वर्तमान संचार प्रौद्योगिकियों का आधुनिकीकरण एवं प्रसार इसके खराब निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर दूरस्थ शिक्षा संस्थान प्रयाप्त संसाधन एवं प्रभावी प्रबन्धन कर इन नई तकनीकियों का प्रयोग करें, तो निश्चित ही इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

(II) अप्रभावी प्रबंधन (Ineffective Management)

संचार प्रौद्योगिकी की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं उपयोग पर निर्भर करती है। शिक्षा संस्थानों में अपर्याप्त आन्तरिक संगठन तथा प्रबंधन संचार प्रौद्योगिकियों के खराब निष्पादन, उच्च संचालन लागत तथा सीमित क्षमता के लिए जिम्मेदार हैं। संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रबंधन, एवं उपयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा संस्थान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

(III) अपर्याप्त क्षेत्र नीति (Inadequate Sector Policy)

दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग के संबंध में अपर्याप्त क्षेत्र नीति संचार प्रौद्योगिकियों के दूरस्थ शिक्षा में विकास में सबसे प्रमुख एवं तीसरी प्रमुख समस्या है। परिणामस्वरूप शिक्षा व प्रशिक्षण के क्षेत्र में पर्याप्त क्रियान्वयन एवं निष्पादन सुधार के लिए उपर्युक्त प्रोत्साहन की कमी है।

उपरोक्त के अलावा कुछ अन्य भी कारण हैं, जो दूरस्थ शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को हतोत्साहित करते हैं।

दूरस्थ शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य समस्याएं

अन्य समस्याओं में प्लानिंग, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन, मात्रा, सेवाओं की गुणवत्ता, लागत तथा अनुदेशनात्मक प्रारूप ज्ञान है, जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है:

(i) प्लानिंग, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (Planning, Monitoring & Evaluation)

सामान्यतः, संचार प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन सुस्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। क्रियान्वित संचार प्रौद्योगिकियों की उचित मॉनीटरिंग या देखरेख भी प्रभावी रूप से नहीं हो पाती है। साथ ही क्रियान्वित संचार प्रौद्योगिकियों का निरन्तर मूल्यांकन भी सम्भव नहीं हो पाता जिससे तकनीकियों में पुनः सुधार एवं नवीनीकरण किया जा सके।

(ii) मात्रा या पहुँच (Access)

किसी भी शैक्षिक संस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों की पर्याप्त संख्या, टीवी, वीसीआर, इंटरनेट्युक्त कंप्यूटर इत्यादि की पर्याप्त संख्या भी संचार प्रौद्योगिकी के सफल उपयोग के लिए आवश्यक है। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में कम दूरसंचार घनत्व तथा आधुनिक संचार उपकरणों तक सीमित पहुँच भी संचार प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

(iii) सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Services)

संचार सेवाओं की गुणवत्ता भी इनके प्रभावी उपयोग के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। परन्तु आज उच्च गुणवत्तायुक्त संचार उपकरण तथा संचार तकनीकी बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग कर दूरस्थ शिक्षा संस्थान संचार प्रौद्योगिकियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।

(iv) लागत (Cost)

संचार प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत भी इसकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण में प्रभावी उपयोग में बाधक है। विशेषकर, विकासशील देशों में संचार प्रौद्योगिकियों की लागत विकसित देशों की तुलना में 100 प्रतिशत अधिक है (शाह, 1997)।

(v) अनुदेशनात्मक प्रारूप ज्ञान (Instructional Design Knowledge)

अधिकतर शिक्षक पारम्परिक 'टॉल्क तथा चॉल्क' विधि में पारगंत होते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में संचार प्रौद्योगिकियों का विरोध समान्यतः अधिकाँश शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति संचार प्रौद्योगिकियों को मनोरंजन का माध्यम समझते हैं, परन्तु कुछ

शिक्षक ऐसे भी हैं जो संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में प्रभावशीलता से बखूबी परिचित हैं तथा इनके प्रयोग के हिमायती भी हैं। शिक्षकों के उपर्युक्त प्रशिक्षण, नई तकनीक के प्रति ग्रहणशीलता तथा उचित दृष्टिकोण उत्पन्न करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

(vi) डिजिटल डिवाइड (Digital Divide)

डिजिटल डिवाइड दो या अधिक समूहों के बीच मार्डर्न आईसीटी तकनीकियों तक पहुँच तथा इसके प्रभावी उपयोग में अन्तर को प्रदर्शित करता है। डिजिटल डिवाइड के मुख्य कारण विश्वसनीय आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुपलब्धता, कनेक्टिविटी (दूर-दराज क्षेत्रों में), कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की उच्च लागत, निम्न ई-साक्षरता, इंटरनेट पर किसी विशेष भाषा में सामग्री की अनुपलब्धता आदि हैं। दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन में डिजिटल डिवाइड को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसे संचार प्रौद्योगिकियों का अधिकतम उपयोग दूरस्थ विद्यार्थियों द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।

उपसंहार

सूचना एवं संचार तकनीकी- मोबाइल फोन, ब्राउज़ेर कनेक्टिविटी, हाई फीडेल्टी इंटरनेट, नैनोटेक्नोलॉजी के प्रसार तथा सरकार द्वारा समर्पित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का दूरस्थ शिक्षा शिक्षण एवं प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हांलांकि दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिकता के बावजूद कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे- समन्वय की कमी, उपयोगिता की गुणवत्ता, संसाधनों की फिजूल खर्ची, विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग की कमी एवं संसाधनों की हिस्सेदारी न कर पाना, अन्तःपरिचालन आदि पाठ्यक्रम विकासकर्ता तथा अनुदेशनात्मक पैकेज डिजाइनर कई संचार तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु दूरस्थ अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता, मीडिया का अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव, शिक्षकों की नई भूमिका अन्तःक्रियात्मक डिलीवरी प्रणाली तक विद्यार्थियों की पहुँच, संचार तकनीकी के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, अधिगमकर्ता संतुष्टि इत्यादि का ध्यान नहीं रखा जा रहा है (शैरी, 1996)।

गुणवत्तापूर्ण जीवनपर्यन्त शिक्षा तथा ज्ञान आधारित समाज की माँग भी शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण अपरिहार्य बना देता है। आईसीटी द्वारा समर्पित संस्कृति के तत्व-खुलापन, सहयोग पारदर्शिता, हिस्सेदारी निर्णयन (Participatory Decision Making), मूल्यों का पुनर्निर्माण आदि दूरस्थ शिक्षा के लिए

भी अति आवश्यक हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का नेटवर्क समर्थित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (Network-Enabled Open and Distance Learning Model) में रूपांतरण समय की माँग है। यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले एक या दो दशक में अधिकतर दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय वर्चुअल विश्वविद्यालय (Virtual University) में परिवर्तित हो जाएंगे। ऑन कैम्पस तथा ऑफ कैम्पस विद्यार्थी, फुल-टाइम तथा पार्टटाइम विद्यार्थी, और औपचारिक तथा दूरस्थ विद्यार्थी के बीच का विभेद समाप्त हो जायेगा।

दूरस्थ शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याएं संसाधनों की कमी, अप्रभावी संगठन एवं प्रबंधन, अपर्याप्त क्षेत्रनीति, उचित प्लानिंग, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन की कमी, पर्याप्त मात्रा, संचार सेवाओं की गुणवत्ता, उच्च लागत, अनुदेशनात्मक प्रारूप ज्ञान का अभाव तथा डिजिटल डिवाइड कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन में उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रौद्योगिकी संबंधी उच्च प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है तथा गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

संदर्भ

आनन्द, एस. (1979) : यूनिवर्सिटी विदआउट वाल्सः करेसपोंडेन्स एजुकेशन इन इण्डिया, नई दिल्ली : विकास पब्लिकेशन।

बार्कर, ब्रुस ओ.; एन्थोनी. जी. फिसबी तथा केनेथ आर. पैट्रिक (1989) : ब्राडेनिंग द डिफिनिशन आफ डिस्टेंस एजुकेशन इ द लाइट ऑफ द न्यू टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, द अमेरिकन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, 3(1), 20-29।

इग्नू (2008) : अपलिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पी.जी.डी.डी.ई., <http://hdl.handle.net/123456789/25067> accessed on 10 July, 2013.

पिसिआनो, ए. (2001) : डिस्टेंस लर्निंग. मेकिंग कनेक्सन्स एक्रॉस वर्चुअल स्पेस एण्ड टाइम, अपर सदल रिवर, न्यूजर्सी : प्रेसिस हाल पब्लिकेशन्स।

रामानुजम, पी. रंगा (2007) : डिस्टेंस ओपन लर्निंग चैलेंज टू डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली : शिप्रा पब्लिकेशन्स।

सिंह, बख्तीश (1993) : न्यू होराइजन इन डिस्टेंस एजुकेशन, नई दिल्ली : उप्पल पब्लिसिंग हाउस।

वेलेनियस, बी. (1989) : द इम्पैक्ट ऑफ मार्डन टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एण्ड सोसायटी, वाल्यूम 8(4), दिसम्बर 1989।

परिप्रेक्ष्य

वर्ष 21, अंक 1, अप्रैल 2014

शोध टिप्पणी/संवाद

भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंतर-राज्यीय प्रवासन दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बिहार के छात्रों का केस अध्ययन

सुमित कुमार*

सारांश

भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के लिए अंतर-राज्य प्रवासन के संदर्भ में पाठ्य-सामग्री के अभाव के मद्देनजर प्रस्तुत शोध-पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बिहार के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा के लिए अंतर-राज्य प्रवासन के कारणों की व्याख्या का एक प्रयास है। प्रस्तुत शोध-पत्र में न सिर्फ़ प्रवासन के कारणों को पुश्ट फैक्चर, पुल फैक्चर और व्यक्तिगत कारकों (पर्सनल फैक्चर) के रूप में चिह्नित एवं वर्गीकृत किया गया है बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन कारकों की रैंकिंग भी की गई है।

प्रस्तुत शोध-पत्र खोजपूर्ण शोध अध्ययन है जो पूर्णतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। उन आंकड़ों का संकलन दो स्तरों (पूर्व प्रश्नावली सर्वेक्षण तथा प्रश्नावली सर्वेक्षण) पर किया गया है। असंचरित प्रश्नावली पर आधारित पूर्व प्रश्नावली सर्वेक्षण में बीस विद्यार्थियों ने भाग लिया जबकि संचरित प्रश्नावली पर आधारित प्रश्नावली सर्वेक्षण में 100 छात्रों ने भाग लिया। इन छात्रों का चयन स्नो-बॉल सैम्पलिंग तकनीक द्वारा किया गया। प्रश्नावली सर्वेक्षण में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी पूर्व-प्रश्नावली सर्वेक्षण के भागीदारों से पूर्णतः पृथक थे।

प्रस्तावना

परिभाषित प्रशासनिक सीमाओं के पार आवासीय स्थान को बदलने की प्रक्रिया प्रवासन (migration) है। गतिशीलता (mobility) का एक रूप प्रवासन है जो स्वैच्छिक या

* शोध छात्र, शैक्षिक नीति विभाग, न्यूपा, नई दिल्ली

अनैच्छिक या दोनों का मिश्रण हो सकता है। साथ ही यह स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी भी हो सकता है। व्यक्ति विशेष जो प्रवसन करते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। प्रवासी व्यक्ति जिस स्थान विशेष से निकलते हैं तथा जिस स्थान विशेष में आकर बसते हैं उन्हें क्रमशः ‘स्रोत’ क्षेत्र (Source) तथा गतांव्य (Destination) कहते हैं (श्रीवास्तव आर., 2012; प्रेमी 1990) भारतवर्ष में प्रवसन संबंधी जानकारियां अथवा गणना का कार्य भारती की जनगणना तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करती है। भारत की जनसंख्या (2001) में प्रवसन को जन्म स्थान तथा पिछले निवास स्थान से वर्तमान निवास स्थान में अंतर के आधार पर परिभाषित करती है जबकि योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की एक इकाई, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (2007–08) प्रवसन का निर्धारण व्यक्ति विशेष के सामान्य निवास के आधार पर करती है। सामान्य निवास स्थान उस स्थान को कहा जाता है जहाँ किसी व्यक्ति ने छः महीने या अधिक अवधि के लिए लगातार निवास किया हो।

प्रवसन के प्रकार

प्रवसन का वर्गीकरण भौगोलिक सीमाओं तथा प्रवसन के प्रायोजन के आधार पर किया जा सकता है।

भौगोलिक सीमाओं के आधार पर वर्गीकरण

प्रवसन, मोटे तौर पर भौगोलिक सीमाओं के आधार पर बाह्य (International Migration) तथा आंतरिक प्रवसन (Internal Migration) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्र की सीमा से बाहर के प्रवास को बाह्य प्रवसन तथा राष्ट्र की सीमांतर्गत प्रवास को आंतरिक प्रवसन कहते हैं। आंतरिक प्रवासियों की अंतरराष्ट्रीय या बाह्य प्रवासियों की तुलना में चौगुनी है (UNDP, 2001)। आंतरिक प्रवसन को अंतर-राज्य प्रवसन तथा अंतरराज्यीय प्रवसन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य विशेष की सीमांतर्गत प्रवसन तथा सीमा से परे का प्रवसन क्रमशः अंतर्राज्य प्रवसन तथा अंतर-राज्य कहलाता है (डांग, 2005)।

प्रवसन के प्रयोजन/कारण

प्रवसन कई कारणों अथवा प्रयोजनों से होता है। 64वें दौर के (NSSO 2007-08) के अनुसार प्रवसन निम्नलिखित कारणों से होता है— रोजगार की तलाश में, व्यापार, नौकरी अथवा बेहतर नौकरी ज्वाइन करने पर, तबादला, कार्य-स्थल से निकटता हेतु, शिक्षा, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक/राजनीतिक कारणों से, आवासीय समस्याएं, विकास से

जुड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापन, घर व फ्लैट के अधिग्रहण हेतु, स्वास्थ्य कारणों से, सेवानिवृति के बाद, विवाह, घर के सभी अथवा कमाने वाले सदस्य के प्रवसन के कारण तथा अन्य कई कारणों से होता है। जबकि भारत की जनगणना के अनुसार कार्य/रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह जन्म के बाद विस्थापन, घरवालों के साथ विस्थापन तथा अन्य कारणों से प्रवसन होता है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा श्रेणीबद्ध प्रवसन के कारणों से यह स्पष्ट है कि 'शिक्षा' भी प्रवसन के महत्वपूर्ण कारणों अथवा उद्देश्यों में एक है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार कुल प्रवासियों में 3% प्रवासी तथा 64वें दौर (NSSO 2007-08) के अनुसार 0-9 साल की अवधि के लिए प्रवास करने वालों में 23.8% लोग 'शिक्षा' के लिए ही प्रवासित होते हैं। शिक्षा के लिए प्रवास को प्रवसन की तरह ही भौगोलिक सीमाओं के आधार पर, साथ ही शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

शिक्षा के स्तर के आधार पर शिक्षा के लिए प्रवसन को स्कूल-शिक्षा के लिए प्रवसन तथा उच्च-शिक्षा के लिए प्रवसन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्कूली शिक्षा के लिए प्रवसन से तात्पर्य बारहवीं कक्षा (+2) तक के शिक्षार्थ जबकि बारहवीं कक्षा के बाद के शिक्षार्थ प्रवसन उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन है। उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन को 'शिक्षा की प्रकृति' तथा 'भौगोलिक सीमाओं' के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। 'शिक्षा की प्रकृति' के आधार पर व्यवसायिक शिक्षा के लिये प्रवसन तथा गैर-व्यवसायिक शिक्षा के प्रवसन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भौगोलिक सीमाओं के आधार पर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन तथा देश के अंदर उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन को आंतरिक प्रवसन के रूप में वर्गीकरण संभव है। उच्च शिक्षा के लिए आंतरिक प्रवसन को अंतर-राज्य प्रवसन तथा अंतर्राज्य प्रवसन के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। अतः उच्च शिक्षा के लिए अंतर-राज्य प्रवसन, प्रवसन की एक इकाई है अथवा प्रवसन का ही एक प्रकार है। भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन वक्त की मांग है क्योंकि भारतवर्ष 'शिक्षा आधारित अर्थव्यवस्था' बनने की ओर अग्रसर है (NKC, 2006)। फलतः उच्च शिक्षा के नए-नए शिक्षण संस्थान लगातार खुल रहे हैं। इन शिक्षण संस्थानों के खुलने के बावजूद 1998-2008 की अवधि के दौरान उच्च शिक्षार्थ 620,000 विद्यार्थियों ने देश के सीमांतर्गत प्रवसन किया (चन्द्रशेखर और शर्मा, 2014)। इस प्रवसन को ही संबंधित नवीन साहित्य में आंतरिक ब्रेन-ड्रेन कहा जा रहा है। (शपारा, 2013; चन्द्रशेखर और शर्मा 2014)। यह प्रवसन 'स्रोत', 'गंतव्य' तथा

प्रवासी तीनों के लिए घाटे का सौदा है। स्रोत क्षेत्र से आगामी वर्षों तथा वर्तमान में भी मानव संसाधन तथा कमाई/बचत के एक बड़े हिस्से का इसकी वजह से बर्हिगमन हो रहा है। ये दोनों संसाधन (मानव तथा रूपये) विकास के लिए अत्यावश्यक हैं (शपरा, 2013; चन्द्रशेखर और शर्मा 2014)।

इससे पृथक् ‘गंतव्य’ क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट में इनका भी सहयोग होता है। अध्ययन यह बताते हैं कि भारत वर्ष के शहरी क्षेत्र खासकर मैट्रो शहर जनसंख्या आधिक्य व विस्फोट की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन करने वालों की वजह से यह समस्या और विकराल होती जा रही है, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन कर रहे छात्रों का रुख शहरी क्षेत्रों की ओर होता है (महापात्रा 2012)।

स्रोत तथा गंतव्य स्थल के साथ-साथ प्रवासी छात्र/छात्रों के लिए प्रवसन मंहगा सौदा है। क्योंकि वे अपने समकक्षों (चाहे वे गंतव्य स्थल पर उनके साथ पढ़ने वाले छात्र/छात्रा हो या स्रोत स्थल पर ही पढ़ रहे छात्र/छात्रा हों) की तुलना में समान डिग्री पाने के लिए ज्यादा कीमत अदा करते हैं। साथ ही उन्हें नये स्थान पर अपने परिवार तथा मित्रगणों से दूर रहना पड़ता है।

अतः शिक्षा के लिए अंतर-राज्य प्रवसन अथवा आंतरिक ब्रेन-ड्रेन प्रवासी छात्र/छात्राओं के स्रोत तथा गंतव्य दोनों स्थलों के लिए एक ज्वलंत समस्या है। इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। इसी मद्देनजर शिक्षा के लिए प्रवसन के विभिन्न पहलुओं को उपलब्ध साहित्यों के माध्यम से समझने का प्रयास आगे किया गया है।

साहित्यक समीक्षा

यद्यपि छात्र-प्रवास के संदर्भ में साहित्य अथवा अध्ययन सामग्री का अभाव है तथापि जो भी उपलब्ध हैं वे अनुभवजन्य हैं। प्रवसन की तरह छात्र-प्रवास की मुख्य वजह वेतन स्तर व पारिश्रमिक स्तर में विभेद है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में उच्च शिक्षा का ध्येय ‘रोजगार योग्य’ बनना है। (Kigwing, 1996; Agasiste & Dal Benaco, 2007). उन्नत देशों जहां पारिश्रमिक स्तर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में ज्यादा होता है, वहां विकासशील देशों के छात्रों का लगातार आव्रजन इसे प्रमाणित करता है (Rosenzweig, 2006; Kennan J. 2013)। इसके विपरीत (Mac & Mouer 2001) यह तर्क देते हैं कि विकसित देशों में जीवनयापन करने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। **फलतः** वे लोग जो उच्च आय वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, वहीं विकसित देशों

में उच्च शिक्षा के लिए प्रवास कर सकते हैं। पारिश्रमिक में विभेद से पृथक, विश्वविद्यालय के आकार तथा गुणवत्ता में अंतर, सीटों की उपलब्धता, मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम तथा विश्वविद्यालयों के ट्यूशन फीस आदि भी शिक्षा के लिए प्रवसन के मूलभूत कारण हैं। (Bayer 1968; Abbott & Schmidt, 1975; Mok & Moucur, 2003; Orsuwan & Heck, 2009; Zhang & Ness] 2010; Adkisson & Peach, 2008) विदेशों की डिग्री का स्रोत देश में मान्यता तथा डिग्री देने वाले शिक्षण संस्थानों के स्रोत देश में प्रतिष्ठा दोनों भी शिक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को निर्धारित करती है। (अल्टबाख, 2007; झेंग, 2010; बौर्क, 1997; पार्क, 2009; ओईसीडी, 2011).

अल्टबाख (1998) ने स्रोत देश की विषम परिस्थितियों को 'प्रतिकर्षक' तथा गंतव्य राष्ट्र में छात्रवृत्ति तथा नौकरी संबंधी सुविधाओं को 'आकर्षक' कारकों के रूप में निरुपित किया है। (डेविस, 1995) ने भी 'पुश' तथा 'पुल' कारकों की छात्रों के बाह्य प्रवसन के संदर्भ में व्याख्या की है। उनके अनुसार उन्नत अनुसंधान सुविधाएँ सौहार्दपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण और बहुराष्ट्रीय सहपाठियों की संभावना जहां इस संदर्भ में 'पुल फैक्टर' (Pull factor) है वहीं विदेशी शिक्षा का सामान्यीकृत स्वरूप 'पुश फैक्टर' है। स्रोत राष्ट्र की जनसंख्या के आकार का उच्च शिक्षा के साथ सकारात्मक संबंध उसे 'पुश फैक्टर' के रूप में चिह्नित करता है (Gossman & et.al. 1968)।

उपरोक्त सभी व्याख्याओं से अलग (झेंग 2003) का यह मानना है कि पुश-पुल फैक्टर स्रोत तथा गंतव्य क्षेत्र में विद्यमान नहीं रहते बल्कि दोनों जगहों पर एक साथ उनकी उपस्थिति होती है। उन कारकों को उन्होंने विपरीत पुश-पुल कारक के रूप में नामित किया। स्रोत क्षेत्र के पुल फैक्टर के रूप में उन्होंने परिवार के साथ रहने की इच्छा, घरेलू शिक्षा के संदर्भ में जागरूकता तथा घरेलू शिक्षा के वैश्वीकरण तथा गंतव्य क्षेत्र के पुश फैक्टर के रूप में वीजा की अनियमितता, सख्त आव्रजन नीतियां, बाहरी छात्रों के साथ विभेद की नीति, शिक्षा का लगातार महंगा होना आदि कारकों को उजागर किया।

पुश-पुल कारकों की संकल्पना से अगल, (मजरोल और सोसाइटर 2001) ने शिक्षार्थ प्रवसन के व्यक्तिगत कारणों की व्याख्या की। उन्होंने भारत, चीन, इण्डोनेशिया तथा ताईवान के क्षेत्रों के बाह्य-प्रवसन के संदर्भ में इन कारकों को चिह्नित किया जिनकी पहचान निम्नांकित हैं— विदेशी शिक्षा का घरेलू शिक्षा से अच्छा होना, विदेशी समाज को

जानने व समझने की इच्छा, कोर्स विशेष में नामांकन की योग्यता तथा प्रवसन की प्रबल इच्छा।

भारत में प्रवसन (उच्च शिक्षा के लिए) के कारकों के रूप में स्कूली शिक्षा की खराब गुणवत्ता तथा उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की कमी की पहचान की गई है (चन्द्रशेखर और शर्मा, 2014), भूषण और रस्तोगी (2012) तथा कुमार (2014) ने उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी तथा उनकी गुणवत्ता को बिहार राज्य से शिक्षार्थ प्रवसन का कारण बताया। जबकि उत्तर-पूर्वी राज्यों के संदर्भ में (शिमराय और देवी 2009) ने तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों का अभाव, क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता, जातिगत विट्ठेष आदि को उच्च शिक्षार्थ प्रवसन के लिए जिम्मेदार बताया।

उपरोक्त पाद्य सामग्रियों की समीक्षा से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के लिये प्रवसन के कारकों को पुश फैक्टर, पुल फैक्टर तथा व्यक्तिगत फैक्टर के रूप में विभाजित किया जा सकता है। उपरोक्त साहित्य समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि मुख्यतः ‘अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रवसन’ का विविध दृष्टिकोणों (मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, समाज-शास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय आदि) द्वारा विश्लेषण किया गया है। परन्तु भारत के संदर्भ में छात्र प्रवसन पर अध्ययन का अभाव है। और जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध है वे ‘अन्तर्राष्ट्रीय प्रवसन’ के परिप्रेक्ष्य में है, ‘आंतरिक प्रवसन’ पूर्णतः अछूता है। इसी के मद्देनजर इस शोध-पत्र की विषयवस्तु ‘अंतर-राज्य प्रवसन’ को बनाया गया है जो आंतरिक प्रवसन का अभिन्न अंग है। इसी संदर्भ में ‘अध्ययन के औचित्य’ को विकसित किया गया है जो निम्नांकित है:

अध्ययन का औचित्य

इस शोध में छात्रों के अंतर-राज्य प्रवसन की प्रक्रिया के संदर्भ में बिहार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव क्रमशः ‘स्रोत’ तथा ‘गंतव्य’ स्थल के रूप में हुआ है।

बिहार का चुनाव ‘स्रोत स्थल/क्षेत्र’ के रूप में ‘प्रवासियों की संख्या’ की वजह से किया गया है। यद्यपि प्रवासियों की संख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद आता है परन्तु बिहार के प्रवासी शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से (0-9 वर्ष की अवधि के प्रवासी) उ.प्र. के प्रवासियों की तुलना में ज्यादा प्रवास करते हैं (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 64वें चक्र और भारत की जनगणना 2001 के अनुसार दिल्ली में रह रहे कुल बिहारी प्रवासियों का 3.3% यहाँ शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से आया है जबकि मात्र 1.7% यू.पी. वाले शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ निवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ, दिल्ली विश्वविद्यालय

का चयन प्रथमतः इसके दिल्ली एन.सी.आर. (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में स्थित होने की वहज से किया गया है। जहाँ प्रवासी लोगों की संख्या दिल्ली की जनसंख्या का लगभग 81% है जो इस संदर्भ में देश में सबसे ज्यादा है। इन प्रवासी लोगों की आबादी का 2.67% हिस्सा यहाँ अध्ययन के उद्देश्य से आया है (भारत की जनगणना 2001)। दूसरा कारण, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली का सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय छात्रों का कोई आरक्षण नहीं होता है फलतः सभी क्षेत्र के छात्रों को भी आकर्षित करता है। यद्यपि दिल्ली में तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं (जबाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय) तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय उनमें सबसे बड़ा और अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा छात्रों को अध्ययन के अवसर प्रदान करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक छात्रों के 'विशेष आरक्षण' का लाभ मिलता है जबकि जे.एन.यू. में स्नातक स्तर पर कुछ ही विषयों में प्रवेश मिलता है। फलतः दिल्ली विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में सबसे ज्यादा बाहरी (दूसरे प्रदेशों के) छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

उपरोक्त औचित्यों से पृथक् 'गैर-व्यवसायी विषय' का चुनाव भी इस शोध पत्र का अभिन्न अंग है। इसके चुनाव के दो कारण हैं— प्रथम कारण, उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा नामांकन (73.4% कुल नामांकन का) गैर-व्यवसायी विषयों में होता है (12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17)। दूसरा कारण, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी है इसके व्यावसायिक कोर्सों (अभियांत्रिकी, चिकित्सा आदि) में क्षेत्रीय छात्रों को आरक्षण मिलता है जबकि गैर-व्यवसायी विषयों के संदर्भ में यह व्यवस्था लागू नहीं है।

ऊपरोक्त विश्लेषणों से यह स्पष्ट है कि प्रवासियों की संख्या, विश्वविद्यालय का स्वरूप तथा आरक्षण की व्यवस्था आदि वजहों से ही दिल्ली विश्वविद्यालय तथा बिहार का चुनाव प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

अध्ययन का औचित्य तथा साहित्यिक समीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शोध पत्र के लिए शोध प्रश्न विकसित किये गए हैं जो निम्नांकित हैं—

शोध प्रश्न

- (i) किन पुश-पुल कारकों की वजह से बिहार के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं?
- (ii) किन व्यक्तिगत कारकों की वजह से बिहार के छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं।

संचालन परिभाषाएं

अंतर-राज्य प्रवसन

इस अध्ययन में दि.वि. में अध्ययनरत बिहार का छात्र ऐसे छात्रों को माना गया है जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक (+2) बिहार से पास किया हो तथा वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो।

उच्च शिक्षा

पूर्णकालिक गैर-पेशेवर स्नातक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के अध्ययन को उच्च शिक्षा का पर्याय समझा गया है।

कार्य प्रणाली

अनुसंधान स्वरूप

इस अध्ययन का ध्येय लगभग अछूती विषयवस्तु (छात्रों का अंतर-राज्य प्रवसन) को समझना है, जिसकी वजह से यह व्याख्यात्मक केस अध्ययन कोटि का है।

अध्ययन की परिसीमा

दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-व्यावसायिक अंतर स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत सभी बिहार से आए हुए छात्र/छात्राएं।

आंकड़ा संग्रह

यह शोध पत्र पूर्णतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ा संग्रहण का कार्य दो स्तरों पर किया गया है। सर्वप्रथम बीस छात्रों का पायलट सर्वेक्षण अथवा पूर्व-प्रश्नावली सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में प्रयुक्त प्रश्नावली असंरक्षित थे। असंरक्षित प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर एक संरक्षित प्रश्नावली तैयार की गई जिसके लिए 100 छात्रों को चुना गया। इन छात्रों का चुनाव स्नो-बॉल सैंपलिंग के माध्यम से किया गया। संरक्षित प्रश्नावली सर्वेक्षण में एक भी असंरक्षित प्रश्नावली सर्वेक्षण के छात्र को सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्ययन के निष्कर्ष

साहित्यिक सर्वेक्षण तथा छात्रों के उत्तरों के आधार पर छात्रों के प्रवसन के कारकों को दो भागों में बाँटा गया— पुश-पुल कारक तथा व्यक्तिगत कारक।

पुश-पुल कारकों के अंतर्गत निम्नलिखित कारकों को सम्मिलित किया गया, स्रोत राज्य में शिक्षण संस्थान तथा इच्छित विषय की अनुपलब्धता, स्रोत तथा गंतव्य राज्य के

शिक्षण संस्थान के गुणवत्ता में अंतर, शिक्षा के माध्यम में अंतर। दि. वि. के शिक्षण संस्थानों का बेहतर ब्रांड मूल्य, बेहतर रोजगार के अवसर (गंतव्य के शिक्षणालयों में कैम्पस प्लेसमेंट की व्यवस्था), व्यक्तित्व के चतुर्दिक् विकास के अवसरों में अंतर, सुरक्षा संबंधी कारक।

जबकि व्यक्तिगत कारकों के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं— अभिभावक का दबाव, समाज का दबाव, मित्रों का दबाव, शैक्षणिक योग्यता, वित्त संबंधी कारक तथा प्रवसन की इच्छा।

शैक्षणिक योग्यता, वित्त संबंधी कारक तथा प्रवसन की इच्छा को प्रवसन करने के पूर्व आवश्यक कारण मानते हुए 100 छात्रों के लिए तैयार की गई संरक्षित प्रश्नावली, जिसमें उन्हें सभी कारकों को अपने अनुभव के आधार पर (अपने प्रवसन के कारण के रूप में) क्रमवद्ध करने के लिये कहा गया था।

छात्रों द्वारा दिये गये क्रम की गणना के आधार पर अंततोगत्वा उन्हें एक सारणी में प्रदर्शित किया गया जो अग्रलिखित है।

कारक	क्रम
स्रोत राज्य में इच्छित कोर्स का अभाव	11
स्रोत राज्य में शैक्षणिक संस्थानों का अभाव	10
शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता में अंतर	3
पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में अंतर	4
बेहतर रोजगार के अवसर	1
चहुमुखी व्यक्तित्व विकास के अवसरों में अंतर	2
शिक्षा के माध्यम में अंतर	6
दिल्ली विश्वविद्यालय की बेहतर ब्रैण्ड वैल्यू	5
अभिभावक का दबाव	8
मित्रों का दबाव	9
सामाजिक दबाव	7
सुरक्षा संबंधी कारक	12

स्रोत: फील्ड सर्वे

उपर्युक्त कारकों के क्रम से यह स्पष्ट है कि बिहार (स्रोत राज्य) में शैक्षिक संस्थाओं तथा इच्छित कोर्स का अभाव जैसे कारक तथा सुरक्षा संबंधी कारक छात्रों के प्रवसन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जबकि दोनों जगह की शैक्षिक संस्थाओं के मध्य वृहत् अंतर है जो छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और यह रोजगार के अवसर चातुर्दिक विकास के अवसर, शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता में अंतर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में अंतर तथा शिक्षा के माध्यम में अंतर के उच्च क्रम के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। ये छः कारक दोनों जगहों की शैक्षिक संस्थाओं के अंतर को अंशतः व पूर्णतः प्रतिबिम्बित करते हैं। इन छः कारकों के बाद ही क्रमशः सामाजिक, पारिवारिक तथा मित्रों का दबाव आता है जो व्यक्तिगत कारकों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

उपरोक्त कारकों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि छात्रों के लिए शैक्षिक संस्थाओं व पाठ्यक्रम की संख्या व उपलब्धता की तुलना में उनकी गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर केन्द्रीय व राज्य सरकार गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं (जो छः ऊपरलिखित कारकों के समुच्च हैं) पर कार्य कर देश में हो रहे विकास की प्रक्रिया को देश के कोने-कोने तक पहुँचा सकती हैं तो गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक उच्च शिक्षा के अवसर देशभर में सुलभ हो सकते हैं। अन्यथा वे कुछ हिस्सों में संकेंद्रित होकर रह जाएंगे। कुशल मानव संसाधन जो ‘उच्च शिक्षा प्राप्ति’ के परिणाम है का प्रवसन की वजह से अंशतः या पूर्णतः कुछ ही जगहों पर संकेंद्रण हो रहा है।

आगामी शोधों के लिए सलाह

विविधताओं से भरे भारतवर्ष में उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन का विश्लेषण न सिर्फ क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक-आर्थिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक है जिनके अध्ययन क्षेत्र की परिधि में सम्पूर्ण राष्ट्र आता हो। ऐसे अध्ययनों से प्राप्त परिणाम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006) के ‘शिक्षा आधारित अर्थव्यवस्था’ के स्वनिल लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे।

आगामी शोधपत्रों में समान आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के वे विद्यार्थी जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन नहीं किया तथा वे विद्यार्थी जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए प्रवसन किया, के मध्य अंतरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि प्रवसन करने वाले छात्रों की मनोदशा तथा भविष्य संबंधी लक्ष्यों को समझा जा सके।

संदर्भ

- भगत, राम बी. (2009), इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया : आर द अंडरक्लास मोर मोबाइल? पेपर प्रजेटेड इन द 26 इशू जनरल पोपुलेशन कन्फ्रेंस हैल्ड इन मारकेच, मोरक्को, 27 सितंबर - 2 अक्टूबर, 2009
- भूषण, एस. एंड रुस्तगी, पी. (2012), “एजुकेशन इन बिहार”, ग्लोबल बिहार समिति, 2012, पटना
- ब्रेजिस, एलिस एस. एंड शौरी ए. (2011), “ह्वाई डू स्टूडेंट माइग्रेट? ह्वेयर डू दे माइग्रेट टू?” अलमालौरिया वर्किंग पेपर नो 25, रीट्रिव फ्राम <http://www.almalaurea.it/pubblicazioni/wp>
- चन्द्रशेखर, एस. एंड शर्मा ए. (2014), “इंटरनल माइग्रेशन फार एजुकेशन एंड इम्प्लायमेंट अंग यूथ इन इंडिया”, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ डवलपमेंट रिसर्च, मुंबई, जनवरी 2014
- डलमन, सी. एंड उज, ए. (2005), “इंडिया एंड द नालेज इकानोमी : लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपरच्युनिटी”, ह्वाई डवलपमेंट स्टडी, द वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.
- कुमार, एस. (2014), “इंटर-स्टेट माइग्रेशन फार हायर एजुकेशन : अ केस स्टडी आफ स्टूडेंट फ्राम बिहार इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली”, एम.फिल. डिजरेशन सबमिटेड टू न्यूपा, नई दिल्ली
- मैक, जे. एंड मॉनक्यूर, जे.ई.टी. (2002), “इंटर-स्टेट माइग्रेशन आफ कॉलेज फ्रैशमैन : एन इकॉनोमिक अनालिसिस”, द अनुअल आफ रीजनल साइंस, (2003), 37:603-612, डीओआइ110007/500168-003-01304
- सपरा, आर. (2013), “हायर एजुकेशन एंड क्रास-स्टेट माइग्रेशन”, रुटगर्स यूनिवर्सिटी नवम्बर 18, 2013
- श्रीवास्तव, आर. (2012), “इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया: एन ओवरव्यू आफ इट्स फीचर, ट्रेंड एंड पॉलिसी चैलेंजर”, नेशनल वर्कशाप आन इंटरनल माइग्रेशन एंड हुमन डवलपमेट इन इंडिया, वर्कशाप कम्पेन्डियम, वाल्यूम 51; वर्कशाप पेपर, आईसीएसएसआर, नई दिल्ली
- शिमरे, यू.ए. एंड देवी, यू. (2009), “ट्रेंड्स एंड पैटर्न आफ माइग्रेशन : इंटरफेस विद एजुकेशन - ए केस आफ द नार्थ-ईस्ट रीजन”, इंस्टीट्यूट फार सोशियो इकोनोमिक चेंज बंगलौर
- ली, एम. एंड ब्रे, एम. (2007), “क्रॉस-बार्डर फ्लो आफ स्टूडेंट फार हायर एजुकेशन: पुश - पुल फैक्टर एंड मोटीवेशन आफ मैनलेंड चाइनीज स्टूडेंट इन हांग कांग एंड मिकाऊ”,

हायर एजुकेशन (2007) 53 : 791-818 2007 स्ट्रींगर साइंस. विजनेस मीडिया
बी.वी. दो, 10.1007/एस10734-005-5423-3
यिन, रॉबर्ट के. (2012), “एप्लीकेशन आफ केस स्टडी रिसर्च”, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

रिपोर्ट्स

गर्वनमेंट आफ एनसीटी (2013), दिल्ली ह्यूमन डबलपर्मेट रिपोर्ट (2013), प्लानिंग डिपार्टमेंट,
गर्वनमेंट आफ एनसीटी आफ दिल्ली, नई दिल्ली
गर्वनमेंट आफ इंडिया (2001), सेन्सस आफ इंडिया (2001), माइग्रेशन डाय, गर्वनमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर, नई दिल्ली
गर्वनमेंट आफ इंडिया (2007-08), माइग्रेशन इन इंडिया, रिपोर्ट नं. 470, एनएसएसओ 64
राउंड गर्वनमेंट आफ इंडिया: मिनिस्ट्री आफ प्रोग्राम इंप्लेमेंटेशन
गर्वनमेंट आफ इंडिया (2007-08), माइग्रेशन इन इंडिया, रिपोर्ट नं. 533, एनएसएसओ 64
राउंड गर्वनमेंट आफ इंडिया: मिनिस्ट्री आफ प्रोग्राम इंप्लेमेंटेशन
प्लानिंग कमीशन (2001), “इंडिया एज ए नॉलेज सुपरपावर: स्ट्रेटेजी फार ट्रांसफोरमेशन”,
प्लानिंग कमीशन, गर्वनमेंट आफ इंडिया

चिंतक और चिंतन

स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता

अविनाश कुमार सिंह*

प्रस्तावना

दुनिया में शायद ही ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने छोटे जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी मिसाल छोड़ी हो जिसे 150 वर्ष बाद भी, दुनिया उतनी ही प्रासंगिक मानती है जितनी उस जमाने में थी। स्वामी विवेकानंद (1863 - 1902) के हर एक वक्तव्य मंत्र की तरह हैं जिस पर जितनी मंत्रणा की जाये उससे उतने ही नए-नए अर्थ निकलते हैं। इस लेख में विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को दो भागों में बाँटकर चर्चा की गई है। (i) सैद्धांतिक (ii) व्यावहारिक। सैद्धांतिक रूप में शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, माध्यम, और विषयों आदि से संबंधित स्वामी जी के विचारों का विश्लेषण किया गया है। व्यावहारिक रूप में स्वामी जी के विचारों को भारतीय शिक्षा नीति एवं कार्यक्रम से जोड़कर मूल्यांकन किया गया है।

शिक्षा का महत्व

विवेकानंद ने मानव विकास, सामाजिक उत्थान एवं आर्थिक प्रगति के सभी कारकों में शिक्षा को सर्वोत्तम माना एवं उसके प्रसार के लिए जीवनभर सतत कार्य करते रहे। उन्होंने कहा, “‘शिक्षा, शिक्षा – केवल शिक्षा’” ही मानव की हर समस्या का समाधान है। शिक्षा के महत्व का एहसास उन्हें दुनिया भ्रमण करने के दौरान हुआ। गरीब और अमीर में सिर्फ शिक्षा का फर्क है। चाहे कोई व्यक्ति हो, समुदाय हो, राज्य हो या, देश हो, अगर गरीबी और अमीरी में कोई अंतर है, तो वह शिक्षा का ही है। स्वामी विवेकानंद ने पूरे जनसमुदाय में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। किसी समुदाय में शिक्षा का प्रसार जितना होगा, उसकी प्रगति उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने ये टिप्पणी कि, “जनसमुदाय में

* प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, शैक्षिक नीति विभाग, न्यूयार्क, नई दिल्ली

शिक्षा का तिरस्कार एक राष्ट्रीय कलंक है एवं उस देश की अवनति का कारण है।” बिना शिक्षा के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। किसी भी देश में उसी अनुपात में उन्नति हुई है, जिस अनुपात में वहां के जनसमुदाय में शिक्षा और बुद्धि का प्रसार हुआ है। अगर जनसमुदाय शिक्षित है, तब कोई राजनीति उस देश को पीछे नहीं कर सकती है।

शिक्षा का अर्थ एवं माध्यम

स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है, “मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना।” विवेकानंद की शिक्षा की यह परिभाषा शैक्षिक दृष्टि में सर्वोत्तम है, जो मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका को सर्वोत्तम स्थान देती है। ज्ञान प्राप्त करना मस्तिष्क की एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य नए-नए ज्ञान की खोज कर अपनी आंतरिक दुनिया को सतत बड़ा करता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान का मुख्य स्रोत मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं। बाहरी स्रोत ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया में सिर्फ उत्प्रेरक का काम करते हैं। शिक्षा मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी के रूप में स्थापित करती है क्योंकि मानव में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता असीम है। विवेकानंद के अनुसार, सही शिक्षा ही मनुष्य को अपनी पूर्णता हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है। इनके यह वक्तव्य आज भी अक्षरणः सत्य प्रतीत होते हैं। हम यहां यह भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क ही ब्रह्माण्ड है, व्यक्ति इस ब्रह्माण्ड को उतना ही जान पाया है, जितना उसके मस्तिष्क का विकास हो पाया है। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को व्यक्तित्व के विकास के रूप में देखते हैं।

विवेकानंद ने शिक्षा में, ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम पर अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार, ज्ञान प्राप्ति का एक ही मार्ग है, वह है मन की एकाग्रता। जिस मानव में एकाग्र शक्ति जितनी अधिक होगी, उसे ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होगी। पशु और मानव में एकाग्रता का अंतर है। किसी शिक्षित और अशिक्षित मनुष्य में एकाग्रता का ही अंतर है।

शिक्षा के उद्देश्य

विवेकानंद के अनुसार, “‘हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके’। शिक्षा के व्यावहारिक पहलू का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि ‘‘हमें चारित्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिनसे उद्योग-धन्धों की वृद्धि और विकास हो, जिससे

मनुष्य नौकरी के लिए मारा-मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय कर सके'। अगर हमने मानव मूलक, चारित्रिक एवं जीवन संवर्धक विचारों को आत्मसात कर लिया है, तो वह पूरे पुस्तकालय को याद कर जाने से भी ज्यादा बड़ी शिक्षा है। विवेकानंद बच्चों के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते थे। शिक्षा किसी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। विवेकानंद ने शिक्षा के उद्देश्यों को तीन भागों में बांटकर उसके महत्व को दर्शाया— (क) शारिरिक, (ख) मानसिक और (ग) आध्यात्मिक

शारिरिक विकास- विवेकानंद के अनुसार किसी व्यक्ति का शारिरिक विकास, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की मांसपेशी लोहे की तरह फौलादी हो। उदाहरणस्वरूप उन्होंने कहा कि कभी-कभी मैदानों में फुटबाल खेलना बड़े-बड़े ग्रंथों को पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मानसिक विकास- विवेकानंद के अनुसार, किसी भी मानव के लिए उसका मानसिक विकास उसकी जिंदगी की आधारभूत जरूरत है। मानसिक विकास से ही वह प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। मानसिक विकास से मनुष्य की सोचने, महसूस करने एवं इच्छा शक्ति का विकास होता है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी मनुष्य अपने पुराने ज्ञान को अर्जित एवं सम्प्रेषित कर अपनी मानसिक क्षमता का विकास करता है।

आध्यात्मिक विकास- विवेकानंद के अनुसार, मानसिक विकास आध्यात्मिक विकास के बिना अधूरा है। चूंकि हर एक आत्मा में दैविक गुण विद्यमान हैं, इसलिए उन गुणों का प्रस्फुटित होना, किसी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। विवेकानंद ने शिक्षा में मस्तिष्क के साथ-साथ हृदय की अनुभूति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर दिया। शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक विकास से मनुष्य का नैतिक विकास होता है।

अतः विवेकानंद ने शिक्षा के उन तीन मूलभूत उद्देश्यों की चर्चा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए की है।

पाउलो फ्रेयरे की तरह विवेकानंद का मानना है कि शिक्षा, दिमाग में तथ्य भरने की प्रक्रिया नहीं है जिसे फ्रेयरे ने बैंकिंग सिस्टम ऑफ ऐजुकेशन (Banking System of Education) कहा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य अपने आपको जागृत करना है, जिसे पाउलो फ्रेयरे ने अंतर्श्चेतना (Conscientization) कहा है। फ्रेयरे की तरह विवेकानंद शोषित वर्ग की शिक्षा पर जोर देते रहे। गरीबों और पिछड़ों को जागरूक

बनाने के लिए विवेकानंद ने आनंदोलनकारी सुझाव दिये, “उनमें आग लगा दो और उसकी लपटें ऊपर जाने दो और इसी तरह हिन्दुस्तानी कौम बनेगी”। वे शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान करते रहे। ‘‘जब तक करोड़ों मनुष्य भूख और अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक मनुष्य को देशद्रोही मानता हूँ, जो उनके अर्जित धन से शिक्षित हुआ है और उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है’’। भारत की पतनावस्था का मुख्य कारण यह रहा कि मुद्रणी भर लोगों ने देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था एवं बुद्धि पर एकाधिपत्य कर लिया है। अशिक्षित लोग जागरूकता के अभाव में यंत्रवत् काम करते रहते हैं। और चतुर शिक्षित लोग इनके परिश्रम के फल के उत्तमांश का उपयोग स्वयं करते रहे हैं। विवेकानंद के अनुसार, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक बनाना।

शिक्षा का अधिकार एवं विवेकानंद के विचार

आज जब देश में शिक्षा के अधिकार को लेकर चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, तो हमें विवेकानंद के विचार आज भी प्रासांगिक लगते हैं। अगर शिक्षा के अधिकार से जुड़े मुद्दों को विवेकानंद के विचार से जोड़कर देखा जाए, तो उससे जुड़ी बहुत-सी समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। सर्वप्रथम, शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान में ‘‘निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2010’’ के तहत देश में लागू किया गया है। इस संवैधानिक प्रावधान से बहुत सी आशाएं हैं क्योंकि देश की आजादी के 65 वर्षों बाद भी अभी तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण संवैधानिक निर्देश होने के बावजूद भी नहीं हो पाया है। आज भी 6-14 वर्ष की आयु के बहुत से बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से बंचित हैं। अगर बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो भी जाता है, तो वे बीच में बिना शिक्षा पूरी किये विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं एवं जो बच्चे शिक्षा प्राप्त भी करते हैं, उनमें शैक्षणिक क्षमता परिलक्षित नहीं होती है।

विवेकानंद ने शिक्षा के प्रसार एवं उसकी गुणवत्ता, दोनों की चर्चा अपने विचारों में की है। जहाँ तक शिक्षा को जनमानस तक पहुँचाने का सवाल है, विवेकानंद ने इसकी तह में जाकर उनकी त्रुटियों को स्पष्ट किया, एवं उसके समाधान के तरीके बताए। इन्होंने बताया कि गरीब परिवार के बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माता-पिता के गृह कार्यों में सहायता करनी होती है। लेकिन शिक्षा उनके लिए भी जरूरी है। इस स्थिति में हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि बच्चों को उसके घर पर ही

शिक्षा मिल जाए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा— “यदि पहाड़ मुहम्मद के पास नहीं आता, तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों नहीं जाए। यदि हल चलाने वाले कृषक का बेटा शिक्षा प्राप्त करने नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं हम ही उससे हल चलाते हुए मिलें”।

यहाँ पर विवेकानंद के कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी लचीली होनी चाहिए जिसमें इन गरीब एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। कहीं न कहीं विवेकानंद, अपने इस कथन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनके अनुसार, हमें ऐसे शिक्षक तैयार करने चाहिए जो बच्चों को उनके घर जाकर उन्हें आवश्यकतानुसार ज्ञान-विज्ञान की बात बताए।

बोलचाल की भाषा में प्रारंभिक शिक्षा

विवेकानंद ने मातृभाषा या बोलचाल की भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया, उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में यह सहायक होती है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा को लेकर उनका कहना था की हमें लोगों को बोलचाल की भाषा में शिक्षा देनी होगी, तभी शिक्षा का प्रसार जल्द हो पायेगा। इससे गरीब भी अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे। ज्ञान प्राप्ति से किसान अच्छा किसान बन सकता है। वैसे उन्होंने यह भी कहा कि मातृभाषा के साथ-साथ, संस्कृत भाषा भी जाननी चाहिए क्योंकि संस्कृत भाषा प्रतिष्ठा प्रदान करती है। संस्कृत शिक्षा से उनका तात्पर्य संस्कृति एवं सम्मान हासिल करने से है।

शिक्षा यदि बोलचाल की भाषा में दी जाए, तो अधिक प्रभावकारी होगी और शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से होगा। बोलचाल की भाषा में ज्ञान प्राप्त करने के उदाहरण के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म-ज्ञान के प्रसार में संस्कृत की जगह प्राकृत भाषा के प्रयोग को सराहा।

निष्कर्ष

अंत में, यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को किसी समय-सीमा तथा विचारधारा में बांधकर देखना उचित नहीं होगा। उनके शैक्षिक विचार सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों धरातल पर समान रूप से आज भी यथार्थपूर्ण एवं उपयोगी हैं। आज जब मानव जीवन भूमण्डलीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के दबाव से परेशान और असहाय है, ऐसी परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद के प्रेरणात्मक एवं उत्साहवर्धी शैक्षिक विचार घने अंधकार में जलती मशाल की तरह लगते हैं। उनके

वक्तव्य दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिकों के विचारों से मेल खाते हैं। गुनार मिरडल, पाउलो फ्रेयरे एवं कार्ल मार्क्स के बहुत से शैक्षिक विचार जिनकी चर्चा विद्वानों की गोष्ठी में होती है, विवेकानंद ने उनकी चर्चा अपने विचारों में स्पष्ट शब्दों में की है। उदाहरणस्वरूप जहाँ फ्रेयरे ने शिक्षा के प्रसार में अंतश्चेतना (Conscientization) को जरुरी समझा, वहीं पर विवेकानंद ने उसे जागृति (awakening) के रूप में बताया। उसी प्रकार जहाँ मिरडल गरीबी उन्मूलन में शिक्षा के महत्व की बात की चर्चा करते हैं, वहीं विवेकानंद भी शिक्षा के अभाव को गरीबी का कारण मानते हैं। आगे जहाँ कार्ल मार्क्स दुनिया की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को वर्ग विभेद, एवं संघर्ष से जोड़ते हैं, विवेकानंद भी उसे शिक्षित एवं अशिक्षित के विभेद एवं संघर्ष से जोड़ते हैं। उन्होंने यह कहा कि “वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन-संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, उनकी चरित्र शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें दया का भाव और सिंह का साहस नहीं पैदा करती, क्या उसे भी शिक्षा का नाम दे सकते हैं”?

इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के विचार जहाँ सैद्धांतिक एवं दार्शनिक पैमाने पर खरे उतरे हैं, वहीं शिक्षा नीति एवं कार्यक्रम की सफलता कार्यान्वयन के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। उदाहरणस्वरूप, शिक्षा का अधिकार अधिनियम विवेकानंद जी के मूलभूत विचारों पर आधारित है। इस अधिनियम की विभिन्न धाराएं उनके बताए गये मार्गों को दर्शाती हैं। जहाँ तक अधिनियम के सफल कार्यान्वयन की बात है, उसके लिए विवेकानंद के अन्य जुड़े विचारों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति, किसी अशिक्षित से पीछे है तो उसमें दोष उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसको दी गयी शिक्षा का है। क्योंकि जो शिक्षा मनुष्य को रोजगार नहीं दिलाती, उसके शारिरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में योगदान नहीं करती है, वह शिक्षा नहीं, अशिक्षा है। आज जब शिक्षा के यथार्थ से जुड़े सवाल उठ रहे हैं, तो हमें विवेकानंद के शैक्षिक विचार अत्यंत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। अगर ये कहा जाए, कि स्वामी जी के विचार आज भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।